मार्गदर्शिका

समुदाय केन्द्रित सहभागी नियोजन प्रक्रिया

मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना

तृतीय तल, बीज भवन, अरेरा हिल्स

भोपाल 462004, मध्यप्रदेश

ई मेल mprlp@mprlp.in वेब साइट www.mprlp.in

समुदाय केन्द्रित

सहभागी नियोजन प्रक्रिया की

मार्गदर्शिका

मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना–द्वितीय चरण

मार्गदर्शिका विकसित करने में मुख्य सहयोग

समर्थन – सेन्टर फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट,

36, ग्रीन ऐवेन्यू चूना भट्टी कोलार रोड़, भोपाल

विषय सूची

1 भाग–1: आजीविका आधारित सूक्ष्म नियोजन का परिचय 1

1.1 आजीविका क्या है? 1
1.2 संवहनीय या निरंतर चलने वाली आजीविका क्या है? 1
1.3 आजीविका के संसाधन 1
1.4 आजीविका के अवसर एवं क्षेत्र 1
1.5 आजीविका आधारित योजना निर्माण का अर्थ 2
1.6 आजीविका आधारित योजना निर्माण की आवश्यकता 2
1.7 सूक्ष्म नियोजन (माइक्रो प्लानिंग) 2

2 योजना निर्माण क्या है ? 3

2.1 योजना निर्माण 3
2.2 योजना बनाने में लोगों का जुड़ाव क्यों जरूरी है ? 3
2.3 सहभागी योजना निर्माण की प्रक्रिया कैसे करे – कुछ सरल नियम 3

3 भाग–2: गांव की योजना निर्माण की प्रक्रिया के चरण 5

3.1 चरण 1 वातावरण निर्माण 6
3.1.1 गांव के लोगों का विश्वास अर्जित करना 6
3.1.2 गांव का भ्रमण (ट्रॉजेक्ट वाक) 6
3.1.3 रात्रि विश्राम 7
3.1.4 ग्राम नियोजन समिति का गठन एवं संरचना 7
3.1.5 गांव योजना समिति का गठन तथा उन्मुखीकरण 7
3.1.6 ग्राम नियोजन समिति के कार्य 8
3.1.7 ग्राम नियोजन समिति का उन्मुखीकरण एवं जिम्मेदारियों का बंटवारा 8
3.2 चरण 2 जानकारी इकट्ठा करना (वार्ड स्तर पर) 9
3.2.1 परिवार सर्वेक्षण 10
3.2.2 परिवार सर्वेक्षण से आजीविका के मुख्य आधार एवं संसाधन सूची का निर्माण 12
3.2.3 आजीविका के आधार पर परिवार का वर्गीकरण 13
3.2.4 गांव स्तरीय सर्वेक्षण 14
3.2.5 संसाधन एवं सामाजिक मानचित्र 16
3.2.6 सेवा के अवसरों का चित्रण 19
3.2.7 उपेक्षित वर्गों के साथ समूह चर्चा 20
3.2.8 विभिन्न योजनाओं के प्लान का अवलोकन 20
3.3 चरण 3 सम्पन्नता श्रेणीकरण (वेलबीइंग रेंकिंग) 20
3.3.1 सम्पन्नता श्रेणीकरण में ध्यान देने योग्य बातें 21
3.3.2 सम्पन्नता श्रेणीकरण का अनुमोदन 22
3.4 चरण 4 सामूहिक विश्लेषण 23
3.4.1 समस्या पहचान एवं प्रमुख कारण 23
3.4.2 गांव की मुख्य समस्याएं क्या हैं ? (प्रत्येक वार्ड स्तर पर देखें) 23
3.4.3 समस्याओं का प्राथमिकीकरण (मैट्रिक्स अभ्यास) 24
3.4.4 समस्याओं के समाधान एवं विकल्प 25
3.4.5 समस्याएं एवं वर्तमान स्थिति 25
3.4.6 बाधाएं एवं अवसर विश्लेषण 26
3.5 चरण 5 योजना निर्माण 27
3.5.1 गतिविधियों का चयन 27
3.5.2 बजट निर्माण 29
3.6 चरण 6 सूक्ष्म नियोजन दस्तावेज निर्माण 30

3.6.1 भाग–1 : गांव की सामान्य जानकारी का विश्लेषण 31
3.6.2 भाग–2: गांव नियोजन विशलेषण 38
3.7 चरण 7 ग्राम सभा सुझाव, समावेश एवं अनुमोदन 39
3.8 चरण 8 गांव पंचायत /जिला अनुमोदन 40

परिशिष्ट –1: 41
परिशिष्ट –2: 47
परिशिष्ट –3: 52
परिशिष्ट –4: 61

अनुक्रमणिका–1: 62
1. वातावरण निर्माण 62
2. गांव में जाकर क्या करें और क्या ना करें 64
3. गांव का भ्रमण (ट्रांजेक्ट वाक) 65
4. ट्रांजेक्ट कैसे करें 66
5. रात्रि विश्राम 66

अनुक्रमणिका–2: 67
अनुक्रमणिका–3: 68
1. बेसलाइन सर्वे क्या है ? 68
2. बेसलाइन में आंकड़ो का महत्व 68
3. मान्यताएं/अवधारणाएं – 69
4. संसाधन/सामाजिक मानचित्रण 69
5. चित्र जमीन/कागज पर – अन्तर 70
6. मानचित्र कैसे बनायें 70
7. मानचित्र तैयार हो जाने के बाद क्या करें 71
8. क्या न करें 71

अनुक्रमणिका–4: 72
1. सम्पन्नता श्रेणीकरण की प्रक्रिया 72
2. कार्ड गेम से आर्थिक विश्लेषण कैसे करे 72

अनुक्रमणिका–5: 75
1.1 मैट्रिक्स अभ्यास की प्रक्रिया 75
1.2 मेट्रिक्स कैसे भरे– 76
1.3 मेट्रिक्स से गणना कैसे करे– 76
1.4 प्राथमिकीकरण का क्रम 76

1 भाग–1ः आजीविका आधारित सूक्ष्म नियोजन का परिचय

1.1 आजीविका क्या है?

आजीविका को विभिन्न लोगों ने विभिन्न शब्दों का उपयोग करते हुए परिभाषित किया है। यहां पर डी.एफ.आई.डी. द्वारा उपयोग में लाई जा रही परिभाषा को बताया गया है :

''किसी भी व्यक्ति की आजीविका उसकी क्षमताओं, संसाधनों, जिसमें उसके पास उपलब्ध भौतिक एवं सामाजिक संसाधनों को भी सम्मिलित किया गया है, एवं विभिन्न गतिविधियां जो उसके जीने के लिए आवश्यक है का सम्मिलन है ।''

इसका मतलब यह है सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने के लिये किसी भी व्यक्ति के पास आवश्यक क्षमता हो, भौतिक और आर्थिक संसाधन हों, गतिविधियां चलाने के लिये कौशल हो और आजीविका के जो अवसर मिलें उनका दोहन करने के लिये कला–कौशल हो।

1.2 संवहनीय या निरंतर चलने वाली आजीविका क्या है?

''किसी भी व्यक्ति या परिवार की आजीविका संवहनीय तब होती है जब वह उसकी कठिन परिस्थितियों एवं तनाव के क्षणों में, एवं वर्तमान में तथा भविष्य में दोनों में उसकी क्षमताओं को बनाए रखे या उसे बढाएं, साथ ही उसके संसाधन के आधार को कम ना करें।''

संवहनीय का सीधा अर्थ है कि जो लगातार बना रहे । आजीविका के ऐसे साधन या गतिविधि जो एक बार शुरू हो और लगातार चलती रहे । कठिन समय में भी संसाधन कम न हो और लगातार मजबूत होते रहें ।

1.3 आजीविका के संसाधन

गांव के गरीब परिवारों की आजीविका मुख्यतः उनके या आस–पास उपलब्ध संसाधनों से प्रभावित होती है। इन संसाधनों को मुख्यतः पांच श्रेणीयों में बांटा जा सकता है। एक परिवार की आजीविका की स्थिति एवं उनके जीवन की गुणवत्ता उनके पास उपलब्ध पांच संसाधनों के आधार पर असानी से वर्णित की जा सकती है।

प्राकृतिक संसाधन	भूमि, जल, जंगल, जानवर इत्यादि
सामाजिक संसाधन	गांव स्तरीय संगठनों में सदस्यता, परिवार में आपसी सम्बंध, गांव स्तर पर राजनैतिक एवं स्थानीय अन्य मुद्दों में भागीदारी
मानव संसाधन	स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल, ज्ञान की स्थिति इत्यादि
वित्तीय संसाधन	बचत, ऋण, उधार देना इत्यादि
भौतिक संसाधन	मकान की स्थिति, वाहन, घर उपकरण, अन्य उपकरण

1.4 आजीविका के अवसर एवं क्षेत्र

हर परिवार के लिये अलग–अलग क्षेत्रों में आजीविका के अवसर उपलब्ध है। ये क्षेत्र हैं – प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। इन तीनों क्षेत्रों की प्रकृति भिन्न–भिन्न हैं। अतः गांव के स्तर पर आजीविका की योजना बनाते समय इन तीनों क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों का विश्लेषण करने के बाद किन क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है । उन गतिविधियों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल करना आवश्यक होगा।

- **प्राथमिक क्षेत्र** में कृषि, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, डेयरी, लघु वनोपज आदि प्रमुख व्यवसाय आते हैं।
- **द्वितीयक क्षेत्र** में ऐसे उद्योग आते हैं जिसमे कच्चे माल का उपयोग कर किसी प्रकार के उत्पाद का निर्माण किया जाता है।
- **तृतीयक क्षेत्र** के रूप में सेवा क्षेत्र से जुडे फुटकर बाजार, बैंकिंग, बीमा, होटल व्यवसाय, आई.टी. सुरक्षा एजेंसिया, पर्यटन, टेक्सटाईल एवं खाद्य प्रसंस्करण आदि व्यवसायों को सम्मिलित किया जाता है।

1.5 आजीविका आधारित योजना निर्माण का अर्थ

आजीविका आधारित योजना निर्माण का सीधा सादा अर्थ यही है कि वह योजना जिससे गांव में रह रहे लोगों की आजीविका के संसाधनों का सुनियोजित तरीके से विकास या प्रबंधन किया जा सके जिससे उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बल मिल सके।

1.6 आजीविका आधारित योजना निर्माण की आवश्यकता

आजीविका के अवसरों को संवहनीय बनाने के लिये यह आवश्यक है कि व्यक्ति तथा समूह/गांव के पास उपलब्ध संसाधनों के आधार पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिये सोच समझकर नियोजन किया जाये जो गांव में रहने वाले परिवारों की आजीविका को संवहनीय बनाती है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि व्यक्ति/समूह/गांव के पास उपलब्ध आजीविका के अवसरों को बेहतर बनाने के विकल्प तलाशे जायें। आजीविका आधारित योजना निर्माण की आवश्यकता इसलिये भी है ताकि समुदाय अपने संसाधनों का विश्लेषण करे, उसके आधार पर अपने–अपने आजीविका के साधन को सुनिश्चित करें और अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी आजीविका के स्त्रोतों का विकास करने में सक्षम बने रहें।

1.7 सूक्ष्म नियोजन (माइक्रो प्लानिंग)

यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो समुदाय के साथ मिलकर की जाती है । इस पर समुदाय की मान्यता होती है। इस प्रक्रिया के दौरान गांव के विभिन्न संसाधनों का विश्लेषण किया जाता है। उसके आधार पर गांव में किस प्रकार की समस्याये हैं उनका विश्लेषण कर कौन सा वर्ग उससे सबसे ज्यादा प्रभावित है पता लगाया जाता है। इसके बाद विभिन्न समस्याओं को हल करने एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विभिन्न गतिविधियों को तय किया जाता है। इसमें समुदाय की भूमिका स्पष्ट होती । साथ ही यह भी तय होता है कि कौन सी गतिविधि कब की जाएगी एवं उसके प्राथमिक एवं द्वितीयक लाभार्थी कौन होंगे और उनकी भूमिका क्या होगी।

साधारण भाषा में कहें तो विभिन्न विकास योजनाओं में वर्षवार कौन–कौन सी गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाना है एवं परियोजना की अवधि में :

- **क्या किया जाएगा**
- **कब किया जाएगा**
- **किसके लिये किया जायेगा अर्थात जिनकी समस्या है उनके साथ मिल–बैठकर विकल्प तैयार करना**
- **कहां पर किया जाएगा**
- **उसकी कितनी लागत आएगी**

इन सबका लेखा–जोखा ही माइक्रोप्लान है।

2 योजना निर्माण क्या है ?

2.1 योजना निर्माण

योजना बनाने का मतलब है किसी काम को करने से पहले उसके बारे में ठीक से सोच–विचार कर लेना।

- कम साधनों, कम समय, कम पैसों में अच्छी गुणवत्ता का काम करने के लिये सोचना, विचारना ही योजना बनाने का आधार है। योजना बनाने का मतलब है किसी काम को व्यवस्थित रूप से करना। और व्यवस्थित रूप से करने के लिये पहले से की जाने वाली तैयारी को ही हम योजना बनाना कहते हैं।
- योजना निर्माण का अर्थ है किसी काम के बारे में सोचना–विचारना, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, उस काम में आने वाली जरूरतों को पहचानना और इन बातों को ध्यान में रखकर काम करने की तैयारी करना।
- आगे पड़ने वाली जरूरतों की पहले से तैयारी करना भी योजना बनाना है। हम अनुमान लगाते हैं कि आने वाले समय में हमें किन वस्तुओं, गतिविधियों, संसाधनों की जरूरत पड़ सकती है। उसी हिसाब से हम तैयारियां शुरू कर देते हैं।

2.2 योजना बनाने में लोगों का जुड़ाव क्यों जरूरी है ?

- योजना निर्माण में गांव के विभिन्न वर्ग के लोगों के जुड़ाव से पूरी और सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अभाव में समस्या विश्लेषण एवं समाधान के विकल्पों को अंकित करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
- नियोजन की प्रक्रिया में यदि सभी वर्गों के लोगों को शामिल किया जाना आवश्यक है अन्यथा हो सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष या प्रभावशाली वर्ग का स्वार्थ गांव की योजना में अधिक स्थान ले और कमजोर एवं उपेक्षित वर्ग योजना के लाभ से वंचित रह जाए।
- सभी वर्ग की भागीदारी से गांव वालों में योजना के प्रति विश्वास एवं स्वामित्व रहेगा तथा योजना के द्वारा उपलब्ध संसाधनों का विकास कार्यो में सही उपयोग हो सकेगा।
- लोगों की भागीदारी पक्की होने से योजना क्रियान्वयन में गांव वालों का सहयोग प्राप्त होगा और सकारात्मक परिणाम सामने आयेंगे।

2.3 सहभागी योजना निर्माण की प्रक्रिया कैसे करे – कुछ सरल नियम

- परियोजना सहायता दल की भूमिका एक सहजकर्ता के रूप में हो एवं सम्पूर्ण गांव के लोगों के द्वारा ही योजना तैयार की जाए।
- इस सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान इस बात का अवश्य ध्यान रखें की गांव में स्थित सभी समूह/समितियों जैसे गांव वालों विकास समिति, स्व–सहायता समूह के सदस्य, गांव वन समिति इत्यादि के सदस्यों को भी सम्पूर्ण प्रक्रिया में अवश्य रूप से शामिल किया जाये।
- गांव में जाने के बाद इस बात का ध्यान रहे कि गांव के लोगों को यह स्पष्ट रूप से पता हो कि आप किस उद्देश्य से गांव में आए हैं । क्यों आये हैं और उनके साथ काम करना चाहते हैं एवं कब तक गांव में काम करेंगे। सरलता एवं स्पष्टता के साथ यह बात बताने से सम्पूर्ण प्रक्रिया न केवल सफलता से पूर्ण होती है अपितु लोगों की भागीदारी को सुनिश्चत करने में सहयोग करती है।
- एक और महत्वपूर्ण बिन्दु है जिसे परियोजना सहायता दल के सदस्य को ध्यान में रखना चाहिए वह है बजट इस पर शुरू से ही चर्चा ना करें। यह सम्पूर्ण प्रक्रिया की दिशा को बदल सकता है।
- कभी भी लोगों की अपेक्षा ना बढाएं। प्रयत्न करें कि समस्याओं का समाधान गांव में उपलब्ध संसाधनों से ही किस प्रकार किया जा सकता है उस पर विस्तार से चर्चा करें । यदि जरूरी हो तो अन्य योजनाओं, कार्यक्रमों, एवं विभागों के सहयोग से परियोजना क्या सहयोग दे सकती है उसे भी बताएं।

- क्या गांव में कुछ समस्याओं का समाधान गांव वालों के द्वारा किया जा सकता है जिसमें परियोजना से केवल मार्गदर्शन की आवश्यकता है? इस पर भी चर्चा करें। इसमें उन्हें यह बताया जा सकता है कि परियोजना कि राशि को उन कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिसके लिए गांव से संसाधन नही जुटाए जा सकते
- सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान जितने भी मानचित्र तैयार होते हैं उन्हें सावधानीपूर्वक कागज पर उतार ले एवं उसे गांव के ही किसी सार्वजनिक स्थान पर चित्रित करा दें जिससे सभी लोग उसे आसानी से देख सकें।
- प्रत्येक गतिविधि का उपभोक्ता समूह के साथ चर्चा कर प्राथमिकता तय कर लें, जिससे लोगों को पता रहे कि उन्हें लाभान्वित करने वाली गतिविधि कब होने जा रही है एवं उन्हें उसमें क्या भूमिका अदा करनी है।
- प्रत्येक चयनित गतिविधि का विश्लेषण करें की क्या वह गांव वालों की आजीविका को संवहनीय बनाने में सहयोगी है।
- इस प्रक्रिया में यह भी ध्यान रखें की जो परिवार किन योजनाओं से लाभ ले सकते हैं उस बारे में उन्हे विस्तार से बताये जिससे उनकी अनावश्यक अपेक्षा ना बढ़े।

- **बैठने का समय और जगह लोगों की सुविधा से तय करना :** गांव में काम करते समय हमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि लोग किस समय मिलेंगे । उनका खाली समय कब होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस काम में शामिल हो सकें। अगर हम दिन में काम करें तो हो सकता है लोग खेतों में जायें, महिलायें मजदूरी करने जाये तो ज्यादा लोगों को ये पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। हम ऐसा भी नहीं करें कि लोग खेतों से मजदूरी करके आयें और उन्हें तुरन्त इकट्ठा करें । अगर ऐसा करेंगे तो वे थके हारे होने की वजह से पूरे मन से इस काम में हिस्सा नहीं ले पायेंगे। इसलिये हमें उनके साथ बातचीत करने का समय उनकी सुविधा से तय करना चाहिये। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी सही है कि अगर उन्हें इस पक्रिया की जरूरत समझ में आ गई, काम का महत्व उन्हें समझ में आ गया तो वे अपना काम छोड़कर भी इस काम को पहले करेंगे।

3 भाग–2: गांव की योजना निर्माण की प्रक्रिया के चरण

चरण 1. वातावरण निर्माण

- ग्राम नियोजन समिति का गठन

चरण 2. जानकारियां इकट्ठा करना (वार्ड स्तर पर)

- परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र में जानकारी
- संसाधन मानचित्र निर्माण
- सेवा अवसर विशलेषण
- उपेक्षित वर्गों के साथ समूह चर्चा
- विभिन्न योजनों के प्लान का अवलोकन

चरण 3. सम्पन्नता वर्गीकरण –डब्ल्यू बी आर

चरण 4. सामूहिक विशलेषण

- समस्या पहचान, प्रमुख कारण एवं विकल्प
- समस्याओं का प्राथमिकीकरण (मेट्रीक्स)

चरण 5. योजना निर्माण

- गतिविधियों का चयन
- बजट निर्माण
- समय निर्धारण

चरण 6. सूक्ष्म नियोजन दस्तावेज निर्माण

चरण 7. ग्राम सभा सुझाव, समावेश एवं ग्राम सभा का अनुमोदन

चरण 8. गांव पंचायत /जिला अनुमोदन

3.1 चरण 1 वातावरण निर्माण

योजना निर्माण का कार्य शुरू करने से पहले, लोगों को आजीविका परियोजना के प्रति संवेदनशील करना अथवा उनका सहयोग जुटाना जरूरी है। इस चरण में आजीविका परियोजना टीम द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारियों, पंचायत के प्रतिनिधियों एवं गांव सभा सदस्यों को संवेदनशील बनाने का कार्य करना होगा अर्थात उनके साथ बैठकर उनके सुझाव व सहयोग को खोजते हुए उनकी सहभागिता खोजनी होगी। गांव का अधिक से अधिक भ्रमण करना तथा सूक्ष्म स्तरीय नियोजन समिति व अन्य हितभागियों का सहयोग लेते हुए ग्राम सभा सदस्यों को परियोजना के बारे में बताना तथा उनमें उनकी भूमिका को समझाना। कार्य शुरु करने से पहले गांव स्तर पर कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों का सहयोग जुटाना बहुत आवश्यक है क्योंकि यदि इनके सहयोग से ग्रामीण समुदाय की भागीदारी पक्की करने में आसानी होगी। गांव में लोगों के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिये परियोजना की जानकारी निम्न तरीके से दी जा सकती है

- व्यक्तिगत तथा समूहों में संपर्क बनाकर
- बैठक करके
- कार्यक्रम के ऊपर कोई फिल्म दिखाकर
- सरल भाषा में लिखित पर्चे बांटकर
- आजीविका विकास की सफल गतिविधयों के क्षेत्रों का भ्रमण कराकर।
- पोस्टर, नारे आदि के माध्यम से।
- नुक्कड नाटक से
- कटपुतली शो के माध्यम से

3.1.1 गांव के लोगों का विश्वास अर्जित करना

गांव में जाकर लोगों का विश्वास अर्जित करना योजना निर्माण के लिये महत्वपूर्ण है। अतः लोगों के साथ अच्छा तालमेल बनाने एवं उनका विश्वास प्राप्त करने के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया उपयोगी हैः

- गांव में जाकर प्रत्येक परिवार के साथ संवाद स्थापित करना, छोटे–छोटे समूहों, गांव में चल रहे स्व–सहायता समूहों एवं अन्य समुदाय के परम्परागत समूहों के साथ अनौपचारिक चर्चा करना
- इन अनौपचारिक बैठकों के आधार पर गांव में चर्चा का एक मंच तैयार करना
- गांव स्तरीय सहभागी आजीविका नियोजन प्रक्रिया की आवश्यकता पर आम सहमति बनाना
- गांव के स्तर पर प्रत्येक टोले/फलिये से लोगों को मिलाकर गांव स्तरीय नियोजन दल तैयार करना जो इस सम्पूर्ण प्रक्रिया का नेतृत्व करेगा। इसमें महिला एवं पुरूष की भागीदारी समान रहे इस पर विशेष ध्यान दें।
- इस दल को सर्वप्रथम सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रशिक्षित करें, जिससे प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की कठिनाई ना हो।

3.1.2 गांव का भ्रमण (ट्रॉजेक्ट वाक)

गांव की बसाहट, गांव के चारों ओर के कृषि क्षेत्र, पहाड़, नदी–नालों, चारागाह, सामूहिक क्षेत्रों और अन्य संसाधनों की जानकारी के लिये गांव का भ्रमण जरूरी है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि गांव में मौजूद विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों को स्वयं जाकर देखना, उनके बारे में जानकारी लेना, तथा समस्याओं को स्वयं समझना। संसाधनों की उपलब्धता की जानकारी लेना ।

इस भ्रमण में इन संसाधनों के बारे में विस्तार से जानकारी ली जाती है तथा सहजकार्ता को पूरी सतर्कता के साथ रास्ते में आने वाली प्रत्येक चीज का अवलोकन करना चाहिए तथा उसके संबंध में गांव वालों से बातचीत करनी चाहिए। ट्रांजेक्ट वाक के दौरान सहजकर्ता किसी भी वस्तु की जानकारी

लेने के लिए गांववासियों के साथ कुछ प्रश्नों के साथ बातचीत प्रारंभ कर सकता है। जैसे– यह क्या है? या यह कैसे बनता है या कैसे बना है? या इसका उपयोग कैसे किया जाता है? आदि।

3.1.3 रात्रि विश्राम

रात्रि में गांव में रूकने से गांव की स्थिति तथा गांव वालों की दिनचर्या को समझने के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। गांव में रात्रि विश्राम किया जाये तो नियोजन की प्रक्रिया को संचालित करने में बहुत सहूलियत हो जाती है। ऐसा इसलिए संभव होता है कि किसी गांव में सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक रूकें तो देखा जाए तो गांव के जीवन और लोगों के रहन–सहन, खान–पान, आचार–विचार, बोली, समझदारी के बारे कई ऐसे अनुभव भी होते हैं योजना बनाने में उपयोगी होंगे । कारण जाहिर है कि गांव में लोगों के साथ रहने एवं उनकी दिनचर्या और जीवन शैली को स्वाभाविक रूप से समझने के लिए काफी समय मिलता है। इससे साधारण और अत्यंत स्वाभाविक रूप से हर क्षण जानकारी प्राप्त होती रहती है। गांव को समझने में यह बहुत मददगार होता है । मान्यता है कि गांव के लोग जिस तरह रहते हैं अगर बाहरी व्यक्ति भी उसी तरह उनके साथ रहे तो इससे उसके आचार–व्यवहार और मानसिकता में भी बदलाव आता है। अनुभव यह रहा है कि जिस व्यक्ति या टीम ने सर्वे के दौरान गांव में रात्रि विश्राम किया, उसके गांव की योजना सबसे अच्छी बनी।

- रात्रि विश्राम से लोगों का सहजकर्ता पर विश्वास बढ़ता है।
- उन्हें लगता है कि गांव और हमारे लिये कोई चिंता करने वाला है ।
- गांव के सामाजिक ढ़ांचे की बेहतर समझ बनती है।
- योजना निर्माण के लिए जानकारी इकट्ठा करने के लिये ज्यादा समय मिलता है।
- गांव में नेतृत्व प्रतिभा रखने वाले लोगों की पहचान की जा सकती है।

3.1.4 ग्राम नियोजन समिति का गठन एवं संरचना

ग्राम नियोजन समिति के गठन की जिम्मेदारी परियोजना सहायता दल के सदस्यों की होगी। वातावरण निर्माण की उपरोक्त प्रक्रियाओं के दौरान परियोजना सहायता दल के सदस्य वार्ड पंच के अतिरिक्त प्रत्येक वार्ड से जानकारों की एक सूची बनाएंगे। इस सूची तथा निम्नलिखित संरचना के आधार पर ग्राम नियोजन समिति के लिए पंचों के अतिरिक्त सदस्यों का चयन करेगे।

- ग्राम नियोजन समिति में प्रत्येक वार्ड से दो सदस्य होगे।
- वार्ड स्तर का पहला सदस्य वहां से चुना हुए पंचायत प्रतिनिधि (पंच) होगा/होगी।
- गांव के प्रत्येक वार्ड से पंच के अतिरिक्त एक गांव सभा सदस्य भी समिति का सदस्य होगा/होगी।
- यदि वार्ड पंच पुरूष है तो गांव नियेाजन समिति की सदस्य महिला होगी और यदि वार्ड पंच महिला है तो उस वार्ड से ग्राम नियोजन समिति का सदस्य पुरूष होगा। इस तरह ग्राम नियोजन समिति में महिलाओं की संख्या 50 प्रतिशत रहेगी।
- ग्राम नियोजन समिति के अध्यक्ष गांव पंचायत के सरपंच होगे।

3.1.5 गांव योजना समिति का गठन तथा उन्मुखीकरण

योजना निर्माण की प्रक्रिया में गांव वालों की सहभागिता एवं स्वामित्व को सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि गांव के ही लोग नियोजन की पूरी प्रक्रिया का संचालित करे। गांव वाले अपनी समस्या स्वयं पहचाने, उनका विश्लेषण करें तथा विकल्पों की पहचान कर उनका क्रियान्वयन करे। योजना निर्माण में परियोजना के कार्यकर्ता की भूमिका एक सहजकर्ता के रूप में गांव वालों को समस्या विश्लेषण में मद्द करना तथा संसाधन के अनुरूप उपयुक्त विकल्पों की पहचान करने में उनकी मद्द करना है।

3.1.6 ग्राम नियोजन समिति के कार्य

गांव आजीविका नियोजन में ग्राम नियोजन समिति की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। ग्राम नियोजन समिति के सदस्यों को गांव वालों के साथ एवं परियोजना सहायता दल की मद्द से योजना निर्माण की पूरी प्रक्रिया का संचालन करना होगा तथा गांव के विकास के लिए एवं लोगों की आजीविका को संवहनीय बनाने की कार्ययोजना का निर्माण करना होगा।

- आजीविका नियोजन के प्रत्येक चरण में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी पक्की करना।
- गांव वालों के साथ मिलकर संसाधन, सामाजिक मानचित्र बनवाना
- सम्पन्नता श्रेणीकरण की प्रक्रिया को संचालित करने में मद्द करना
- जिन्हें लाभ मिलने वाला है वे और सहजकर्ता साथ मिलकर समस्या पर विचार करें तथा विकल्प तय करें ।
- वार्ड स्तर पर लोगों के साथ मिलकर योजना निर्माण पर चर्चा एवं उनके सुझावों को शामिल करना।
- ग्राम सभा में आजीविका आधारित योजना का प्रस्तुतिकरण एवं सुझावों को शामिल कर गांव की योजना का ग्राम सभा से अनुमोदन करवाना।
- ग्राम सभा अनुमोदन के बाद यदि भविष्य में नई समस्या या विकल्प सामने आते है तो उपयुक्त गतिविधि तय कर उसे गांव की आजीविका योजना में जोड़ना ।
- आजीविका आधारित कार्ययोजना के अमल एवं उस पर निगरानी में परियोजना सहायता दल की मद्द करना।

3.1.7 ग्राम नियोजन समिति का उन्मुखीकरण एवं जिम्मेदारियों का बंटवारा

ग्राम नियोजन समिति के सहयोग से गांव आजीविका नियोजन का कार्य करने के लिए समिति के सदस्यों को आजीविका आधारित योजना निर्माण पर प्रशिक्षण /उन्मुखीकरण किया जाएगा। वातावरण निर्माण के दौरान इन सदस्यों को ग्राम सभा सदस्यों के रूप में इस प्रक्रिया के उद्देश्यों की जानकारी प्राप्त हुई है। इसके अलावा सहजकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी की वह चर्चा/बैठक के माध्यम से इन सभी सदस्यों को औपचारिक रूप से पुनः ग्राम नियोजन समिति के कार्य के महत्व को समझाए। प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण के समय सहजकर्ता को मुख्यतः निम्न विषयों पर समिति के सदस्यों को जानकारी देनी चाहिए।

- आजीविका नियोजन के उद्देश्य
- गांव की योजना बनाने में लोगों की भागीदारी का महत्व
- गांव एवं आजीविका नियोजन की प्रक्रिया एवं चरण
- सदस्यों से अपेक्षित कार्य एवं नियोजन समिति की जिम्मेदारियां
- आजीविका से जुडी प्रमुख योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी देना।

ग्राम नियोजन समिति का गठन एवं सदस्यों का उन्मुखीकरण आजीविका नियोजन के दूसरे चरण (जानकारी इकट्ठी करना) से पहले हो जाना चाहिए।

नोट– *उपरोक्त गांव प्रवेश या वातावरण निर्माण की प्रक्रियाओं को गांव स्तर पर संचालित करते समय किन बातों को ध्यान रखना है, प्रक्रिया का संचालन कैसे करना है, कब करना है इत्यादि की जानकारी के लिए* ***अनुक्रमणिका–1*** *में विस्तार पूर्वक दी जा रही है।*

3.2 चरण 2 जानकारी इकट्‌ठा करना (वार्ड स्तर पर)

वातावरण निर्माण की प्रक्रिया के दौरान गांववालों के साथ चर्चा करने एवं अन्य तरीकों के माध्यम से विश्वास बनाने तथा गांव का भ्रमण और रात्रि विश्राम से प्राप्त जानकारी से गांव की जो समझ बनेगी वह सहजकर्ता, योजना बनाने वाले समूह, एवं समुदाय के लिए बहुत उपयोगी होगी। साथ ही योजना निर्माण में मदद करेगी। इन जानकारियों को विस्तृत रूप से एकत्रित करने के लिए अजीविका नियोजन के दूसरे चरण को शुरू किया जाना चाहिए। दूसरे चरण में आजीविका योजना निर्माण के लिए जानकारियों का संकलन किया जाएगा। जानकारियों के संकलन के लिए निम्न स्तरों से जानकारी ली जाएगी।

- परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र में जानकारी
- गांव स्तरीय जानकारी प्रपत्र में जानकारी
- संसाधन एवं सामाजिक मानचित्र निर्माण
- सेवा अवसर विश्लेषण
- उपेक्षित वर्गों के साथ समूह चर्चा
- विभिन्न योजनाओं के प्लान का अवलोकन

गांव में जानकारी इकट्‌ठा करने के लिए कई प्रकार की विधियां उपयोग में लाई जा सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि सहजकर्ता अपने समय, क्षमता एवं वित्तीय संसाधन को ध्यान में रखकर विधियों का चयन करे। गांव की योजना बनाने के लिये विभिन्न विधियों से संकलित की जाने वाली जानकारियों का विवरण नीचे दिया जा रहा है।

विधियां	विधियो से प्राप्त जानकारी
परिवार एवं गांव सर्वेक्षण	▪ परिवार की सामान्य जानकारी जैसे–जाति, बी.पी.एल. स्तर, वर्तमान रोजगार आदि ▪ पलायन की स्थिति ▪ कृषि क्षेत्र का आकार एवं प्रकार, सिंचाई साधन, फसल, उत्पादन आदि ▪ पशुओं की संख्या एवं उत्पादन आदि ▪ गांव की जनसंख्या, शिक्षा स्तर ▪ गांव में भूमि उपयोग, कृषि, पशुपालन ▪ प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता
संसाधन मानचित्र	▪ नदी, नाले, पहाड़ आदि ▪ सीमायें एवं सीमावर्ती गांव का क्षेत्र ▪ कृषि क्षेत्र, वन क्षेत्र, चरागाह, वनोपज इत्यादि ▪ विभिन्न फसलों एवं वृक्षों का अलग–अलग क्षेत्र ▪ मिट्‌टी का वर्गीकरण ▪ पानी के स्रोात ▪ सड़कें ▪ गांव बसाहट क्षेत्र इत्यादि
सामाजिक मानचित्रण	▪ गांव की बसाहट क्षेत्र ▪ गांव की गलियां ▪ कच्ची–पक्की सड़कें ▪ जुड़ी हुई सड़कें ▪ घर–पक्के, कच्चे, झोपड़ी ▪ पेयजल स्त्रोत

	▪ विद्युत लाईन ▪ मंदिर, चौपाल, स्कूल, दूकान, स्वास्थ्य केन्द्र इत्यादि ▪ जातिगत/ धर्म के आधार पर बसावट इत्यादि ▪ सामूहिक स्थल
सेवा अवसर मानचित्र	▪ शिक्षा एवं स्वास्थ सुविधाओं की उपलब्धता एवं दूरी ▪ खाद्य, बीज, फसल, वनोपज उत्पाद के क्रय–विक्रय हेतु बाजार की उपलब्धता एवं दूरी ▪ ग्रामीण आजीविका से सीधे तौर पर जुड़े प्रसंसकरण ईकाइयों की उपलब्धता एवं दूरी ▪ सड़क, बिजली, पानी, डाक–तार, फोन आदि सेवाओं की उपलब्धता एवं दूरी

3.2.1 परिवार सर्वेक्षण

- **उद्देश्य** : गांव के प्रत्येक परिवार की आजीविका से जुड़े संसाधनों की विस्तृत जानकारी का संकलन, जिससे गांव में आजीविका के वर्तमान विकल्पों को लेकर परिवार आजीविका का आकलन किया जा सके।
- **कहां** : गांव में प्रत्येक परिवार के घर जाकर या ऐसा समय और स्थान चुनें जब परिवार के ज्यादातर लोग एक साथ मिल सके।
- **कब** : वातावरण निर्माण से कार्यक्रम के उद्देश्यों से गांव वालों को अवगत करायें एवं गांव वालों का आप पर विश्वास होने लगे ।
- **किसके साथ**: परिवार के ज्यादातर सदस्यों के साथ
- **कितनी बार** : जब तक परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र की पूर्ण जानकारी प्राप्त न हो जाए। इसके लिए जरूरी हो तो सहजकर्ता को परिवार के पास एक से ज्यादा बार भी जाना पड़ सकता है।

परिवार सर्वे के माध्यम से गांव के प्रत्येक परिवार के पास उपलब्ध संसाधन की एक सूची बनाई जानी है। परिवार की जानकारी के लिए परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र का प्रयोग किया जायेगा। इस प्रपत्र से एकत्रित जानकारी नियोजन के कार्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा इसका विश्लेषण योजना निर्माण के अगले चरणों में किया जाएगा। अतः यह जरूरी है कि इस प्रपत्र की सभी जानकारी सावधानी पूर्वक एकत्रित की जाए।

- सहजकर्ता बैठक के माध्यम से अपना परिचय एवं उद्देश्य बताकर इस प्रक्रिया को प्रारंभ करे। यथासंभव ऐसे समय एवं स्थान का चयन करें जहां परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिल सके। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि परिवार के जिस व्यक्ति से हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं वह व्यक्ति हमारे उद्देश्य एवं योजना की अवधारणा से परिचित हो ताकि वह जानकारी देने में किसी प्रकार का छुपाव न रखें।
- बड़ा गांव होने पर यदि सहयोग दल जरूरी समझें तो दो दलों में बंटकर अलग–अलग जानकारी इकट्ठी करें ताकि यह कार्य को कम समय में किया जा सके।
- सहयोग दल के सदस्य प्रत्येक घर में जा कर सरल/क्षेत्रीय भाषा का उपयोग करें।
- सहजकर्ताओं को यह प्रयास करना चाहिए कि वह प्रपत्र को अच्छे से याद कर ले । अपने नोट–पैड पर कुछ टिप्स बना ले। प्रपत्र को सामने रखे बिना परिवार से चर्चा करे और प्रपत्र में पूछी गई सभी जानकारी इकट्ठा कर ले । ऐसा करने से संवाद करने और जानकारी लेने में एक लय बनेगी । पूछ–पूछकर प्रपत्र भरने से इस स्वाभाविक लय में बाधा पड़ती है ।

परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र **परिशिष्ट–1** में दिया गया है। इस प्रपत्र में परिवार की जानकारी भरते समय निम्म बातों का ध्यान रखा जाए।

1.	परिवार सर्वेक्षण प्रश्न क्र. 1, 2, 3 और 4	▪ प्रपत्र के प्रथम पांच प्रश्न गांव की सामान्य जानकारी के है। यहां गांव का अर्थ राजस्व/वन गांव से है तथा फलिया/टोले का अर्थ इस गांव के छोटे–छोटे हिस्सों से है। ▪ क्लस्टर या संकुल का अर्थ परियोजना में कुछ गांवों को मिलाकर बनाए गए समूह, संकुल/ क्लस्टर से है। ▪ यहा वार्ड का अर्थ मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई से है। इसके अनुसार एक गांव पंचायत में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 वार्ड हो सकते है।
2.	प्रश्न क्र. 5 सम्पन्नता वर्गीकरण के अनुसार परिवार क्रमांक	▪ परियोजना के अंतर्गत गांव वालों के साथ मिलकर प्रत्येक परिवार का सम्पन्नता वर्गीकरण करते समय प्रत्येक परिवार को जो क्रमांक दिया गया है वह लिखा जाना है।
3.	प्रश्न क्र. 6 परिवार के मुखिया का नाम एवं 7 पिता/पति का नाम	▪ यहां परिवार का आधार चूल्हा है। जिस परिवार का सर्वे किया जा रहा है उसके मुखिया का नाम तथा पिता/पति का नाम लिखा जाएगा।
4.	प्रश्न क्र. 8 सम्पन्नता वर्गीकरण के अनुसार वर्ग	▪ अर्थिक श्रेणीकरण की चार श्रेणी (अमीर, मध्यम, गरीब और अति गरीब) में प्रत्येक परिवार को रखा जाएगा। परिवार जिस श्रेणी में आता है उसे अंकित करे।
5.	प्रश्न क्र. 9 बीपीएल परिवार क्रमांक	▪ बीपीएल सर्वे 2002–03 का परिवार सर्वे क्रं. लिखें।
6.	प्रश्न क्र. 10 बीपीएल सर्वेक्षण के अनुसार बीपीएल	▪ बीपीएल परिवार हैं या नहीं लिखे। बीपीएल सर्वे 2002–03 के अनुसार जिन परिवारों को 14 कटऑफ मार्क या उससे कम प्राप्त हुए है वह गरीब परिवार या बी.पी.एल परिवार कहा जाता है। जिन परिवारों को 14 कट ऑफ मार्क से अधिक प्राप्त हुए है वह परिवार ए.पी.एल या गरीबी रेखा के उपर होता है।
7.	प्रश्न क्र. 11 रोजगार गारंटी योजना कार्ड पंजीयन क्रमांक	▪ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जॉब कार्ड दिया गया है। इस जॉब कार्ड के पृष्ठ क्र. 1 पर गांव का नाम एवं कोड़ के साथ परिवार पंजीयन क्रमांक लिखा होता है।
8.	प्रश्न क्र. 12 सामाजिक श्रेणी एवं प्रश्न क्र. 13 जाति/जनजाति का नाम	▪ परिवार की जाति एवं वर्ग को यहा लिखें
9.	प्रश्न क्र. 14 महिला मुखिया परिवार	▪ यदि परिवार की मुखिया महिला हो तो "हां" पर चिन्ह लगाए और यदि परिवार का मुखिया पुरूष है तो "नहीं" पर चिन्ह लगाए।
10.	प्रश्न क्र. 15 भूमि स्वामित्व	▪ परिवार के पास भूमि स्वामित्व एकड़ में लिखें। एक एकड = 0.40 हैक्टेयर, और 1 हैक्टेयर 2.47 एकड। यदि जानकारी बीघा में दी जा रही है तो अपने क्षेत्र के पटवारी से एक बीघा कितने एकड़ के बराबर है उसकी जानकारी लेकर बीघा को एकड़ में बदलकर लिखें । ▪ परिवार के पास उपलब्ध भूमि में सिंचाई के स्त्रोत का ब्यौरा तथा फसल का क्षेत्र, उत्पादन की जानकारी लेनी है।

11.	प्रश्न क्र. 16 पलायन के माह	▪ 3 माह तक के पलायन को ही लें। तीन माह का जोड़ अलग–अलग या एक साथ दोनों हो सकता है। परिवर द्वारा पलायन न करने की स्थिति में सिर्फ कोड़ 13 का ही उपयोग करे।
12.	प्रश्न क्र. 17 परिवार सदस्य विवरण	▪ परिवार के प्रत्येक सदस्य की जानकारी ली जाएगी। ▪ परिवार के सदस्यों की जानकारी को सहजकर्ता द्वारा उनकी उम्र के अनुसार विभाजित कर टेबल में भरा जाएगा जिसका उपयोग मईक्रो प्लान दस्तावेज में किया जाएगा।
13.	प्रश्न क्र. 18	▪ ऐसे बजुर्ग, आश्रित की संख्या लिखें जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर हैं।
14.	प्रश्न क्र. 19 परिवार का कौशल स्तर	▪ इस प्रश्न के जवाब को लिखते समय निम्न कोड़ो के अनुरूप जानकारी दी जाएः– कोई हुनर नही–1, लागू नही–2, रस्सी बनाना–3, कपडे सिलना–4, ईटे बनाना–5, कपडे बुनना–6, टोकनी बनान–7, बर्तन बनाना–8, मेसन (राज मिस्त्री)–9, सुतारी (लकडी का काम)–10, लोहारी–11, वर्मी कम्पोस्टिंग–12, बायोगैस तैयार करना–13, फुल पैदा करना–14, जैविक खेती–15, पम्प सैट की मरम्मत–16, साइकिल मरम्मत–17, जूते बनाना/मरम्मत करना–18, जडी बूटी तैयार करना–19, अन्य स्पष्ट करें –20
15.	प्रश्न क्र. 20 परिवार का व्यवसाय	▪ परिवार के मुख व्यवसाय को पहले कॉलम में लिखें। कृपया कोड का प्रयोग करें। इसी प्रकार अन्य व्यवसाय को दूसरे कॉलम में लिखे। कृपया कोड का प्रयोग करें। परिवार का मुख्य व्यवसाय वह होगा जिसमें परिवार के सदस्यों का ज्यादातर समय लगता हो।
16.	प्रश्न क्र. 21 खाद्यान्न कमी के माह	▪ खाद्यान्न की कमी वाले महीने को चिन्हित करें। खाद्यान्न की कमी से मतलब है कि परिवार को खाद्यान्न जुटाने के लिए बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।
17.	प्रश्न क्र. 24 परिवार के पास उपलब्ध पशु संसाधन एवं उपयोगिता	▪ कुल दुधारू पशु संख्या लिखें। दुधारू पशु के कॉलम में गाय, भैंस की कुल संख्या लिखें। Draught पशु के कॉलम में बैल, भैंसा, उंट, पाड़ा, सांड, गधा, खच्चर की कुल संख्या लिखें। छोटे पशु के कॉलम में बकरी, बकरा, भैड़, सूअर की कुल संख्या लिखें।
18.	प्रश्न क्र. 29 सामाजिक सुरक्षा	▪ सरकार एवं अन्य संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न योजनाएं जो कि हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा देती हैं जैसे कि जीवन बीमा, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन इत्यादि का उल्लेख करें।

3.2.2 परिवार सर्वेक्षण से आजीविका के मुख्य आधार एवं संसाधन सूची का निर्माण

गांव में परिवार की वर्तमान आजीविका के संबंध में प्राप्त जानकारी को संकलित कर आजीविका के मुख्य आधार एवं संसाधन की सूची तैयार की जाएगी। परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र की जानकारी के आधार पर एक तरह के व्यवसाय से जुड़े परिवारों को एक साथ रख लिया जाये। आजीविका चित्रण की प्रक्रिया में सभी परिवार के सर्वेक्षण प्रपत्र की कुछ प्रमुख जानकारियों की एक सूची बनाई जायेगी जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि गांव में किस गतिविधि के लिए कितने परिवार या व्यक्ति जुड़े है। जैसे–

- परिवार के मुखिया एवं पिता/पति का नाम, जाति, गरीबी रेखा की पात्रता, सम्पन्नता वर्गीकरण, रोजगार गारंटी योजना में बनाया गया जॉब कार्ड का क्रमांक इत्यादि। इन जानकारियों के आधार पर परिवार की विभिन्न योजनाओं में पात्रता का आंकलन किया जाएगा।
- परिवार की वर्तमान आजीविका तथा उसे बेहतर बनाने के विकल्प एवं कार्यक्रम से अपेक्षा से आजीविका नियोजन की गतिविधियों को जान सकतं है एवं गांव में उपलब्ध संसाधनों से तुलना की जा सकती है।

सर्वे के आधार पर वर्तमान आजीविका की आवश्यकता की सूची

क्र.	परिवार के मुख्यिा एव पिता/पति का नाम	उम्र	परिवार के सदस्यों की संख्या	जाति	बीपीएल क्रमांक	सम्पन्नता वर्गीकरण कमांक	जॉब कार्ड क्रमांक	मुख्य व्यवसाय	अन्य व्यवसाय	रिमार्क
1	2	4	5		6	7	7	8		9

आजीविका के साधन– 1. कृषि, 2. कृषि मजदूरी 3. मजदूरी 4. दुकान, 5. पशुपालन 6. बकरी पालन 7. मछली पालन 8. बढ़ई 9. लोहार 10. परंपरागत कलायें 11. कुटीर उद्योग 12. वन उत्पादन 13. पशु (उत्पादन) दूध आदि, 14. नाई की दुकान, 15. किराना दुकान, 16 आटा चक्की, 17 मोटर साईकल रिपेयरिंग, 18 होटल/ढाबा इत्यादि

3.2.3 आजीविका के आधार पर परिवार का वर्गीकरण

बेसलाइन सर्वे में परिवार सर्वे की सूची के आधार पर प्रत्येक परिवार की आजीविका गतिविधि को ध्यान में रखकर वर्गीकरण किया जायेगा। जैसे– कृषि के माध्यम से अपनी आजीविका को बेहतर बनाने वाली गतिविधियों का चयन करने वाले परिवारों को एक साथ रखा जायेगा। जो परिवार पशुपालन, मछली पालन, सुअर पालन जैसी गतिविधि करना चाहता है उन सब की गतिविधि आधारित अलग–अलग सूची बनाई जायेगी। अर्थात परिवार सर्वे के आधार पर उनके रोजगार के अवसरों के आधार पर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र में रखा जाये (अनुक्रमणिका–2ः प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में लिए जा सकने वाले कार्य)। जिससे अलग–अलग क्षेत्र के विकास के लिए अलग–अलग रणनीति बनाई जा सके।

यदि किसी परिवार के दो सदस्य आजीविका के अलग–अलग क्षेत्रों में अपनी रूचि बताते है तो दोनों को अलग–अलग लिखा जाना चाहिए। आजीविका को बेहतर बनाना चाहते है तो दोनों व्यक्ति का नाम इस सूची में अलग–अलग लिखा जाना चाहिए। सूची/आजीविका चित्रण करने के बाद निम्न प्रारूप अनुसार आजीविका के आधार पर परिवारो का वर्गीकरण किया जायेगा।

परिवार सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर परिवार के वर्तमान आजीविका चित्रण कर लेने से आजीविका नियोजन करना संभव नहीं है क्योंकि जब तक गांव में उपलब्ध संसाधन, उनसे जुड़ी समस्याएं एवं विकल्प का आंकलन नहीं किया जाएगा, तब तक आजीविका को स्थायी नहीं बनाया जा सकता है। इसके लिए गांव सर्वे, संसाधन एवं सामाजिक मानचित्रण, सेवा अवसर चित्रण तथा गांव

वालों के साथ चर्चा इत्यादि सहभागी प्रक्रियाओं का संचालन करना होगा तथा तुलना करनी होगी की आजीविका गतिविधियों को संवहनीय कैसे बनाया जा सकता है।

आजीविका गतिविधि अनुसार परिवारों का वर्गीकरण

क्र.	अजीविका क्षेत्र	आजीविका गतिविधि	परिवार क्रमांक	परिवार के मुख्यिा/सदस्य का नाम	जाति वर्ग	बीपीएल क्रमांक	जॉब कार्ड क्रमांक	आर्थिक श्रेणी
1	2	3	4	6		8	9	10
1	प्राथमिक	कृषि विकास						
		पशुपालन						
		सिंचाई सुधार						
		डेयरी इत्यादि						
		अन्य						
2	द्वितीयक	लघु उद्योग						
		बढ़ईगिरी						
		लेहारगिरी, इत्यादी						
		अन्य						
3	तृतीयक	नाई की दुकान						
		मोटर साईकल रिपेयरिंग						
		किराना दुकान इत्यादि						
		अन्य						

3.2.4 गांव स्तरीय सर्वेक्षण

- **उद्देश्य** :– गांव में उपलब्ध संसाधन एवं सुविधाओं का आकलन करना।
- **कहॉ** :– अविवादित सार्वजनिक स्थल पर जैसे चौपाल, स्कूल आदि
- **कब** :– गांव का भ्रमण (ट्रांजेक्ट वाक) एवं परिवार का सर्वेक्षण होने के साथ या बाद।
- **किसके साथ**:– द्वितीयक आंकड़ों के लिए संबंधित स्त्रोत से तथा प्राथमिक आंकड़ों के लिए गांव के जानकार के साथ जैसे – सचिव, सरपंच, पटवारी, बुजुर्ग, युवक आदि।
- **कितनी बार** :– जब तक गांव सर्वेक्षण प्रपत्र एवं उपलब्ध संसाधनों की पूर्ण जानकारी प्राप्त न हो जाए।

गांव को बेहतर समझने के लिए गांव सर्वेक्षण प्रपत्र के अतिरिक्त अन्य स्त्रोतों से भी जानकारी एकत्रित करना चाहिए। प्रत्येक गांव की जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन आदि संबंधित जानकारियों को निम्न स्त्रोंतों से प्राप्त किया जा सकता है।

विषय	आवश्यक जानकारी	जानकारी किससे एवं कैसे लें	जानकारी कौन एकत्रित करेगा
गांव का विवरण	▪ गाँव का नाम, पंचायत, तहसील, जिला आदि ▪ तापमान, वर्षा, कुल घरों की संख्या, आबादी ▪ जातिवार एवं भू–स्वामित्व के अनुसार परिवार ▪ कुल क्षेत्र	गॉव वालों से, पटवारी, जलग्रहण मानचित्र, टोपोशीट	आजीविका मित्र, पंचायत सचिव, सरपंच पंच एवं पी.एफ.टी. सदस्य

प्राकृतिक संसाधन			
भूमि	▪ कुल भूमि, वन भूमि, चरागाह ▪ सरकारी एवं निजी भूमि ▪ मिट्टी के प्रकार एवं गहराई ▪ भूमि कटाव से प्रभावित क्षेत्र, ▪ अतिक्रमर्ण की गई भूमि	पटवारी, रेवन्यू मानचित्र, पी.आर.ए.	आजीविका मित्र, ग्रामीण, पंचायत सचिव, सरपंच एवं पी.एफ.टी. सदस्य
जंगल	▪ कुल क्षेत्रफल, वर्गीकरण ▪ वृक्षों एवं घास की प्रजातियां ▪ जंगली पशुओं की जानकारी एवं जंगल से प्राप्त वनोपज के प्रकार एवं संग्रहण का समय। कितने लोग इस पर निर्भर हैं	वानस्पतिक सर्वेक्षण, वन विभाग रिकार्ड, पी.आर.ए.	आजीविका मित्र, पंचायत सचिव, सरपंच एवं पी. एफ.टी. सदस्य
कृषि	▪ कुल कृषि भूमि, सिंचित व असिंचित भूमि तथा सिंचाई के साधन ▪ दो फसली व एक फसली भूमि ▪ रबी व खरीफ की मुख्य फसलें, पैदावार एवं विपणन ▪ मुख्य सब्जी एवं फलदार वृक्ष का नाम एवं क्षेत्र	पटवारी, भू–उपयोग सर्वेक्षण, कृषि विभाग के दस्तावेज़	आजीविका मित्र, पंचायत सचिव, सरपंच, पचं एवं पी.एफ.टी. सदस्य

इन जानकारियों से अजीविका नियोजन में सहायता प्राप्त होगी। जैसे–गांव की भूमि उपयोग की जानकारी, गांव की भौगोलिक स्थिति, सिंचाई के साधन, किसानों के प्रकार, मुलभूत सुविधाओं की स्थिति आदि। इन सभी जानकारियों का संकलन करने के लिए परिशिष्ट–2 : गांव सर्वेक्षण प्रपत्र का इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रपत्र को भरते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाए।

1.	प्रश्न क्र. 1 से 28 तक गांव की सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न है।	● गांव का नाम, पंचायत, विकास खण्ड, तहसील एवं प्रमुख टोलों/फलियों की संख्या, सर्वेक्षित गांव राजस्व गांव या वन गांव है, गांव में वार्ड एवं पंचों की संख्या, इत्यादि ● यह जानकारी गांव वालों के साथ बातचीत करके ली जा सकती है।
2.	प्रश्न क्र 29 भौतिक संसाधनों की स्थिति	● गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा, पोषण तथा मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित संसाधनों की उपलब्ता, दूरी एवं वर्तमान स्थिति ● यह जानकारी गांव वालों से चर्चा कर के ली जानी चाहिए।
3.	प्रश्न क्र 30 : जल संवर्धन एवं सिंचाई से संबंधित जल संरचनाओं की स्थिति	● गांव में उपलब्ध विभिन्न जल संवर्धन संरचनाओं में जल की उपलब्धता एवं वर्तमान स्थिति की जानकारी ● यह जानकारी गांव वालीों के साथ चर्चा एवं संसाधन मानचित्र के माध्यम से ली जा सकती है।
4.	प्रश्न क्र 31ः पेयजल संरचनाओं की स्थिति	● गांव में उपलब्ध पेयजल के संसाधनों की जानकारी एकत्रित करने के लिए चर्चा एवं संसाधन मानचित्र का प्रयोग किया जाएगा।
5.	प्रश्न क्र. 32ः भूमि वितरण संबंधित	● गांव का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, कृषि, पड़त, वन, सिंचित, असिंचित, चरागाह, बसाहट आदि ● यह जानकारी पटवारी से मिलकर एकत्रित की जानी है।
6.	प्रश्न क्र 33 गांव की प्रमुख पॉच फसलें	● गांव में ज्यादातर जिस फसल को लगाया जाता है ऐसी

		प्रमुख पॉच फसलों का नाम लिखा जाए।
7.	प्रश्न क्र. 34 लघु–व्यवसाय/ सर्विस प्रोवाइडर की संख्या	• गांव में किराना दुकान, नाई की दुकान, मनिहारी, साइकिल मरम्मत दुकान, आटा–चक्की, कपडा दुकान, दर्जी, फोटोग्राफी, बांस आदि का कार्य, होटल, टेन्ट हाउस, लोहार, बढ़ई, नर्सरी, ईंट भट्टा, बैंड पार्टी, साउंड सिस्टम शॉप, सब्जी दुकान, हस्तकला, पान की दुकान, सेंट्रिंग व्यवसाय, सांस्कृतिक मंडली, इलेक्ट्रानिक दुकान, इत्यादि का विवरण दें
8.	प्रश्न क्र 35 गांव के स्थानीय संगठनों का विवरण	• गांव में उपलब्ध स्थानीय संगठनों की एक सूची तैयार की जाना चाहिए। • इस सूची में सदस्यों के नाम, उद्देश्य, वर्तमान स्थिति आदि की जानकारी होनी चाहिए। जिससे गांव आजीविका नियोजन में इसका उपयोग किया जा सके। • यह जानकारी गांव वालों के साथ वार्ड/मोहल्ला स्तरीय चर्चा से निकाली जा सकती है।

3.2.5 संसाधन एवं सामाजिक मानचित्र

- **उद्देश्य** :– गांव में उपलब्ध संसाधनों/सामाजिक संरचना की जानकारी प्राप्त करना।
- **कहॉ** :– अविवादित सार्वजनिक स्थल पर जैसे चौपाल, स्कूल आदि।
- **कब** :– गांव का भ्रमण (ट्राजेक्ट वाक), परिवार एवं गांव सर्वेक्षण पूर्ण करने के बाद यह अभ्यास करें।
- **किसके साथ**:– गांव वालों के साथ जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो।
- **कितनी बार** :– जब तक मानचित्रों में उपलब्ध संसाधनों की पूरी जानकारी प्राप्त न हो जाए।

सबसे पहले एकत्रित गांव वालों के साथ ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे आपसी समझ बढ़े एवं उनकी झिझक दूर हो सके। सहज वातावरण हो जाने पर उन्हें वहां एकत्रित होने का उद्देश्य बताना चाहिये। इसके बाद उपस्थित गांव वालों को जहां वे बैठे हैं उसी स्थान को अंकित करने के लिए प्रेरित करना चाहिये फिर पास वाला स्थान बनाने को कहें, जिससे धीरे–धीरे पूरा मानचित्र तैयार हो सकेगा। इस प्रकार गांव वालों से संसाधन एवं सामाजिक मानचित्रों को भी अलग से तैयार करवाया जाए।

3.2.5.1 संसाधन मानचित्र में कौन सी जानकारी लें

गांव में उपलब्ध जल, जमीन, जंगल, जानवर, गौण खनिज, भवन एवं संरचनाएं गांव के प्रमुख संसाधन है। गांव वालों की आजीविका इन संसाधनों पर ही आधारित होती है। इन्हें प्राकृतिक एवं भौतिक संसाधन कहा जा सकता है। इन संसाधनों की जानकारियां सहभागी एवं रोचक तरीके से गांव के लोगों से प्राप्त की जा सकती है। संसाधन मानचित्र में मुख्यतः निम्न जानकारियों का संकलन करने से आजीविका नियोजन करने में सहायता मिलेगी।

- गांव में कुआं, तालाब एवं बावड़ी आदि कहां–कहां पर है? इसमे कब तक पानी रहता है?, उनका क्या उपयोग है? कौन उपयोग करता है?
- गांव में नदी एवं नाला कहां–कहां फैला हुआ है? क्या इन पर स्टाप डेम/बोरी बंधान आदि बने हुए है? इनमें कब तक पानी उपलब्ध रहता है?
- गांव में वन भूमि कहां पर है। जंगल में किस तरह के पेड़–पौधे पाए जाते है। गांव वाले वन से कौन–कौन सी वनोपज लाते है, कब लाते है, जंगल से क्या–क्या प्राप्त होता है आदि।

- गांव में खेत, बाग, बगीचे कहां है, कृषि के लिए उपजाऊ जमीन, औसत और पड़त/बर्रा भूमि कहां है।
- गांव में उपलब्ध गौण खनिज जैसे–पत्थर, रेत, गिट्टी, मुरम, कोपरा आदि
- गांव में सिंचित जमीन कहां है, उसके सिंचाई के क्या साधन है, किस तरह की फसले, फल, सब्जी ली जाती हैं आदि।
- गांव में किस तरह के पशु रहते है, उनके चारे की क्या व्यवस्था है, संकर प्रजाति के कौन से पशु है।
- इसके अलावा गांव वालों से यह भी पूछा जाए कि इन संसाधनों का उनकी आजीविका से क्या संबंध है। इन संसाधनों में कौन से और सुधार किए जाए या किस तरह उपयोग किया जाए जिससे उनकी आजीविका को बेहतर बनाया जा सके।
- गांव में स्कूल, आंगनवाड़ी, अस्पताल, सड़क आदि
- घरेलू तथा खेती के लिए विद्युत लाईन
- उचित मूल्य की दुकान, अनाज भण्डारण केन्द्र

3.2.5.2 सामाजिक मानचित्र में कौन सी जानकारी लें

सामाजिक मानचित्र बनाने का मुख्य उद्‌देश्य गांव में सामाजिक संरचना को समझना है। गांवों में आज भी उनका जीवन उनके तीज–त्यौहार के अनुसार चलता है। आज भी गांव में अपनी सामाजिक मान्यताएं विद्यमान है जिन्हें अनदेखा करके आजीविका नियोजन नहीं किया जा सकता है। सामाजिक मानचित्र से निम्न जानकारियॉ सहभागी एवं रोचक तरीके से प्राप्त करने से गांव की सामाजिक स्थिति समझी जा सकती है।

- गांव में अलग–अलग जाति के लोगों की बसाहट अलग–अलग हो सकती है इसलिए गांव की बसाहट को अंकित किया जाए। जातिगत/धर्मगत बसाहट इत्यादि
- गांव की गलिया एवं उनमें बनी कच्ची–पक्की सड़कें। इन गलियों से जुड़ी सड़के एवं पहुच मार्ग
- गांव में घरों की स्थिति जैसे– कच्चे, पक्के, झोपड़ी
- मन्दिर, चौपाल, दुकान, इत्यादि

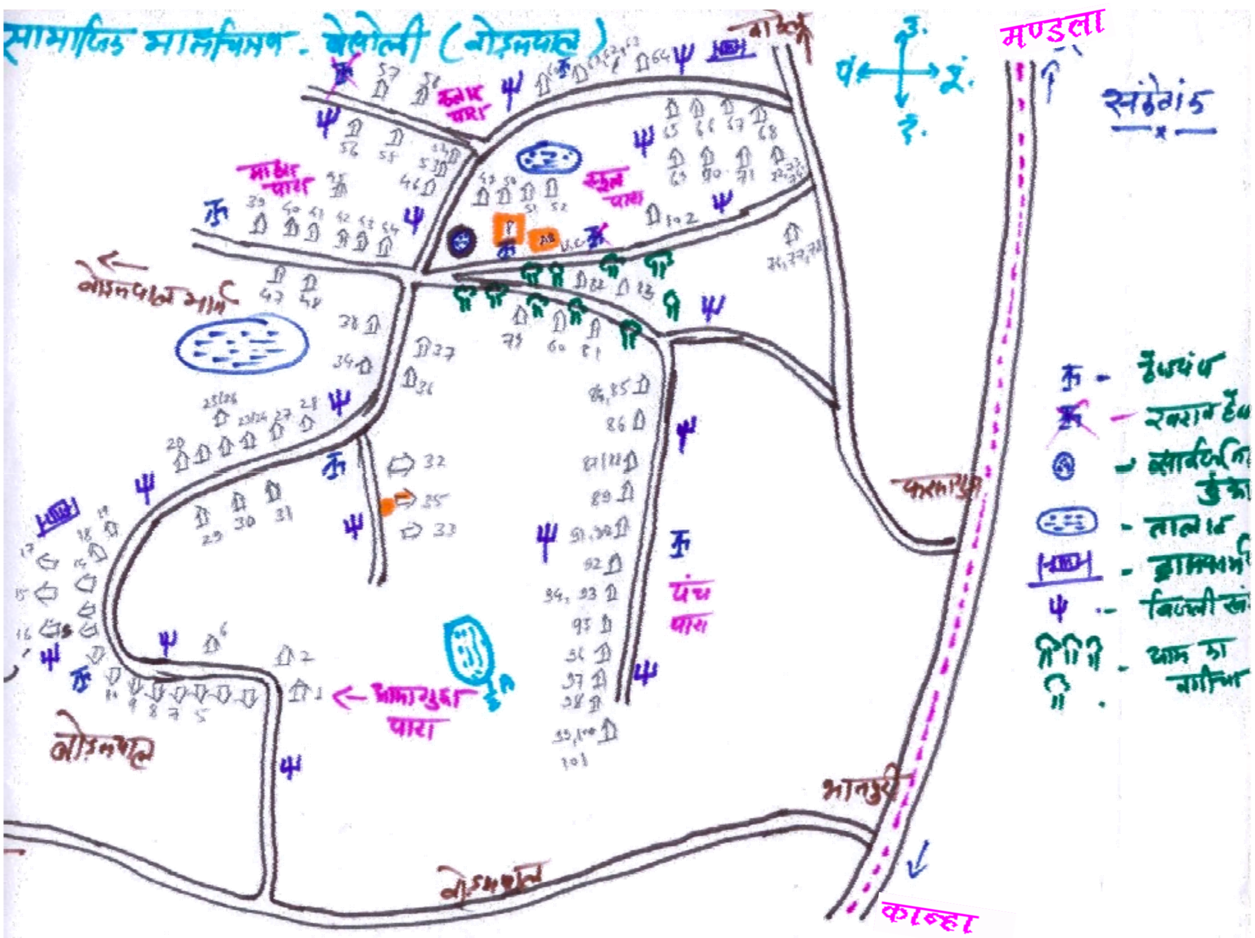

3.2.6 सेवा के अवसरों का चित्रण

सेवा अवसरों के चित्रण करने का उद्देश्य यह है कि यह पता लगाया जा सके की गांव वाले किन–किन सुविधाओं के लिए दूसरे गांवों अथवा निकटतम कस्बा/शहर पर निर्भर करते है और अन्य गांव के लोग किन सेवाओं को लेने के लिए गांव में आते है। सेवा के अवसरों का चित्रण गांव वालों के साथ चर्चा करके किया जा सकता है। गांव वालों से चर्चा करते समय निम्न सेवाओं के बारे में जानकारियां लेने से आजीविका नियोजन की प्रक्रिया आसान होगी । इन जानकारियों का उपयोग समस्या के विश्लेषण तथा विकल्प तय करने के लिये किया जा सकता है।

- सर्वप्रथम गांव में क्या–क्या सुविधाएं हो सकती है उसकी सूची बनाई जाना चाहिए। सहजकर्ता गांव के सर्वेक्षण प्रपत्र में मांगी गई भौतिक संसाधन की सूची का प्रयोग कर सकता है। गांव के सर्वेक्षण प्रपत्र के अलावा और जानकारी भी ली जा सकती है।
- खाद्य–बीज, घरेलू सामान, फसल, वनोपज इत्यादि के लिए बाजार की व्यवस्था।
- घरेलू एवं लघु व्यवसाय के लिए कच्चा माल, बिक्री की व्यवस्था इत्यादि।
- सड़क, परिवहन, यातायात, दूरसंचार इत्यादि की सेवा की उपलब्धता।
- प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां जाना होता है? शिक्षक कहा रहते है?
- इलाज की क्या व्यवस्था है? जैसे–सरकारी/निजी अस्पताल, डॉक्टर, दाई, ए.एन.एम., पशु चिकित्सालय इत्यादि
- प्रत्येक सुविधा के लिए गांव वालों से पूछा जाए कि क्या यह सुविधा गांव में उपलब्ध है या नहीं?
- यदि सुविधा गांव में नहीं है तो इस सुविधा को लेने के लिए गांव वाले कहां जाते है? वह स्थान गांव से कितनी दूर है और वहां जाने में क्या परेशानी और लाभ है।
- यदि सुविधा गांव में ही उपलब्ध है तो उसकी वर्तमान स्थिति कैसी है? क्या गांव वासियों के लिए यह सुविधा पर्याप्त है या इसमें सुधार किया जाना चाहिए?
- क्या ऐसी सुविधा गांव में भी आ सकती है ? उसके लिये क्या करना होगा ?
- अन्य गांवों से लोग किन सुविधाओं के लिए गांव में आते है?

3.2.6.1 संसाधन/सामाजिक मानचित्र बनाने मे ध्यान रखें

- लकड़ी या पेन लोगों के हाथ में देने की जल्दी ना करें। पहले आधार बनाने का प्रयास करें और लोगों का विश्वास अर्जित करें।
- प्रक्रिया चालू होने पर लकड़ी या पेन उन्हें दे दें।
- मानचित्र बनाने में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है (जैसे रंग में या आकार में) तो तुरन्त जानने का प्रयास करें कि ऐसा क्यों किया गया है।
- लोगों का उत्साह बढ़ाते रहें।
- महिला और पुरूष दोनों से अलग–अलग मानचित्र बनवाने से आपको दोनों के नजरिये से गांव को समझने का मौका मिलता है।
- सहजकर्ता को प्रयास करना चाहिए की मानचित्रण ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहभागिता के साथ किया जाये।
- विभिन्न समस्याओं, उपलब्धताओं एवं संभावनाओं के बारे में चर्चा करें।
- संसाधन एवं सामाजिक मानचित्रण करते समय निकली गुणात्मक जानकारियां जो मानचित्र पर अंकित किया जाना संभव नहीं है उन्हें अलग से लिखे ताकि उसका विश्लेषण किया जा सके।
- एक साथी मानचित्र बनाने वाले समूह का नेतृत्व कर सकता है। एक साथी प्रेरक का कार्य करे। एक–दो साथी लोगों के द्वारा बतायी जा रही जानकारियों का दस्तावेजीकरण करे जिससे कोई जानकारी छूट ना जाये।

नोट– संसाधन एवं सामाजिक मानचित्र एवं जानकारियां इकट्ठी करने की सहभागी प्रक्रियाओं को समझने के लिए अनुक्रमणिका–3 का अध्ययन करें।

3.2.7 उपेक्षित वर्गों के साथ समूह चर्चा

महिला मुद्दों की पहचान और उनका जुड़ाव : अनुभव यह रहा है कि कई बार पुरूषों ने जिन कामों को सबसे जरूरी बताया महिलाओं ने उन कामों को सबसे बाद में रखा। दोनों की जरूरतों और समस्याओं में अन्तर होता है। गांव में ज्यादातर महिलायें पानी भरती हैं तो उनके लिये पानी पहली जरूरत है जबकि पुरूष सड़क की बात पहले करते हैं। वो कहते हैं पानी तो मिल ही जायेगा दूर से ही सही क्योंकि पानी भरने में उनको मीलों दूर पैदल चलकर नहीं जाना पड़ता। वे महिलाओं के पीने के पानी को भरकर लाने में होने वाली तकलीफ को कैसे समझ सकते हैं। इसीलिये महिलाओं से बात करना बहुत जरूरी है कि उनकी क्या–क्या जरूरतें हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं जिन्हें वे पूरी तरह से हल करना चाहती है।

गरीब कमजोर उपेक्षित लोगों का ध्यान रखना : हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां के प्रभावी लोग, पटेल, सरपंच, जमींदार, साहूकार, पंचायत प्रतिनिधियों, जातियों के मुखिया इनको हम भरोसे में ले । लेकिन यह भी ध्यान रखें की जितना इनको भरोसे में लेना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम छोटे, गरीब, पिछड़े लोगों को अपने विश्वास में ले और उनका भरोसा जीतें। उनकी जरूरतों समस्याओं को समझें और कोशिश करे सबकी सहमति से उनके कामो को पहले पूरा किया जाये। इनकी समस्या को समझने के लिये हमे उनके साथ अलग से बात करनी चाहिये। ऐसा करने पर वे अपनी बातो को साफ –साफ बिना हिचक के बता सकेंगे। जब तक उनके साथ बैठकर अलग से बात नहीं करेंगे तब तक उनकी जरूरतें पता नहीं लगेगी।

3.2.8 विभिन्न योजनाओं के प्लान का अवलोकन

गांव के विकास के लिए राज्य एवं केन्द्र सरकारों के द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है। सहजकर्ता के लिए यह उपयोगी होगा यदि वह गांव में चलने वाली सभी योजनाओं की जानकारी एवं प्लान का अवलोकन कर लें, जैसे– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, बेकवर्ड रीज़न ग्राण्ट फॅण्ड प्रोगाम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इत्यादि । इससे सहजकर्ता को वर्तमान में चल रहे योजना एवं कार्यक्रम की जानकारी रहेगी और वह आजीविका आधारित योजना में प्रस्तावित गतिविधियों को अन्य योजना/कार्यक्रम से जोड़ने में गांव वालों की मद्द कर सकेगा।

गांव में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी जिनका गांव के लोगों के साथ काम पड़ता है जिनमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता, शिक्षक, पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिशु केन्द्र कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, गांव सेवक, आदि लोग हो सकते हैं। इन सबके साथ सम्पर्क करने से इनकी योजना निर्माण में मद्द मिलेगी क्योंकि ये लोग अपने–अपने सरकारी विभागों से चलने वाली योजनाओं के बारे में बता सकते हैं। गांव में निकली जरूरतों को अपने विभाग तक पहुंचाने में और विभाग की तरफ से किस काम में मदद की जा सकती है किस तरह का सहयोग किया जा सकता है, यह बात बता सकते है। जिससे हमें अपनी योजना को पूरा करने में मदद मिलेगी।

3.3 चरण 3 सम्पन्नता श्रेणीकरण (वेलबीइंग रेंकिंग)

परिवार सर्वे से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण गांव वालों के साथ करते हुए सम्पन्नता श्रेणीकरण या आकलन किया जाएगा। सम्पन्नता श्रेणीकरण परिवार की आर्थिक स्थिति जानने के लिये किया जाता है। इसका आधार परिवार की आर्थिक एवं उपयोगी संसाधनों स्थिति होती है। इसमें गांव के सभी परिवारों को अमीर, मध्यम, गरीब तथा अति–गरीब परिवारों की श्रेणी में अंकित किया जाएगा। यह प्रक्रिया गांव वालों की सहभागिता के साथ की जायेगी।

- **उद्देश्य** :– परियोजना के क्रियान्वयन की यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है । इससे लक्षित परिवारों का चयन किया जाता है। अतः इसे काफी सावधानी के साथ किया जाना चाहिये।
  - यह जानने के लिए कि गांव में हमारे लक्षित परिवार कौन से है।
  - गांव के परिवारों का तुलनात्मक रूप से सम्पन्नता वर्गीकरण जानने के लिए।
  - समूहों के गठन के लिए एक वैधानिक आधार प्राप्त करने के लिये ।
  - गांव के परिवारों के बारे में समझ बढ़ाने के लिए।
- **कहॉ** :– अविवादित सार्वजनिक स्थल पर जैसे चौपाल, स्कूल आदि। जहां तक संभव हो प्रत्येक वार्ड स्तर पर किया जाना चाहिए।
- **कब** :– वातावरण निर्माण तथा परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से जानकारी एकत्रित करने के बाद। परियोजना सहयोग दल के अनुसार अनुकुल परिस्थितियों में, परंतु गांव में समूह गठन के पहले।
- **किसके साथ**:– गांव वालों के साथ जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो।
- **कितनी बार** :– कम से कम तीन बार अलग–अलग स्थान पर तथा विभिन्न वर्गो के साथ। यथासंभव एक बार महिलाओं के समूह के साथ। जब तक किया जाना चाहिए जब तक एक परिवार का नाम एक श्रेणी में दो बार न आ जाए।

सम्पन्नता श्रेणीकरण की प्रक्रिया को संचालित करने से पहले सहजकर्ता एवं ग्राम नियोजन समिति को निम्न तैयारी करने से गांव वालों के साथ विश्लेषण करने में सहायता प्राप्त होती है।

- सर्वप्रथम गांव में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार के मुखिया के नाम से एक सूची तैयार करनी चाहिए, जिससे सम्पन्नता श्रेणीकरण के समय कोई परिवार छूट न जाए।
- इस सूची में परिवार सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारियों को प्रत्येक परिवार के सामने लिखनी चाहिए। जैसे– खेती करने लायक जमीन कितनी है? कितना उत्पादन होता है? रोजगार के क्या साधन है? क्या परिवार के पास खुद का आवास है? इत्यादि
- पी.आर.ए. की जिस विधि से आप सम्पन्नता श्रेणीकरण करना चाहते है। उससे संबंधित सभी सामग्री की सूची बनाए और गांव में जाते समय यह सभी सामग्री अपने साथ लेकर जाए।
- गांव के लोगों के साथ मिलकर सर्वप्रथम सम्पन्नता श्रेणियों (अमीर, मध्यम, गरीब एवं अति गरीब) की परिभाषा तय की जाए।

3.3.1 सम्पन्नता श्रेणीकरण में ध्यान देने योग्य बातें

- जिस व्यक्ति ने परिवार सर्वेक्षण (बेसलाईन) का काम किया हो वही इस प्रक्रिया का संचालन करे तो विश्लेषण में सहायता मिलेगी ।
- गांव वालों के साथ सम्पन्नता श्रेणियों की परिभाषा तय करने में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में जितना समय लगे और जितनी अधिक सहभागिता हो उतनी स्पष्ट परिभाषा तय की जा सकती है।
- सम्पन्नता श्रेणियों की परिभाषा अलग–अलग गांव में अलग–अलग हो सकती है। इसलिए प्रत्येक गांव के लिए परिभाषा अलग से बनायी जाना बहुत जरूरी है।
- सम्पन्नता श्रेणीकरण अभ्यास के दौरान यह ध्यान देना चाहिए कि परिवार को किस श्रेणी में रखा जाना है इसकी जिम्मेदारी अति गरीब या अमीर परिवार के सदस्यों को नहीं दी जाना चाहिए।
- अभ्यास के दौरान यदि किसी परिवार का नाम तीन बार अलग–अलग श्रेणी में आता है तो उस परिवार से अलग से मिलकर बातचीत की जाना चाहिए और उसकी वास्तविक स्थिति का आंकलन किया जाना चाहिए।
- यदि किसी कारण से ऐसी समस्याएं पैदा हो जाएं जिन पर सहयोग दल का नियंत्रण नहीं हो तथा सम्पन्नता श्रेणीकरण करने के लिये गांव में उपयुक्त वातावरण नहीं हो तो क्रियान्वयन मार्गदर्शिका

के मापदण्ड के अनुसार लक्षित परिवारों के साथ कार्य शुरू करना चाहिए तथा गांव में उपयुक्त एवं अनुकूल वातावरण निर्मित होने के पश्चात ही सम्पन्नता श्रेणीकरण करना चाहिये।

नोट– सम्पन्नता श्रेणीकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए अनुक्रमणिका–4 का अध्ययन करे।

3.3.2 सम्पन्नता श्रेणीकरण का अनुमोदन

उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर गांव के सभी परिवारों की सूची बना ली जाये एव गांव सभा में इसका अनुमोदन कर लिया जाये। गांव सभा में सूची का अनुमोदन करते समय संकुल स्तरीय सदस्य द्वारा सम्पन्नता श्रेणीकरण/वेल्थ रेंकिंग के बारे में गांव वालों को जानकारी दी जाए। इस सम्पन्नता वर्गीकरण के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है इसकी भी जानकारी गांव वालों को दी जाए। इसके बाद प्रत्येक परिवार के मुखिया के नाम से उसकी श्रेणी का उल्लेख किया जाए। गांव वालों द्वारा यदि किसी परीवार की श्रेणी को बदलने की बात से ज्यादातर गांव वाले सहमत हों तो उसे बदलते हुए संशोधित सूची का अनुमोदन किया जाए। इस प्रक्रिया को गांव सभा की कार्यवाही पुस्तिका में लिखा जाये।

- उपरोक्त प्रक्रिया से सम्पन्नता श्रेणीकरण होने के बाद चारों श्रेणी के परिवारों की सूची तैयार की जावेगी।
- अतिगरीब परिवारों का क्रम 1 से प्रारंभ करें। उसके बाद गरीब, मध्यम एवं अमीर परिवारों के नाम लिखे जावे। उदाहरण के लिये यदि किसी गांव में कुल 100 परिवार हैं एवं उनमें 20 परिवार अतिगरीब, 40 परिवार गरीब, 30 परिवार मध्यम एवं 10 परिवार धनवानों की श्रेणी में है तो क्र. 1 से 20 तक अति गरीब परिवारों के नाम लिखे जावें, क्र. 21 से 60 तक गरीब परिवारों के नाम एवं क्र. 61 से 90 तक मध्यम परिवारों के तथा 91 से 100 तक अमीर परिवारों के नाम लिखें जावे।
- ग्राम सभा में परिवार सूची पढ़कर सुनाई जाए।
- इसमें जो भी परिवर्तन (छूटे हुए परिवारों को शामिल करना व जो परिवार गलती से जुड़ गए हों उन्हें हटाना) जरूरी हो वह किया जाए।
- विवादास्पद एवं ग्राम सभा द्वारा नये जोड़े गए परिवारों का सम्पन्नता श्रेणीकरण ग्राम सभा के सामने किया जाए।
- अब वैल्थ रैंकिंग अथवा सम्पन्नता श्रेणीकरण को फिर से पढ़कर सुनाया जाए।
- इसमें यदि कोई आपत्ति आती है तो ग्राम सभा में विचार कर अंतिम रूप दिया जाए।
- यदि ग्राम सभा में अमीर एवं मध्यम श्रेणी के परिवार अपना नाम लक्षित श्रेणी के परिवारों में शामिल करने हेतु अनावश्यक दबाव डालें तो सहयोग दल इन परिवारों के संबंध में पूर्व में अपने स्त्रोतों से इन परिवारों की आर्थिक स्थिति के संबंध में एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर ग्राम सभा को स्थिति स्पष्ट करे। अनुकूल परिस्थिति नहीं होने पर परिवार सूची का अनुमोदन अगली ग्राम सभा में करवाया जावे।
- अब गांव वालों को सभी परिवारों की संख्या की जानकारी दी जाए और यह बताया जाए।
- ग्राम सभा में अनुमोदन के बाद ग्राम सभा की कार्यवाही पंजी में सम्पन्नता श्रेणीकरण कार्यवाही की दर्ज कराकर परिवार सूची की एक प्रति जिला परियोजना इकाई को भेजी जावे एवं बाद में गांव में समूह गठन का कार्य शुरू किया जावे।

3.4 चरण 4 सामूहिक विश्लेषण

3.4.1 समस्या पहचान एवं प्रमुख कारण

योजना बनाते समय हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जिन लोगों के लिये योजना बन रही है उनके सबके साथ सीधी बातचीत हो। योजना बनाने का काम चाहे व्यक्तिगत लोगों के लिये किया जाये, चाहे किसी समूह के लिये किया जाये चाहे योजना पूरे गांव के लिये बनाई जाये हम योजना बनाते समय हमेशा ध्यान रखें कि जिनके बीच हम योजना बना रहे हैं उनकी क्या–क्या जरूरतें हैं वे क्या–क्या चाहते हैं? और उनकी क्या समस्याए है। समस्या पहचान एव उनके प्रमुख कारण की पहचान करते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

- प्रत्येक वार्ड स्तर पर अलग–अलग समस्याओं की पहचान, उनके प्रमुख कारण तथा उनसे प्रभावित वर्ग/परिवारों आदि का विश्लेषण अलग–अलग करें।
- लोगों के साथ चर्चा करके जो भी समस्यायें निकले उनकी एक सूची बना लेनी चाहिये। यहां यह बात ध्यान रखना चाहिए कि समस्या पहचान करते समय आजीविका को केन्द्र में रखा जाये।
- समस्याओं की सूची को अलग–अलग समूहों के साथ चर्चा कर लेनी चाहिए। इससे कई बार नई समस्याऐं भी गांव वालों को याद आ जाती है जिन्हें उसी सूची में जोड़ा जा सकता है।
- चर्चा के माध्यम से प्राप्त सभी समस्याओं को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक/प्रशासनिक श्रेणी में विभाजित किया जाना चाहिए।

3.4.2 गांव की मुख्य समस्याएं क्या हैं ? (प्रत्येक वार्ड स्तर पर देखें)

गांव की प्रमुख समस्याए निम्न उदहारणों के रूप में हो सकती है :–

1. पानी के बारे में

- पीने के पानी की स्थिति क्या है – क्या पानी खारा है
- पुराने तालाब का टूट जाना या मिट्टी आदि से भर जाना
- कुएं/हैण्डपम्प सूख जाते हैं
- महिलाओं को दूर से पानी लाना पड़ता है
- पशुओं के पानी पीने की क्या व्यवस्था है और उसमें क्या समस्या है
- सिंचाई के क्या साधन हैं और उसमें किस प्रकार की दिक्कते हैं। इत्यादि

2. कृषि के बारे में

- फसलों की पैदावार कम है
- समय पर बीज एवं खाद नहीं
- सिंचाई का क्षेत्र कम
- फसलों में बीमारी, खरपतवार आदि
- उन्नत किस्मों का प्रचलन नहीं
- उपज को बेचने की व्यवस्था नहीं इत्यादि।

3. भूमि के बारे में

- भूमि कटाव होता है (कटाव वाले क्षेत्र को चिंहित करें)
- भूमि क्षारीय है
- ज्यादातर भूमि पथरीली एवं कृषि अयोग्य है
- क्षेत्र पहाड़ी है और पानी बहकर चला जाता है इत्यादि।

4. पशुओं के बारे में

- पशुओं की नस्ल उन्नत नहीं है
- पशु दूध कम देते है
- पशुओं के बीमारी है और इलाज की व्यवस्था नहीं है
- पशुओं से मिलने वाले दूध, ऊन, मांस को बेचने की व्यवस्था नहीं है इत्यादि

5. चरागाह के बारे में

- पशुओं के लिए चारा पूरा उपलब्ध नहीं है
- चरागाह पर लोगों ने कब्जे कर लिए है
- चरागाह भूमि पर लोगों ने पेड़ काट लिए हो,
- चरागाह के प्रबन्धन की कोई व्यवस्था नहीं है
- जलग्रहण क्षेत्र में पड़ने वाले जंगल के संबंध में भी समस्याओं का उल्लेख करें। इत्यादि

6. महिलाओं के बारे में

- महिलाओं में साक्षरता की कमी
- जच्चा–बच्चा स्वास्थ्य की समस्या
- कुपोषण की समस्या
- लिंग भेद की समस्या इत्यादि।

3.4.3 समस्याओं का प्राथमिकीकरण (मैट्रिक्स अभ्यास)

सभी समस्याओं का समाधान एक साथ करना संभव नहीं हो पाता है। अलग–अलग लोगों, समूहों से प्राप्त विभिन्न जानकारियों के प्रकाश में अलग–अलग समस्याओं का उभरना स्वाभाविक है। चूंकि विकास के लिए उपलब्ध संसाधन सीमीत है इसलिए समस्याओं की प्राथमिकता तय करना जरूरी है। इसके लिए कई विधियॉ उपयोग में लाई जा सकती हैं, जैसे मैट्रिक्स, समस्या वृक्ष, आदि। इन समस्याओं के चयन में निम्न बातों का ध्यान रखने से हमें मद्द मिलेगी –

- सहजकर्ता को ध्यान रखना होगा कि आजीविका को सीधे प्रभावित करने वाली समस्याओं का समाधान पहले करने में गांव वालों में एकमत बनाया जाए।
- सहजकर्ता को अपनी क्षमतायें, उपलब्ध संसाधन, सुविधाओं का आंकलन करने में गांव वालों की मद्द करनी होगी तथा इसके अनुरूप प्राथमिकता तय करने की प्रक्रिया का संचालन करना होगा।
- जो प्राथमिकता तय की जा रही है उस समस्या का समाधान अभी करना क्यों जरूरी है, समाधान न करने से किस वर्ग को और कितना नुकसान हो सकता है इसका विश्लेषण करना जरूरी है।
- समस्या निवारण में किन स्त्रोतों से संसाधन की उपलब्धता हो सकती है इसका आंकलन करने में गांव वालों की मद्द करनी होगी।

हम प्रमुख समस्याओं को पता करने में चार बातों को ध्यान रखें तो हमें मदद मिलेगी ।

- पहले क्या जरूरी है ?
- किसके लिये जरूरी है ?
- कितना जरूरी है ?
- कब जरूरी है ?

बस इसी तराजू पर सबको तौल लें फिर जिस समस्या या जरूरत का पलड़ा भारी दिखे उसे हल करने की योजना बनाई जाए। सहजकर्ता की सुविधा के लिए अनुक्रमणिका–5 में समस्या की प्राथमिकता तय करने की प्रक्रिया को समझाया गया है। इसके साथ ही विभिन्न समस्याओं के आपसी श्रेणीकरण को समझने के लिये निम्न सारणी का उपयोग भी किया जा सकेगा:

समस्या / कारण	**कौन सा वर्ग प्रभावित हो रहा है**	**प्राथमिकता**
भू–क्षरण	समस्त किसान	3
खराब सिंचाई की सुविधा	केवल सीमान्त एवं लघु किसान	1
अच्छी गुणवता के बीजों का अभाव	समस्त किसान	2
कीटनाशक एवं अन्य रासायनिक दवाइयों का उपलब्ध न होना।	समस्त किसान	4
तकनीकी ज्ञान का अभाव	सीमान्त एवं लघु किसान एवं अन्य वर्ग	5

3.4.4 समस्याओं के समाधान एवं विकल्प

समस्या की प्राथमिकता तय करने के बाद तथा उसके कारणों का विश्लेषण करने के बाद यह तय किया जायेगा की इस समस्या को जड़ से दूर करने के लिये क्या–क्या किया जा सकता है। साथ ही यह भी तय करना होगा की सबसे अच्छा विकल्प क्या है। लोगों की सहमति तथा संसाधनों की उपलब्धता के साथ ही यह भी ध्यान देना होगा की वह विकल्प तकनीकी रूप से मान्य हो।

उदहारण– मण्डला जिले के नैनपूर विकास खण्ड के पटपरा गांव की समस्याओं का विश्लेषण करने के उपरांत विकल्पों की तलाश की गई। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

मुद्दा	**समस्या *प्राथमिकिकरण के आधार पर***	**विकल्प**
आर्थिक	• महिलाओं की अपनी आमदानी पर नियंत्रण नहीं • महुआ / लघु वनोपज संग्रहण / संवर्धन एवं विपणन की कमजोर व्यवस्था • अधिक दर पर ऋण उपलब्धता एवं साहूकारी व्यवस्थाये • कृषि उत्पादकता का अभाव • जानवरों का चिकित्सा सुविधा नहीं • उपलब्ध कौशल नई / उभरती आवश्यकताओं के लिए अपयुक्त नहीं • स्थानीय उपलब्ध शहद के विपणन व्यवस्था नही है	• स्थानीय बचत समूहों का गठन एवं उनको मजबूत करना • स्थानीय समूहों / समिति के माध्यम से क्रय विक्रय के लिए साख व्यवस्था बनाना। • बचत समूहों को एस.जी.एस.वाई / वित्तीय संस्थाओं तक पहुच तथा गांव कोष के माध्यम से सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराना। • कृषि विकास के लिए भूमि विकास एवं सिचाई व्यवस्था को मजबूत करना। • गो–सेवक को प्रशिक्षित करना एवं चिकित्सा सुविधा पर पहुंच बढ़ाना। • अर्द्ध कुशल राजमिस्त्रि कारीगरों की कौशल वृद्धि • शहद प्रसंस्करण के लिए वैज्ञानिक विधि पर प्रशिक्षण, संग्रहण एवं विपणन

समस्याओं की प्राथमिकता क्यों की गई है उसके कारण को भी स्पष्ट करें।

3.4.5 समस्याएं एवं वर्तमान स्थिति

इसके पश्चात् एक–एक समस्या को लेकर उनके समाधान हेतु विस्तृत चर्चा की जाए। किसी भी समस्या का कई प्रकार से हल किया जा सकता है।

उदाहरण : गांव में पीने के पानी की समस्या है

इसके समाधान के लिए गांव में निम्न में से कोई भी गतिविधि ली जा सकती है –

- अभी जो कुएं हैं उसे गहरा करना
- कुओं, हैण्डपम्पों को रिचार्ज करना।
- पानी की टंकी बनाकर वितरित करना
- हैण्डपम्प लगाना
- नया कुंआ खुदवाना

लेकिन इन सभी समाधानों के लिए धन की आवश्यकता एवं तकनीक भी अलग–अलग होगी। लेकिन सभी के परिणाम एक ही होगा यानि गांव में पानी पीने की व्यवस्था।

इसलिए गांव वाले मिल बैठकर निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर समस्याओं का समाधान ढूढें जो

- कम **खर्च** में अच्छा परिणाम मिले
- जिसकी **तकनीक** सरल हो तथा
- **रखरखाव** करना आसान हो।

उक्त प्रक्रिया करने के पश्चात विभिन्न गतिविधियों के लिए किस प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं इसके बारे में पता लगाना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी गांव में सिंचाई की स्थिति का आंकलन कर कोई गतिविधि का क्रियान्वयन करना है तो उसे इस सारणी से समझा जा सकता है। इसके साथ गांव में गतिविधि की प्राथमिकता उसके लोगो की आजीविका को संवहनीय बनाने में योगदान के आधार पर होना चाहिये ।

गतिविधि 1 – सिंचाई

वर्तमान में गांव में उपलब्ध सिंचाई के स्रोत एवं सिंचित क्षेत्र

सिंचाई के स्रोत	**संख्या**	**निजी**	**सामुदायिक**	**सिंचित क्षेत्र एकड में**
चेक डेम				
कुआं				
पोखर				
फॉर्म पोण्ड				
नहर				
उद्‌वहन सिंचाई योजना				

3.4.6 बाधाएं एवं अवसर विश्लेषण

विश्लेषण को करने से गतिविधियों को तय करने में असानी होती है। इससे ग्राम के स्तर पर न केवल यह पता चल जाता है कि किस प्रकार की गतिविधि के लिए क्या अवसर हैं एवं कौन सी बाधाएं आ सकती हैं। बल्कि इससे सम्पूर्ण नियोजन के आधार पर क्रियान्वयन की योजना भी आसानी तैयार की जा सकती है।

सिंचाई के लिए बाधाएं एवं अवसर विश्लेषण

वर्तमान संसाधन	बाधाएं	अवसर
चेक डेम	▪ पानी जाने की निकासी का स्थान टूट गया है ▪ गाद जमा हो गई है।	▪ समुदाय के साथ इस चेक डेम को सुधारा जा सकता है। ▪ इसकी गाद को निकाल कर खेतों में डाला जा सकता है।
कुआं	▪ गर्मी में सूख जाता है ▪ गहरा कम है	▪ किसानों से चर्चा करने पर वे 50 प्रतिशत तक राशि इसके सुधार के लिये देने को तैयार हैं
पोखर	▪ पोखर में पानी रोकने की क्षमता कम है	▪ परियोजना के माध्यम से इसकी क्षमता बढाने के लिये तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जा सकता है ▪ किसान अपनी ओर से इसके लिये आर्थिक या मजदूरी के रूप में सहयोग के लिए तैयार है
फॉर्म पोण्ड	▪ आर्थिक समस्या ▪ तकनीकी ज्ञान का अभाव	▪ उपयोगकर्ता 30 प्रतिशत तक अंशदान देने को तैयार है ▪ परियेाजना के पास तकनीक उपलब्ध है
नहर	▪ नहर में पानी नही पहुचता ▪ नहर जगह–जगह से टूटी हुई है ▪ अंतिम छोर तक पानी नही पहुँचता	▪ सिंचाई विभाग से संपर्क किया जाकर व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है। ▪ नहर को सुधारने के लिए किसान तैयार परंतु उनके पास पर्याप्त राशि नही है ▪ परियोजना राशि उपलब्ध करा सकती है ▪ किसान आगे आने को तैयार हैं
उद्वहन सिंचाई योजना	▪ पानी हैं लेकिन उसके उपयोग की कोई व्यवस्था नही	▪ किसान तैयार हैं ▪ परियोजना राशि के माध्यम से एक योजना तैयार की जा सकती है।

इसके साथ समुदाय के स्तर पर भी चर्चा करने पर उन्हे भी यह स्पष्ट रहेगा कि कौन सी गतिविधि उनके आजीविका को सुनिश्चित करने में मद्‌दगार रहेगी। ऊपर दी गई सारणी में सिंचाई के उदाहरण को दिया गया है इसी प्रकार अन्य गतिविधियों के लिए भी बाधाएं एवं अवसर विश्लेषण किया जा सकता है।

3.5 चरण 5 योजना निर्माण

इस चरण में विकल्पों के लिए गतिविधियों का चयन, उनपर होने वाला अनुमानित खर्च, अपने एवं अन्य स्त्रोत के माध्यम से वित्तीय प्रबंधन और बजट निर्माण पर प्रकाश डाला जा रहा है।

3.5.1 गतिविधियों का चयन

वार्ड स्तर पर समस्या की जानकारियॉ हमें अलग–अलग रूपों में प्राप्त होती है जैसे– शिक्षा, आजीविका, महिला, दलित, आदिवासी, किसान की समस्याएं इत्यादि। जिसका गांव स्तर पर विशलेषण कर गांव नियोजन किया जाना है। विश्लेषण करते समय ग्राम नियोजन समिति के सभी सदस्य एवं प्रत्येक वार्ड के कुछ गांव सभा सदस्यों का होना अनिवार्य होगा। इस बैठक में सभी वार्डों की समस्या एवं विकल्पों पर चर्चा कर गतिविधियों का चयन किया जायेगा।

हरेक गतिविधि के बारे में यह तय करना है किः

- गतिविधि कब होगी
- कहां पर होगी
- उसे करने की जिम्मेदारी किसकी व
- कितनी लागत आएगी।

उदाहरण 1ः यदि कोई प्रस्तावित कार्य पक्के निर्माण का हो जैसे कि एनीकट बनाना तो उसके लिए क्या करेंगे?

- सर्वप्रथम स्थान का चयन करें। स्थान ऐसा होना चाहिए जहां पर :
- कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा पानी रोका जा सके तथा
- जगह ऐसी होनी चाहिए जहां से पानी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा परिवार कर सकें।
- अगर चट्टान वाला स्थान हो तो मजबूती के हिसाब से ज्यादा फायदेमंद होगा।

लागत का अनुमान

इस प्रकार के कार्य की लागत का अनुमान लगाने के लिए गांव का कोई मिस्त्री एवं जलग्रहण विकास दल का इंजीनियर उपयोगी होगा। इस प्रकार के कार्य में

- पत्थर या ईटों का खर्च
- उनके जगह तक ले जाने का खर्च
- मजदूरी एवं मिस्त्री की दैनिक मजदूरी
- सीमेन्ट का खर्च इत्यादि

का अलग–अलग अनुमान लगाकर पूरे कार्य की अनुमानित लागत निकालें।

ग्राम आजीविका योजना ऐसा दस्तावेज होगा जिसमे कई प्रकार की गतिविधियों के प्रस्ताव शामिल होंगे। सभी प्रस्ताविक कार्यों की अलग–अलग अनुमान लगाकर सूक्ष्म नियोजन दस्तावेज में सम्मलित करें। किसी भी गांव में निम्न प्रकार की गतिविधिया हो सकती हैं।

- **सामाजिक अधोसंरचना के प्रस्ताव–** इस प्रकार के प्रस्ताव गांव की पूरी आबादी या उसके बड़े हिस्से को प्रभावित करते हैं, इनके उदाहरण हैं – स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा का ढांचा, आदि। बुनियाादी सामाजिक ढांचे के प्रस्तावों की योजना बनाने का काम और उनका क्रियान्वय गरीब लोगों से बनी समूह द्वारा किया जाएगा।
- **आजीविका आधारित अधोसंरचना के प्रस्ताव –** ये प्रस्ताव ऐसे अधोरचनात्मक–ढांचों से संबंधित हैं जो समूह की आय बढ़ाने की गतिविधियों में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, केन्द्रीय प्रोसेसिंग इकाईयां, मुर्गीपालन के उत्पाद बेचने के लिए बुनियादी–ढांचा बनाना, मछली पालन के तालाब निर्माण और पानी की उपलब्धता में वृद्धि आदि।
- **आमदनी मूलक एवं उद्यमिता विकास के प्रस्ताव–** ये प्रस्ताव व्यक्तिगत तथा समूह की आमदनी में वृद्धि के लिए बनाए जायेंगे। गांवो के ऐसे परिवार जो किसी प्रकार की उद्यमिता से संबंधित छोटी–छोटी गतिविधियों करते है उनके विकास के भी प्रस्ताव तैयार किए जायेगे। जैसे– किराना दुकान, मुर्गीपालन, डेरी, वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन, कुटीर उद्योग इत्यादि।
- **कृषि संबंधित तथा भूमि आधारित गतिविधियां–** भू–जल संरक्षण से संबंधित गतिविधियों के लिये अधिक बजट की आवश्यकता होती है। इनमे भूमि के कटाव को रोकने, उत्पादन बढ़ाने, मेढ़ बंधान, गली प्लगिंग, नाला बंधान, चेक डेम बनाना, तालाब बनाना, कुआं गहरीकरण इत्यादि या इससे संबंधित गतिविधियां रखी जाएगी।
- **क्षमता बढ़ाने संबंधित प्रस्ताव–** ये प्रस्ताव गांव के लोगों का कौशल या क्षमता बढ़ाने के लिए होंगे। जैसे किसी उद्यमिता की गतिविधि को प्रारम्भ करना, नई तकनीक पर प्रशिक्षण इत्यादि।

- **<u>नवाचार वाले तकनीकी प्रस्ताव–</u>** वित्तीय सहायता के लिए परियोजना सहयोग दल से आए नवाचार वाले तकनीकी और संस्थागत प्रस्तावों पर भी विचार होगा। जैसे सिंचाई की तकनीक में नवाचार, फसल उत्पादन की नई तकनीक का प्रदर्शन, इत्यादि।
- **<u>कई गांव के मिले–जुले प्रस्ताव–</u>** कुछ ऐसे प्रस्ताव हो सकते हैं जो कई गांवों को प्रभावित करेंगे। उदाहरण के लिए पशुपालन के अंतर्गत डेरी व्यवसाय के लिए चीलिंग प्लांट की स्थापना करना, कोई सिंचाई योजना, सार्वजनिक बुनियादी–ढांचा आदि। ऐसे प्रस्तावों को संबंधित गांव सभाओं द्वारा अनुमोदित होना जरूरी होगा लेकिन उन्हें मंजूरी जिला स्तर से मिलेगी।

उदाहरण 2: यदि चरागाह विकास का कार्य करना हो तो क्या करेंगे ?

सर्वप्रथम यह तय करना होगा कि कितने क्षेत्र में चरागाह विकसित करना है। (इसके लिए गांव में पशुओं की संख्या के अनुसार चारे की आवश्यकता क्या है, यह जानना उपयोगी होगा)

1. यह देखना होगा कि वर्तमान में चरागाह की स्थिति कैसी है ?
2. उस पर क्या–क्या कार्य करने आवश्यक है?
    - क्या चारों तरफ बाड़ लगाना जरूरी होगा और
    - बाड़ कांटेदार झाड़ियों की हो या
    - यदि आस–पास पत्थर उपलब्ध हो तो क्या पत्थर का कोट बनाना ठीक रहेगा।
3. घास की कौन सी प्रजाति लगेगी ? ऐसा निर्णय लेने के लिए यह देखें कि कार्य मजबूत हों और साथ ही लोगों को रोजगार भी मिल सके तथा सस्ता भी हो।

लागत का अनुमान लगाना

- प्रस्तावित चरागाह क्षेत्र के चारों ओर की सीमा को नाप कर देखें कि कुल कितनी बाड़ या पत्थर का कोट बनाना पडेगा। इसके बाद यह अनुमान लगाए कि एक मीटर लम्बी बाड बनाने पर कितना खर्च आएगा। इसके अनुसार पूरी बाड. की लागत निकल आएगी।
- बाद में यह देखना होगा कि चरागाह के अंदर क्या कुछ पेड़ लगाने की जरूरत है जिससे भविष्य में पत्तियों इत्यादि से चारा मिल सके या फिर घास लगाने से जरूरत का चारा मिल जाएगा। यदि पेड़ लगाने की योजना हो तो देखें कि कितने पेड़ लगाने होंगे और एक पेड़ लगाने पर कितना खर्च आएगा (गड़डा खोदना, पौध की कीमत, लगाने का खर्च, थोड़ा गोबर का खाद भी चाहिए एवं उसकी कीमत, चरागाह तक पौधों व खाद ढोने का खर्च, 1–2 पानी डालने का खर्च इत्यादि)। इस प्रकार पौधे लगाने के खर्च का अनुमान भी हो जाएगा। इसी प्रकार घास लगाने के लिए घास की बीज की कीमत और उसको मिट्टी के साथ मिलाकर गोलिया बनाना और उन बीज युक्त गोलियों को चरागाह में बिखेरना, इससे घास लगाने का खर्च निकल आएगा।
- चरागाह की देखभाल के लिए यदि चौकीदार रखना आवश्यक है तो उसका मानदेय भी तय करना पडेगा लेकिन उसे चरागाह विकास के कार्य में न जोडकर अलग से प्रशासनिक कार्यों में जोड़ा जाना चाहिए।

3.5.2 बजट निर्माण

गांव आजीविका आधारित योजना निर्माण में निकली गतिविधियों के बजट को बनाते समय यह निम्न बातों को ध्यान रखा जाए –

- प्रस्तावित कर्यों को छोटी–छोटी गतिविधियों में विभाजित कर उनकी लागत निकाली जाए।
- गतिविधियों के क्रियान्वयन में संसाधन कहा से उपलब्ध हो सकते है यह तय किया जाए।
- इसमें विभिन्न योजनाएं, गांव में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन तथा लोगों द्वारा दिये योगदान को ध्यान में रखने की जरूरत है।

- सहजकर्ता को यह ध्यान रखना होगा कि अन्य स्त्रोतों से संसाधन का प्रबंध न होने पर ही परियोजना के संसाधनों का उपयोग किया जाए।

बजट प्रारूप

समस्या निवारण हेतु प्रस्तावित कार्य : .... प्रस्तावित वर्ष : ....

क्रमांक	गतिविधि का विवरण	इकाई	प्रति इकाई दर (रूपये में)	कुल लागत (रूपये में)	योगदान (रूपये में)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
कुल बजट राशि					
नोटः–प्रत्येक प्रस्तावित कार्य के लिए अलग–अलग विस्तृत बजट तैयार किया जाना है					

3.6 चरण 6 सूक्ष्म नियोजन दस्तावेज निर्माण

गांववालों के आजीविका परियोजना के पूर्व अनुभवों को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया है कि परियोजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले सभी सूक्ष्म नियोजन दस्तावेज का प्रारूप एक जैसा रहे। कई बार हम सभी पक्षों को ध्यान में रख कर योजना निर्माण की प्रक्रियाओं को चलाते है लेकिन इनके दस्तावेजीकरण के समय अपनी सुविधा एवं आवश्यकता को प्राथमिकता देते है। जिससे कुछ दस्तावेजों में आवश्यकता से अधिक जानकारियां एकत्रित हो जाती है, जिसका योजना निर्माण में उपयोग नहीं हो पाता। वहीं कुछ दस्तावेज में बहुत कम जानकारी होती है जिसके कारण सही योजना निर्माण संभव नहीं हो पाता है।

योजना के दस्तावेज के प्रारूप को उपयोग करने का उद्देश्य यही है कि सभी गांव आजीविका आधारित योजना में न्यूनतम आवश्यक जानकारियां उपलब्ध रहे जिससे उनका संकलन कर क्लस्टर/संकुल स्तरीय नियोजन किया जा सके। योजना निर्माण **सूक्ष्म नियोजन दस्तावेज का प्रारूप परिशिष्ट–3** में दिया गया है।

योजना के दस्तावेज में योजना निर्माण की सभी प्रक्रियाओं से प्राप्त जानकारियां रहेगी। इस दस्तावेज में टेबलों के रूप में जानकारियों को प्रदर्शित किया जायेगा तथा टेबल की जानकारियों का संख्यात्मक एवं गुणात्मक विश्लेषण किया जाएगा।

किस जानकारी की तुलना किससे की जा सकती है और गुणात्मक जानकारी के रूप में किन बातों को शामिल किया जा सकता है उसे नीचे समझाया जा रहा है। जैसा आप जानते हैं कि प्रत्येक गांव की संरचना, संसाधन, सामाजिक परिप्रेक्ष्य इत्यादि अलग–अलग होता है इसलिए निम्न विश्लेषण के अतिरिक्त जानकारियों को भी शामिल किया जा सकता है। दस्तावेज बनाते समय कम से कम निम्न

जानकारियों को शामिल किया जाना अनिवार्य होगा जिससे परियोजना के सभी दस्तावेज में एकरूपता रहे।

यह दस्तावेज दो भागों में तैयार किया जायेगा।

- **भाग एक** में गांव की सामान्य जानकारी तथा उसका विश्लेषण शामिल किया जायेगा।
- **दूसरे भाग** में वार्ड वार समस्याओं के विश्लेषण के आधार पर गांव की योजना तैयार की जायेगी।

3.6.1 भाग–1 : गांव की सामान्य जानकारी का विश्लेषण

1. गांव का परिचय

दस्तावेज की शुरूवात गांव के परिचय के साथ की जाएगी जिसमें मुख्यतः निम्न बातों का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा। इन जानकारियों का संकलन गांव के जानकार व्यक्तियों से चर्चा कर प्राप्त की जा सकती है।

- गांव का नाम, गांव पंचायत, विकासखण्ड, तहसील, परियोजना का संकुल, जिला, विधानसभा एवं संसदीय क्षेत्र का नाम लिखा जाए।
- यह स्पष्ट रूप से लिखें की यह गांव राजस्व गांव है या वन गांव है।
- गांव आजीविका नियोजन की प्रक्रिया वार्ड वार संचालित की जाना है अतः वार्डों की संख्या तथा पंचों की संख्या का उल्लेख किया जाए। पंचों की संख्या में महिला एवं पुरूषों की संख्या को स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए।
- गांव की विकास खण्ड तथा जिला मुख्यालय से दूरी, गांव की कच्ची एवं पक्की सड़क से दूरी।
- गांव की बसाहट का उल्लेख करे, यह लिखें की लोग कहां–कहां रहते है, गांव में शामिल टोलो/फलियों की संख्या तथा उनका नाम लिखें
- गांव के बुजुर्गों से चर्चा कर के यह पता लगाया जाए कि गांव कितना पुराना है, गांव का नाम किसके ऊपर रखा गया है इत्यादि
- गांव की अन्य सामान्य जानकारी जैसे –
  1. गांव में कुल परिवारों की संख्या
  2. गांव की कुल जनसंख्या (जनगणना 2001 के अनुसार)
  3. गांव का भौगोलिक क्षेत्रफल
  4. बी.पी.एल परिवारों की संख्या
  5. महिला मुखिया परिवारों की संख्या
  6. गांव में विकलांगों की संख्या
  7. परित्यक्ता महिलायें, विधवा महिलायें, एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन वाले परिवार
- जहां तक संभव हो विकास खण्ड के नक्शे पर संबंधित गांव के स्थान को हाईलाईट करते हुए दिखाया जा सकता है। साथ ही यह भी दिखाया जा सकता है की गांव तक पहुंचने के कौन–कौन से मार्ग हो सकते है।

1.1 गांव की सामाजिक स्थिति

ग्राम की जनसंख्या की जानकारी

- इस भाग में गांव की जनसंख्या, शिक्षा एवं जातिवार परिवारों की वर्तमान संख्या का उल्लेख किया जाना है। जिससे गांव के परिप्रेक्ष्य में यह समझ विकसित हो सके की गांव में जातिगत तथा महिला पुरूष विभाजन कैसा है। गांव में शिक्षा की स्थिति कैसी है आदि।
- जनसंख्या की वर्तमान एवं वास्तविक स्थिति के आंकड़े परिवार सर्वेक्षण के ***प्रश्न क्रमांक 17*** में परिवार के सदस्यों की जानकारी से प्राप्त किये जायेंगे।

विवरण	महिला					पुरूष				
	अ. जा.	अ.ज. जा.	पि. वर्ग	सामान्य	कुल	अ. जा.	अ.ज. जा.	पि. वर्ग	सामान्य	कुल
0–6 वर्ष के										
6–14 वर्ष के										
14–40वर्ष के										
40–60वर्ष के										
60 वर्ष से अधिक										
कुल										
स्रोत : परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र के प्रश्न क्रमांक 17 से										

गांव में शिक्षा की स्थिति 14 वर्ष से उपर वाले गांव वालों की जानकारी

- गांव में 14 वर्ष के ऊपर के लोगों में शिक्षा स्तर देखने के लिए परिवार सर्वेक्षण के प्रश्न क्रमांक 18 का उपयोग किया जाएगा। निम्न टेबल की जानकारी को संकलित करने के लिए सहजकर्ता को प्रत्येक परिवार प्रपत्र की जानकारियों के आधार पर शिक्षा स्तर की सूची बनानी होगी।

विवरण	साक्षर	5वी तक	10वी तक	12वी तक	12वी से अधिक	कुल
महिला						
पुरूष						
कुल						
स्रोत : परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र के प्रश्न क्रमांक 17 से						

जातिवार परिवारों की संख्या

- आजीविका आधारित नियोजन में जाति का महत्व ज्यादा होता है। हमारे गांवों में आज भी कई परिवार परंपरागत कार्य करते है। हर गांव में ऐसे एक दो परिवार मिल जाते है जिनका पीढ़ियों से अपनी आजीविका का यही साधन होता है। उदहारण के लिए नाई का कार्य करने वाले, बढ़ई का कार्य करने वाले, लोहारी का कार्य करने वाले, मछली पकडने वाले, कपडे धोने वाले, हलवाई का कार्य करने वाले, सब्जी बेचने वाले, दूध बेचने वाले इत्यादि अपने परंपरागत कार्यों के लिए जाने जाते है।
- इस जानकारी का उद्देश्य यह है पारंपरिक व्यवसाय आधारित परिवारों की बहुलता हो तो उन्हें संगठित कर उनकी आजीविका बेहतर बनाने का प्रयास किया जा सकता है।
- इस जानकारी का संकलन परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र के प्रश्न क्रमांक 13 से किया जा सकता है।

क्र	जाति का नाम	परिवार संख्या	क्र	जाति का नाम	परिवार संख्या
1			8		
2			9		
3			10		
4			11		
5			12		
6			13		
स्रोत : परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र के प्रश्न क्रमांक 13 से					

1.2 गांव के स्थानीय संगठनों का विवरण

- गांव वालों के साथ चर्चा करके निम्न टेबल में यह जानकारी एकत्रित कर यह पता लगाया जा सकता है कि गांव में कितने समूह/संगठन है।
- गुणात्मक जानकारी के रूप में इन संगठनों के उद्देश्यों, कार्य एवं वर्तमान स्थिति को लिखा जाए। यह भी देखा जाए की इन संगठनों को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है।
- यह भी देखा जा सकता है कि यह संगठन गांव आजीविका आधारित योजना निर्माण एवं उसके संचालन में किस तरह से सहायक हो सकते है।

गांव के स्थानीय संगठनों का विवरण

संगठन	संख्या	महिला सदस्य	पुरुष सदस्य
स्व सहायता समूह			
वन समिति			
ग्राम विकास समिति			
महिला मंडल			
भजन मंडली			
युवक/युवती मंडली			
पालक शिक्षक संगठन			
निगरानी समिति			

स्रोत : ग्रामीणों के साथ समूह चर्चा के माध्यम से

1.3 गांव में आजीविका की स्थिति

गांव की जमीन की जानकारी

- गांव में भूमि के विवरण की जानकारी पटवारी या तहसील के रिकार्डों से प्राप्त की जा सकती है।

क्रमांक	वितरण	हेक्टेयर में
1	कुल क्षेत्रफल	
2	सिंचित भूमि	
3	असिंचित भूमि	
4	पड़त भमि	
5	बसाहट	
6	चरागाह	
7	वन क्षेत्र	

स्रोत : पटवारी या तहसील के रिकार्ड

भूमि के आधार पर परिवारों का वर्गीकरण

- यह जानकारी परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र के प्रश्न क्रमांक 15 में परिवार की भूमि के संबंध में जो जानकारी प्राप्त की जा रहीं है उसके आधार पर तैयार की जानी है। इसे बनाने के लिए कुल भूमि स्वामित्व की एक सूची बनाई जाए और उसे भूमि आकार के आधार पर बढ़ते या घटते क्रम में जमाकर यह जानकारी संकलित की जा सकती है।
- इस जानकारी की तुलना जाति एवं वर्ग वार करने से यह जाना जा सकता है कि किस जाति/वर्ग के लोगों के पास कितनी भूमि है, किस प्रकार की भूमि है। किस वर्ग के लोग सर्वाधिक भूमिहीन है और उनके आजीविका के क्या साधन है इत्यादि।
- साथ ही संसाधन मानचित्रण के समय बड़े किसानों के खेत एवं गांव में उपलब्ध संसाधनों का चिन्हांकन कर भूमि स्वामित्व का विशलेषण किया जा सकता है।

क्रमांक	कृषकों का प्रकार	संख्या	प्रतिशत
1	सीमांत कृषक (0.25 से 1 एकड़ तक)		
2	लघु कृषक (1 से 3 एकड़ तक)		
3	मध्यम कृषक (3 से 5 एकड़ तक)		
4	बड़े कृषक (5 से अधिक)		
5	भूमिहीन		
	योग		
स्रोत : परिवार सर्वेक्षण के प्रश्न क्रमांक 15 से			

गांववालों की वर्तमान आजीविका

- चरण 2 ''जानकारी इकट्ठी करना'' के अध्याय में परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र के आधार पर आजीविका चित्रण कैसे किया जाना है बताया गया है। आजीविका चित्रण की जानकारी के आधार पर निम्न टेबल में जानकारी भरी जा सकती है।
- गांव वालों की वर्तमान आजीविका को जाति एवं सम्पन्नता श्रेणी से तुलना कर विश्लेषण करने से गांव के परिप्रेक्ष्य में यह समझा जा सकता है कि किस जाति या वर्ग के लोग किस तरह के काम करते है तथा उनकी आर्थिक क्षमता के विश्लेषण से देखा जा सकता है कि गांव में आजीविका के क्या अवसर हो सकते है।

क्र	रोजगार के क्षेत्र से जुड़े परिवार	मुख्य व्यवसाय के आधार पर		अन्य व्यवसाय के आधार पर	
		व्यक्तियों की संख्या	परिवार की संख्या	व्यक्तियों की संख्या	परिवार की संख्या
1	प्राथमिक क्षेत्र				
2	द्वितीयक क्षेत्र				
3	तृतीयक क्षेत्र				
योग					
स्रोत : परिवार सर्वेक्षण के प्रश्न क्रमांक 17 के कॉलम क्रमांक 6 एवं 7 से					

- परिवार के कौशल की जानकारी के लिए परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र के प्रश्न क्रमांक 19 के आधार पर निम्न टेबल में जानकारी भरी जाये।
- गुणात्मक जानकारी के रूप में गांववाले इन कौशल से अपनी आजीविका कैसे चला रहे है, इसमें क्या समस्या आ रहीं है इत्यादि जानकारियों का विश्लेषण किया जाये।

क्र	परिवार का कौशल स्तर	कुल परिवार	क्र	परिवार का कौशल स्तर	कुल परिवार
1	रस्सी बनाना		10	वर्मी कम्पोस्टिंग	
2	कपडे सिलना		11	बायोगैस तैयार करना	
3	ईटे बनाना		12	फुल पैदा करना	
4	कपडे बुनना		13	जैविक खेती	
5	टोकनी बनान		14	पम्प सैट की मरम्मत	
6	बर्तन बनाना		15	साइकिल मरम्मत	
7	मेसन (राज मिस्त्री)		16	जूते बनाना/मरम्मत करना	
8	सुतारी (लकडी का काम)		17	जडी बूटी तैयार करना	
9	लोहारी		18	अन्य स्पष्ट करें	

सिंचाई की वर्तमान स्थिति

- सिंचाई संबंधित जानकारी का संकलन करने के लिए परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र के प्रश्न क्रमांक 15 के सिंचाई के स्त्रोत की सूची तैयार कर उपयोग किया जायेगा।
- गुणात्मक जानकारी के रूप में सिंचाई में उपयोग होने वाली तकनीक, साधन एवं समस्याओं का विश्लेषण किया जाना होगा।
- परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र के प्रश्न क्रमांक 25 में पूछी गई जानकारी (जैसे– परिवारों के पास ट्रेक्टर, पम्प सेट, थ्रेसर, जनरेटर इत्यादि) का विश्लेषण सिंचाई संसाधन एवं लाभान्वित कृषक परिवारों से किया जाना होगा।

क्र	संसाधन का नाम	सिंचित क्षेत्रफल(हे.)	लाभान्वित कृषक परिवार संख्या					टिप्पणी
			अ.जा.	अ.ज.जा	पि.वर्ग	सामान्य	योग	
1	कुआं/बावडी							
2	ट्यूबवेल							
3	तलाब							
4	स्टॉप डेम							
5	नदी							
6	नाला							
7	अन्य							

गांव में निर्मित जल संरक्षण/संवर्धन संरचनाए

- गांव सर्वे प्रपत्र के प्रश्न क्रमांक 30 से निम्न जानकारी संकलित की जाना है।
- संसाधन मानचित्र के दौरान भी गांव में उपलब्ध सिंचाई के संसाधनों की स्थिति के बारे में पुछा जाना है।
- गुणात्मक जानकारी के रूप में जल स्तर, वर्षा, तापमान इत्यादि जानकारियों से तुलना करते हुए गांव में निर्मित जल संरक्षण एवं संवर्धन संरचनाओं की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण किया जाये।
- गांव के किस नदी/नाले पर कितनी संरचनाए बनी है, खेतो में कितनी संरचनाए बनी है उनका उल्लेख करना आवश्यक है।
- इन संरचनाओं में वर्षभर जल की उपलब्धता रहती है तो क्या वहां सिंचाई के अतिरिक्त मछली पालन गतिविधि हो सकती है।
- जिन संरचनाओं में 3 माह तक ही जल की उपलब्धता रहती है उसके मुख्य कारण कम वर्षा के अतिरिक्त क्या है इसका उल्लेख किया जाना चाहिए।

क.	संरचनाए	संख्या	वर्तमान स्थिति			जल की उपलब्धता			यदि जीर्णोद्वार/उन्नयन की आवश्यकता है तो विवरण दे
			अच्छी	औसत	खराब	3 माह	6 माह	बारामासी	
1	सिंचाई तलाब								
2	तलाई/डबरी								
3	स्टापडेम								
4	निस्तारी तालाब								
5	पक्के चेक डेम								
6	शास.कुऑ/बावडी								
7	नीजि कुआ								
8	अन्य								

स्रोत :गांव सर्वे प्रपत्र के प्रश्न क्रमांक 30 से

1.4 गांव में फसल एवं उत्पादन की स्थिति

ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का मुख्य स्त्रोत कृषि आधारित होता है। वर्षा के मौसम में होने वाली फसलों को खरीफ (मक्का, जवार इत्यादि), ठंड के मौसम में सिंचाई से होने वाली फसलों को रबी (गेहूं, चना इत्यादि), गर्मी के मौसम में होने वाली फसलों को जायद (तरबूज, खरबूज इत्यादि) तथा 8 माह या उससे अधिक समय तक ली जा सकने वाली फसलों को बारामासी या अंग्रजी में पेरेनियल कहा जाता है (गन्ना, कपास इत्यादि)। इसके साथ फल, सब्जी, चारा इत्यादि की भी खेती की जाती है।

- परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र के प्रश्न क्रमांक 15 में पूछी गई जानकारी के आधार पर निम्न टेबल की जानकारी को संकलित किया जाना है।
- इस जानकारी को कृषकों के प्रकार से तुलना की जाएगी और यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि छोटे और बड़े कृषकों के फसल एवं उत्पादन में क्या अंतर है और क्यों है?
- गुणात्मक जानकारी के रूप में फसलों में लगने वाली बीमारी एवं निपटने के तरीकों का उल्लेख करे।
- खेती में किस तरह की तकनीक, औजार, सिंचाई उपकरण, बीज इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, उनके उपयोग से किस तरह की दिक्कतें होती है, उससे निपटने के लिए क्या किया जाता है इत्यादि
- फसल का बोया गया क्षेत्र एवं उत्पादन को सिंचाई के संसाधनों के साथ विश्लेषण किया जाये।
- फल एवं सब्जी की खेती करने वाले परिवारों का भी विश्लेषण किया जायेगा और भविष्य की संभावनाओं का उल्लेख किया जाये।

कृषक परिवारों द्वारा ली जाने वाली फसलों की जानकारी

क्र	फसल का नाम	बोया गया क्षेत्र एकड़ में	कुल उत्पादन क्विंटल	बेचने के लिये उपलब्ध अनाज योग
1				
2				
3				
4				

स्रोत : परिवार सर्वेक्षण के प्रश्न क्रमांक 19

1.5 गांव में वनोपज संग्रहण की स्थिति

- ग्रामीण क्षेत्रों में लघु वनोपज संग्रहण से कई परिवारों की आजीविका जुड़ी होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि यह जाना जाए कि गांव वालों के द्वारा कौन–कौन सी वनोपजों का संग्रहण एवं विक्रय किया जाता है।
- इस कार्य से गांव के कितने परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है और किस समय कौन सी वनोपज का संग्रहण किया जाता है। यह जानकारियां परिवार सर्वेक्षण के प्रश्न क्रमांक 20 से संकलित की जायेगी। यह देखा गया है कि कई ग्राम के भौगोलिक क्षेत्र में कोई वन भूमि नहीं होती फिर भी गांववासी दूसरे गांव के वनों से वनोपज का संग्रहण करते है।
- इस जानकारी की तुलना जाति, आर्थिक श्रेणी, बी.पी.एल., भूमि स्वामित्व से किया जायेगा, जिससे यह देखा जा सके कि गरीब एवं कमजोर वर्ग की आजीविका वनोपज संग्रहण से कितनी प्रभावित होती है।
- गुणात्मक जानकारी के रूप में वनोपज का उपयोग, भण्डारण, बाजार की उपलब्धता, साहूकार एवं बिचौलियों की भूमिका, समर्थन मूल्य की स्थिति इत्यादि जानकारियों का उल्लेख किया जायेगा।

क्र	वनोपज का नाम	संग्रहण का समय	संग्रहण की मात्रा	संग्रहण में से विक्रय योग	संग्रहण से जुड़े परिवारों संख्या
1					
2					
3					
4					
5					
6					
स्रोत : परिवार सर्वेक्षण के प्रश्न क्रमांक 23 से					

1.6 गांव में उपलब्ध पशुधन की स्थिति

पशुधन ग्रामीणों की आजीविका को सीधे प्रभावित करता है। पशुओं का उपयोग खेती के लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए, आने–जाने, माँस के रूप में भोजन इत्यादि में किया जाता है। अलग–अलग पशुओं का उपयोग अलग–अलग होता है।

- परिवार सर्वेक्षण के प्रश्न क्रमांक 24 में प्रत्येक परिवार के पास उपलब्ध पशुओं का विवरण लिया गया है। इसके आधार यह जानकारी संकलित की जा सकती है।
- पशुओं की संख्या का सीधा संबंध खेती से होता है इसलिए पशुधन की जानकारी को भूमि स्वामित्व, कृषकों के प्रकार के साथ विश्लेषण करना होगा।
- पशुधन की उपलब्धता को जातिवार भी देखा जाना चाहिए। कोई वर्ग/जाति के लोग किसी विशेष प्रजाति के पशुओं को अधिक रखते हो, इसके कारणों का उल्लेख करना होगा।
- गुणात्मक जानकारी के रूप में पशुओं के चारे की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, बीमारी, उपचार, गोबर का उपयोग इत्यादि जानकारी का उल्लेख किया जायेगा।

क्र	पशुधन	पशुधन की संख्या	उपयोगिता
1	भैंस		
2	भैंसा		
3	गाय		
4	बैल		
5	बकरी		
6	भेड़		
7	सूअर		
8	मुर्गी		
9	अन्य (स्पष्ट करें)		
स्रोत : परिवार सर्वेक्षण के प्रश्न क्रमांक 24 से			

1.7 भौतिक संसाधनों की स्थिति

सेवा अवसर चित्रण विधि के माध्यम से गांव में उपलब्ध भौतिक संसाधनो की स्थिति का जो आंकलन किया गया है उसका उल्लेख किया जाएगा।

- गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा, पोषण, मूलभूत सुविधा एवं पेयजल के लिए क्या भौतिक संसाधन उपलब्ध है।
- सुविधा गांव में नहीं है तो इस सुविधा को लेने के लिए गांव के लोग कहां जाते है? वह स्थान गांव से कितनी दूर है और वहां जाने में क्या परेशानी और लाभ होता है।

2. संसाधन मानचित्र

2.1 संसाधन मानचित्र का विश्लेषण (जल, जंगल, जमीन, जानवर, कृषि, चारा)

- आजीविका के परिप्रेक्ष्य में उक्त संसाधनों का अलग–अलग विश्लेषण करना है।
- उपलब्धता, उपयोगिता, प्रबंधन, वर्तमान स्थिति, विकास की संभावनाए, संसाधनों की संवहनीय उपयोगिता का उल्लेख करना है।

2..2 सामाजिक मानचित्र का विश्लेषण (अधोसंरचना, सुविधा संबंधी आदि)

- जातिवार एवं आर्थिक स्तर वार गांव की बसाहट का विश्लेषण
- बसाहट एवं संसाधन में दूरी एवं पहुच का विश्लेषण

2.3 सेवा अवसर चित्रण

- चरण 2 में वर्णित सेवा अवसर मानचित्र के आधार पर निकली जानकारी का आजीविका के परिपेक्ष्य में विश्लेषण किया जायेगा। जैसे – खाद्य–बीज, घरेलू सामान, फसल, वनोपज इत्यादि के लिए बाजार, की व्यवस्था। घरेलू एवं लघु व्यवसाय के लिए कच्चा माल, विपणन व्यवस्था इत्यादि।
- सड़क, परिवहन, यातायात, दूरसंचार इत्यादि की सेवा की उपलब्धता एवं इनसे जुड़ी समस्याओं के बारे में लिखा जायेगा।

नोट– संसाधन, सामाजिक एवं सेवा अवसर चित्रण की विस्तृत प्रक्रिया चरण 2 में वर्णित है। उसके अनुरूप विश्लेषण करे।

3. परिवारों की सम्पन्नता स्थिति

- सम्पन्नता वर्गीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से गांव वालों के साथ (द्वारा) परिवारों को 4 श्रेणी (अमीर, मध्यम, गरीब एवं अति गरीब) में विभाजित करने के लिए जिस परिभाषा या मापदण्ड़ का उपयोग किया गया है उसका उल्लेख किया जायेगा।

	अमीर	मध्यम	गरीब	अति गरीब
परिभाषा				
परिवार संख्या				

3.6.2 भाग–1: गांव नियोजन विशलेषण

1. समस्या की पहचान एवं विश्लेषण

- प्रत्येक वार्ड की समस्याओं का विश्लेषण अलग–अलग करे। जैसे– पहले वार्ड क्रमांक 3 में निम्न टेबल के आधार पर समस्या, प्रभावित वर्ग/परिवार, संभावित विकल्प एवं गतिविधि की जानकारी दे। फिर अगले वार्ड की यही जानकारी को लिखा जाये।
- सभी वार्डों से प्राप्त जानकारियों को गांव स्तर पर संकलित कर लोगों की सहभागिता से गांव के परिप्रेक्ष्य में समस्याओं का पुनः प्राथमिकता तय की जायेगी ।

मुद्दा	**समस्या** *प्राथमिकिकरण के आधार पर*	प्रभावित वर्ग/परिवरों की संख्या	**विकल्प**
प्राकृतिक संसाधन			
सामाजिक संसाधन			
मानव संसाधन			
वित्तीय संसाधन			
भौतिक संसाधन			

- सभी वार्डो की उपरोक्त जानकारियों का विश्लेषण करने के बाद गांव आजीविका योजना में प्रस्तावित गतिविधि, उसकी अनुमानित लागत, विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता, प्रस्तावित वर्ष इत्यादि निम्न तालिका में बताई जाएगी।

क्र.	गतिविधि	इकाई	अनुमानित लागत	क्रियान्वयन वर्ष	राशि रूपये में						
					आजीविका परियोजना	बी.आर. जी.एफ.	एन. आर.ई. जी.पी	एस. जी. एस. वाई.	पंचायत की अनाबद्ध राशि	जनभागी–दारी	अन्य विभाग/योजना का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
हितग्राहीमूलक एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी गतिविधि											
सामुदायिक कार्य											
समूह आधारित गतिविधिया											
क्षमता वर्धन एवं संस्थागत विकास के कार्य											
योग											

कार्य योजना बनाते समय ध्यान दिया जाए

- गांव में सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया के बाद जो भी गतिविधियों का चयन किया जायेगा उन्हे चार आधार पर रखा जायेगा (हितग्राहीमूलक एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी गतिविधि, सामूदायिक कार्य, समूह आधारित गतिविधिया तथा क्षमता वर्धन एवं संस्थागत विकास के कार्य)।
- यह देखा गया है कि गांववाले वक्त के अनुसार अपनी हितग्राहीमूलक गतिविधियों को बदलते रहते है। अतः हितग्राहीमूलक एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कार्यों के लिए प्रत्येक तीन माह में कार्ययोजना तैयार की जायेगी। इस कार्ययोजना का अनुमोदन प्रत्येक बार ग्राम सभा से लिया जायेगा। ग्राम सभा से अनुमोदित होने के उपरांत तीन माह के बीच में कार्य योजना में कोई भी कार्य नहीं जोड़ा जायेगा। हितग्राही को अपनी गतिविधि को कार्ययोजना में जुड़वाने के लिए त्रेमासिक ग्रामसभा तक इंतजार करना होगा। यह बाध्यता ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए है।
- समूह आधारित एवं सामुदायिक गतिविधियों के लिए वार्षिक कार्ययोजना का निर्माण किया जायेगा।

3.7 चरण 7 ग्राम सभा सुझाव, समावेश एवं अनुमोदन

मध्यप्रदेश पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा एक वैधानिक इकाई के रूप में कार्य करती है। ग्रामीण आजीविका परियोजना का क्रियान्वयन ग्राम सभा के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से तैयार गांव आजीविका आधारित योजना तथा सम्पन्नता वर्गीकरण को ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाए।

आजीविका योजना का दस्तावेज़ तैयार होने के बाद इसे पूरे गांव में रहने वाले सभी परिवारों की एक ग्राम सभा बुलाकर चर्चा के लिए रखा जाए और यदि सभा में ज्यादातर लोग कोई संशोधन चाहे तो उसे जरूर सम्मिलित करें। यह ध्यान रखा जाए कि ग्राम सभा में अधिक से अधिक लोग आये। परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित मुख्य कार्यों और लागत को गांव में किसी चौराहे या सार्वजनिक स्थान पर पक्के रंगों से लिख दें इससे लोगों का योजना में विश्वास एवं योगदान बढ़ेगा।

- ग्राम नियोजन समिति के सभी सदस्यों एवं सहजकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी की वे सभी वार्डों से लोगों को ग्राम सभा में आने के लिए प्रेरित करे।
- सूक्ष्म योजना निर्माण की प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों को ग्राम नियोजन समिति अपनी तरफ से भी ग्राम सभा के लिए सूचित करे। जिससे योजना में उनका स्वामित्व दिखाई दें।
- ग्राम नियोजन समिति को ग्राम सभा की बैठक के एजेण्डे में गांव आजीविका योजना पर विचार विमर्श की बात जुडवानी होगी।
- प्रस्तुतिकरण में परियोजना सहयोग दल के सदस्य ग्राम नियोजन समिति की सहायता करेंगे।
- सहजकर्ता तथा ग्राम नियोजन समिति के सदस्य इसके लिए चार्ट पेपर पर बड़े–बड़े अक्षरों में योजना का प्रस्तुतिकरण तैयार करेंगे।
- ग्राम नियोजन समिति का यह दायित्व होगा की वह नियोजन की प्रक्रिया के बाद तैयार दस्तावेज का प्रस्तुतिकरण गांव सभा में करें।
- ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत करने के बाद प्राप्त सुझावों को सहजकर्ता तथा नियोजन समिति के सदस्य लिखेगे और इन सुझावों को ग्राम सभा की कार्यवाही पंजी में भी लिखेंगे ।
- इन सुझावों को योजना में शामिल करने के लिए ग्राम नियोजन समिति सहजकर्ता के सहयोग से इन सुझावों का समावेश करेगी।
- ग्राम सभा के सुझावों को शामिल करने के बाद ग्राम सभा द्वारा गांव आजीविका आधारित योजना का अनुमोदन किया जावेगा।

3.8 चरण 8 गांव पंचायत /जिला अनुमोदन

- प्रत्येक गांव की ग्राम नियोजन समिति के सदस्य अपनी अनुमोदित गांव आजीविका योजना को गांव पंचायत स्तर पर जुड़वायेंगे।
- इस प्रक्रिया में सहजकर्ता/परियोजना सदस्य ग्राम नियोजन समिति की सहायता करेगे।
- योजना में प्रस्तावित कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न योजना/विभाग से जोड़ा गया है। अतः सहजकर्ता का यह दायित्व होगा की वे संबंधित योजना/विभाग की कार्य योजना में इन प्रस्तावों को सम्मलित करने का प्रयास करें। जैसे– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, बेकवर्ड रिजन ग्राण्ट फण्ड प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इत्यादि।
- इसके लिए संकुल एवं जिला परियोजना सहयोग दल के सदस्यों को ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की आजीविका आधारित योजना को संकलित कर विभिन्न स्तरों पर चर्चा करनी होगी।
- संकुल एवं जिला स्तर पर गांव आजीविका योजना के आंकड़ों को संकलित कर यह देखना होगा कि बड़े स्तर पर (कुछ गांवों को मिलाकर) किस तरह के सहयोग की आवश्यकता है। इसके आधार पर अपनी योजना बनाकर जिला एवं राज्य से चर्चा कर स्वीकृति ली जाएगी।

परिशिष्ट –1:

परिवार जानकारी प्रपत्र

1.	ग्राम का नाम				
2.	क्लस्टर का नाम				
3.	फलिया / टोले का नाम				
4.	वार्ड का नाम			क्रमांक	
5.	परिवार क्रमांक (WBR) के अनुसार				
6.	परिवार के मुखिया का नाम				
7.	पिता / पति का नाम				
8.	सम्पन्ता श्रेणीकरण के अनुसार	उच्च	मध्यम	गरीब	अतिगरीब
		1	2	3	4
9.	बीपीएल परिवार क्रमांक				
10.	बीपीएल सर्वेक्षण के अनुसार बीपीएल	हॉ–1 / नही–2			
11.	रोजगार गारंटी योजना कार्ड पंजीयन क्रमांक				
12.	सामाजिक श्रेणी	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य पिछडा वर्ग	सामान्य
		1	2	3	4
13.	जाति / जनजाति का नाम				
14.	महिला मुखिया परिवार	हॉ–1 नहीं–2			
15.	भूमि स्वामित्व एकड़ में	कुल	कृषि योग्य	पड़त	सिंचित

	सिंचाई का स्त्रोत / क्षेत्रफल (प्रत्येक स्त्रोत से होने वाला सिंचाई क्षेत्र एकड़ में लिखे)	कुआं / बावडी	ट्यूबवेल	तलाब	स्टाप डेम	नदी	नाला	अन्य

क्र	उत्पादन (फसल का नाम)	फसल का कोड़	बोया गया क्षेत्र एकड़ में	कुल उत्पादन क्विंटल में	उत्पादन बेचा क्विंटल में

16.	पलायन के माह (जो लागू हो उस पर निशान लगावे (✓))	जनवरी–1		फरवरी–2		मार्च–3	
		अप्रैल–4		मई–5		जून–6	
		जूलाई–7		अगस्त–8		सितम्बर–9	
		अक्टूबर–10		नवम्बर–11		दिसम्बर–12	
		पलायन नहीं करते–13 (यदि 1 से 12 कोड़ लागू न हो तो)					

17. परिवार सदस्य विवरण

क्र	नम	आयु	लिंग	शिक्षा का स्तर	व्यवसाय		कौशल	विकलांगता हॉ/नहीं	पलायन हॉ/नहीं
					मुख्य	अन्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

उपरोक्त अनुसार प्राप्त परिवार सदस्यों की जानकारी के आधार पर सहजकर्ता द्वारा भरा जाए।

		0–6 वर्ष के	**6–14 वर्ष के**	**14–40 वर्ष के**	**40–60 वर्ष के**	**60 वर्ष से अधिक**	**कुल**
1	महिला						
2	पुरूष						
कुल सदस्य							

शिक्षित सदस्यों की संख्या				म.	पु	म.	पु	म.	पु	म.	पु
1	साक्षर										
2	5वी तक										
3	10वी तक										
4	10वी से अधिक										
कुल											

18.	परिवार सदस्यों की संख्या			शिक्षितों की संख्या		वंचितो की संख्या	
	व्यस्क	आश्रित वृद्ध	बच्चे 0–14	व्यस्क	बच्चे 6–14 वर्ष	विकलांग	ऐकिक / विधवा महिला

19.	परिवार का कौशल स्तर	पलायन करने वाले सदस्यों की संख्या

20.	परिवार का व्यवसाय	मुख्य व्यवसाय	अन्य व्यवसाय
	यदि परिवार के सदस्य वनोपज का संग्रहण करते है तो विवरण दे		

क्र	वनोपज का नाम	संग्रहण का समय	संग्रहण की मात्रा किलो में	संग्रहण में से विक्रय योग्य मात्रा किलो म	संग्रहण से जुड़े सदस्यों की संख्या

21.	खाद्यान्न कमी के माह (जो लागू हो उस पर निशान लगावे (✓))	जनवरी–1		फरवरी–2		मार्च–3	
		अप्रैल–4		मई–5		जून–6	
		जूलाई–7		अगस्त–8		सितम्बर–9	
		अक्टूबर–10		नवम्बर–11		दिसम्बर–12	
		कोई खाद्यान्न कमी नहीं –13 (यदि 1 से 12. लागू न हो तो)					

22.	मकान का प्रकार (जो लागू हो उस पर निशान लगावे (✓))	पक्का	अर्द्ध पक्का	कच्चा
		1	2	3

23.	समूह सदस्यता परिवार सदस्यों की संख्या	स्वयंसहायता समूह			आजीविका समूह		
		मिश्रित	पुरूष	महिला	मिश्रित	पुरूष	महिला

24.	परिवार के पास उपलब्ध पशुओं की संख्या	भैंस	भैंसा	गाय	बैल	बकरी	भेड़	सूअर	मुर्गी	अन्य

25.	परिसंपत्तियां (सही पर निशान लगाये, एक से अधिक का चुनाव कर सकते है (✓))	रेडियो–1		टेप रिकार्डर–2		टी.वी.–3	
		वी.सी.डी–4.		ट्रेक्टर–5		कार–6	
		जीप–7		मोटर–8		साइकिल–9	
		साइकिल–10		बैलगाड़ी–11		ट्यूब–वेल–12	
		थ्रेशर–13		पंप सेट–14		जनरेटर–15	
		अन्य–16		कोई संपत्ति नहीं–17			
26.	विद्युत उपलब्धता (जो लागू हो उस पर निशान लगावे (✓)	हॉ–1		नहीं–2			
27.	पीने का पानी	मुख्य स्त्रोत (कोड का उपयोग कीजिये 1,2,3,4,5,6,7)		दूरी (0.5 कि.मी. से कम) हॉ–1 / नहीं–2			
28.	बचत खाता (जो लागू हो उस पर निशान लगावे)	बैंक–1		पोस्ट ऑफिस–2		कुछ नही–3	
29. 2	सामाजिक सुरक्षा	जीवन बीमा	विधवा पेन्शन	वृद्धावस्था पेंशन		अन्य	

साक्षात्कार लेने वाले का नाम व हस्ताक्षर दिनांक

परिवार जानकारी प्रपत्र भरने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश

प्रमुख नोट : परियोजना द्वारा बीपीएल सर्वे 2002–03 के आधार पर कुल परिवारों की जानकारी प्रपत्र में लिया जाना है। परियोजना द्वारा कराये गये सामाजिक एवं आर्थिक तुलनात्मक वर्गीकरण (WBR) के अनुसार कुल परिवार की संख्या कम या अधिक हो सकती है।

1 परिवार के सम्पन्नता वर्गीकरण अनुसार 1 2 3 4 भरें। (परिवार की परिभाषा – एक परिवार का अर्थ पति–पत्नी और अविवाहित बच्चे है।)

2 कं. संख्या 9 में बीपीएल सर्वे 2002–03 का परिवार सर्वे कं. लिखें।
नोटः– बीपीएल सर्वे में सभी परिवारों का सर्वेक्षण किया जाता है। सर्वेक्षण उपरान्त बीपीएल या एपीएल का निर्धारण होता है।

3 कं. संख्या 10 में बीपीएल परिवार हैं या नहीं लिखें।

4 कं. संख्या 11 में रोजगार पत्र (जॉब कार्ड) पृष्ठ संख्या 1 पर दिये गये ग्राम का नाम के साथ कोड एवं पंजीयन कमांक लिखें।

5 कं. संख्या 14 में महिला मुखिया वाले परिवार हैं या नहीं लिखें। इसमें जिस परिवार की मुखिया महिला है तो हां लिखें यदि मुखिया पुरूष हैं तो नहीं लिखें।

6 कं संख्या 15 में भूमि स्वामित्व एकड़ में लिखें। एक एकड = 0.40 हैक्टेयर, 1 Ha.= 2.47 एकड। यदि जानकारी बीघा में दी जा रही है तो अपने क्षेत्र के पटवारी से एक बीघा कितने एकड़ के बराबर है उसकी जानकारी लेकर बीघा को एकड़ में बदलकर प्रदर्शित करें।
परिवार के पास उपलब्ध भूमि में सिचित क्षेत्र का स्त्रोतवार विवरण तथा उत्पादन देना है। फसल के उत्पादन का कोड़ अलग से दिया जा रहा है।

7 कं. संख्या 16 में 3 माह तक के पलायन को ही लें। तीन माह का जोड़ अलग–अलग या एक साथ दोनों हो सकता है। परिवर द्वारा पलायन न करने की स्थिति में सिर्फ कोड़ 13 का ही उपयोग करे।

8 कं. संख्या 17 में परिवार के प्रत्येक सदस्य की जानकारी ली जाएगी। परिवार के सदस्यों की जानकारी को सहजकर्ता द्वारा उनकी उम्र के अनुसार विभाजित कर नीचे टेबल में भरा जाएगा जिसका उपयोग मईक्रो प्लान दस्तावेज में किया जाएगा।

9 कं. संख्या 18 में ऐसे वयोवृद्ध, आश्रित की संख्या लिखें जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दूसरों पर आश्रित हैं।

10 कं. संख्या 20 में परिवार का मुख व्यवसाय को पहले कॉलम में लिखें। कृप्या कोड का प्रयोग करें। इसी प्रकार अन्य व्यवसाय को दूसरे कॉलम में लिखें। कृप्या कोड का प्रयोग करें। परिवार का मुख्य व्यवसाय वह होगा जिसमें परिवार के सदस्यों का ज्यादातर समय लगता हो।

11 कं. संख्या 21 में खाद्यान्न की कमी के माह को चिन्हित करें। खाद्यान्न की कमी से मतलअ है कि परिवार को खाद्यान्न जुटाने के लिए बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

12 कं. संख्या 29 में सरकार एवं अन्य संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न योजनाएं जो कि हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं जैसे कि जीवन बीमा, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन इत्यादि का उल्लेख करें।

13 कृपया सभी जानकारी जिनके लिये कोड का विवरण दिया गया है उसका प्रयोग करें।

कोड की सूची		
लिंग	साक्षरता/शिक्षा का स्तर	मुख्य
पुरुष – 1	स्नातक और ऊपर –1	खेती 1
स्त्री – 2	स्नातक से कम(11वीं से स्नातक के अंतिम वर्ष तक) –2	स्व रोजगार 2
	हाई स्कूल (9–10वीं) –3	स्व रोजगार, खेती मिलाकर 3
	मिडिल स्कूल (6 वीं–8वीं) –4	मजदूर–4
	प्राथमिक शाला (5 वीं तक) –5	नौकरी 5
	पढ़ और लिख सकती है–6	लघु वनोपज–6
	निरक्षर–7	अन्य– स्पष्ट करें –––––––7
	अन्य– स्पष्ट करें –––––––8	
	लागू नही –9	

हुनर के कोड की सूची		
कोई हुनर नही –1	बर्तन बनाना – 8	जैविक खेती –15
लागू नही –2	मेसन (राज मिस्त्री) – 9	पम्प सैट की मरम्मत –16
रस्सी बनाना–3	सुतारी (लकडी का काम) –10	साइकिल मरम्मत –17
कपडे सिलना –4	लोहारी –11	जूते बनाना/मरम्मत करना –18
ईटे बनाना –5	वर्मी कम्पोस्टिंग –12	जडी बूटी तैयार करना –19
कपडे बुनना –6	बायोगैस तैयार करना –13	अन्य स्पष्ट करें ....–20
टोकनी बनान – 7	फुल पैदा करना –14	

फसलो की किस्म की कोड सूची	
धान–1	रामतिल–8
दलहन–2	गेहूं – 9
मक्का–3	चना –10
ज्वार–4	फलोद्यान–11
मूंगफली–5	सब्जियां–12
सोयाबीन–6	चारे की फसल–13
कोदों कुटकी (माइनर मिलेट)–7	अन्य –14 –––––––––– स्पष्ट करें

पेयजल स्रोतों के लिए कोड सूची
कुएं–1
बोर बेल/ हेण्ड पंप –2
ट्यूब बेल–3
टैंक–4
तालाब–5
नदियां–6
झरने–7
अन्य–8 स्पष्ट करें.......................................

1	हॉ
2	नहीं

परिशिष्ट –2:

ग्राम सर्वेक्षण प्रपत्र

1.	ग्राम का नाम		
2.	जिले का नाम		
3.	तहसील का नाम		
4.	विकासखण्ड का नाम		
5.	क्लस्टर का नाम		
6.	पंचायत का नाम		
7.	संसदीय क्षेत्र क्रमांक एवं नाम		
8.	विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम		
9.	जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक व सदस्य का नाम		
10.	जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक व सदस्य का नाम		
11.	ग्राम की स्थिति (जो लागू हो उस पर निशान लगाये)	राजस्व	वन
12.	ग्राम का सेन्सस कोड		
13.	ग्राम का एनआरईजीएस कोड		
14.	पटवारी हल्का क्रमांक		
15.	कुल जॉब कार्ड		
16.	कुल बीपीएल परिवार		
17.	कुल मतदाताओं की संख्या		
18.	सरपंच का नाम		
19.	सचिव का नाम (ग्राम सहायक/पंचायत कर्मी)		
20.	पंचों की कुल संख्या		
21.	महिला पंचों की संख्या		
22.	विद्युतीकरण	**हां/नहीं**	
23.	विकास खण्ड मुख्यालय से दूरी (किमी)		
24.	जिला मुख्यालय से दूरी (किमी)		
25.	स्वयं सहायता समूहों की संख्या		

26.	अन्य संचालित योजनाओं का नाम (जैसे एकीकृत आदिवासी विकास योजना आदि)				
27.	टोलों की संख्या				
28.	टोलों के नाम				
29.	भौतिक संसाधनों की स्थिति				

क्र.	संसाधन	क्या ग्राम में संसाधन उपलब्ध है (हॉ/ नहीं)	यदि नहीं तो उपलब्धता की दूरी	यदि हा तो उपलब्ध संसाधनों की संख्या	ग्राम में संसाधन का उपयोग	वर्तमान स्थति		टिप्पणी
						संतोषजनक/ पर्याप्त	मरम्मत एवं सुधार की जरूरत	
I	**शिक्षा संबंधी**							
1	प्राथमिक शाला भवन							
2	माध्यमिक शाला भवन							
3	हाई स्कूल भवन							
4	हा.से.शा. भवन							
6	ई.जी.एस. भवन							
7	शलाओं में किचिन शेड़							
8	शिक्षकों के लिए आवास							
9	छात्रा आवास भवन							
10	खेल मैदान							
11	अन्य							
II	**स्वास्थ्य संबंधी**							
1	प्रा.स्वास्थ्य केन्द्र							
2	उप. स्वास्थ्य केन्द्र							
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र							
4	आयुर्वेदिक औषद्यालय							
5	यूनानी अस्पताल							
6	होम्योपैथिक अस्पताल							
7	अन्य अस्पताल							

III	**पशु चिकित्सालय**							
1	पशु चिकित्सा भवन							
2	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र							
3	ट्रेवीस							
5	अन्य							
IV	**पोषण संबंधित**							
1	आंगनबाड़ी भवन							
2	अनाज भण्डार भवन (ग्रेन बैंक)							
3	उचित मूल्य की दुकान							
V	**मूलभूत आवश्यकता**							
1	पंचायत भवन							
2	सामूदायिक भवन							
3	हाट बाजार का स्थान एवं दिन							
3	बस सुविधा							
4	बैंक सुविधा							
5	पोस्ट ऑफिस							
6	दूरभाष सुविधा							
7	दुग्ध संग्रहण सुविधा							
8	अन्य							

30.	**गांव में निर्मित जल संरक्षण/संवर्धन संरचनाए :–**								
		संख्या	वर्तमान स्थिति			जल की उपलब्धता			यदि जीर्णेद्वार/उन्नयन आवश्यक है तो विवरण
			अच्छी	औसत	खराब	3माह	6माह	बरामासी	
1	तलाब								
2	तलाई/डबरी								
3	स्टापडेम								
4	निस्तारी तालाब								
5	पक्के चेक डेम								
6	शास.कुआॅ/बावडी								
7	अन्य								

31.	**पेयजल संसाधन**						
		संसाधनों की संख्या	वर्तमान स्थति – संख्या		स्थिति संख्या		टिप्पणी
			पीने योग्य	पीने योग्य नहीं	अच्छा	खराब	
1	हेण्ड पंप						
2	कुआं शासकीय						
3	कुआं निजी						
4	ट्यूब वैल						

32.	कुल क्षेत्र (पटवारी / कम्प्युटरीकृत भू–लेख / पंचवर्षीय प्रास्प्रेक्टिव प्लान / अन्य किसी स्त्रोत के आधार पर एकड़ में)					
	कुल क्षेत्रफल	सिंचित	रबी	ग्रीष्म / जायद	खरीफ	वन
	जल भूमि	पड़त	सामुदायिक भूमि	खेती योग्य	शासकीय चारागाह	आबादी

33.	पांच मुख्य फसलें (संबंधित कोड भरें)					

34.	लघु–व्यवसाय / सर्विस प्रोवाइडर की संख्या					
	किराना दुकान		नाई की दुकान		मनिहारी	
	साइकिल मरम्मत दुकान		आटा–चक्की		कपडा दुकान	
	दर्जी		फोटोग्राफी		बांस आदि का कार्य	
	होटल		टेन्ट हाउस		लोहार	
	बढ़ई		नर्सरी		ईंट भट्टा	
	बैंड पार्टी		साउंड सिस्टम शॉप		सब्जी दुकान	
	हस्तकला		पान की दुकान		सेंट्रिंग व्यवसाय	
	सांस्कृतिक मंडली		इलेक्ट्रानिक दुकान		अन्य कृपया विवरण दें	

35.	**गांव के स्थानीय संगठनों का विवरण :**			
	संगठन	संख्या	महिला सदस्य	पुरुष सदस्य
1	स्व सहायता समूह			
2	वन समिति			
3	ग्राम विकास समिति			

4	महिला मंडल			
5	भजन मंडली			
6	युवक/युवती मंडली			
7	पालक शिक्षक संगठन			
8	निगरानी समिति			

फसलों की किस्म की कोड सूची	
धान–1	रामतिल–8
दलहन–2	गेहूं – 9
मक्का–3	चना –10
ज्वार–4	फलोद्यान–11
मूंगफली–5	सब्जियां–12
सोयाबीन–6	चारे की फसल–13
कोदों कुटकी (माइनर मिलेट)–7	मसूर – 14
सरसों – 15	अन्य—————————— स्पष्ट करें –16

परिशिष्ट –3:

सूक्ष्म नियोजन दस्तावेज प्रारूप

मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना

माईक्रो प्लान प्रपत्र

गांव का नाम :		ग्राम का प्रकार	वन/राजस्व.
ग्राम पंचायत का नाम		विकासखण्ड का नाम	
संकुल का नाम :		तहसील का नाम :	
जिला का नाम			
विधानसभा क्षेत्र :		संसदीय क्षेत्र :	
पंचो की संख्या :	महिला	पुरूष	कुल

भाग–1: गांव की सामान्य जानकारी

1. गांव का परिचय (संक्षिप्ति रूप में)

- ग्राम की सामान्य जानकारी
- गांव की स्थिति दूरी, लोकेशन आदि संकुल कार्यालय से 5 किमी की दूरी पर है।
- टोलो/पारों की संख्या एवं नाम
- गांव कितना पुराना है और कैसे बना है
- बसाहट संबंधि विवरण जैसे गांव में लोग कहां–कहां रहते है आदि गांव का आकार अंगेंजी के एल आकार का है।

गांव की लोकेशन :

- ब्लाक मुख्यालय से दूरी : जिला मुख्यालय से दूरी :
- पक्की सडक से दूरी : कच्ची सडक से दूरी :

1.1. गांव की सामाजिक स्थिति

जनसंख्या

विवरण	महिला					पुरूष				
	अ.जा.	अ.ज.जा.	पि.वर्ग	सामान्य	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	पि.वर्ग	सामान्य	कुल
0–6 वर्ष के										
6–14 वर्ष के										
14–40 वर्ष के										
40–60 वर्ष के										
60 वर्ष से अधिक										
कुल										

शिक्षा की स्थिति 14 वर्ष से उपर वाले गांव वालों की जानकारी

	साक्षर	5वी तक	10वी तक	10वी से अधिक	कुल
महिला					
पुरूष					
कुल					

जातिवार परिवारों की संख्या

क्र	जाति का नाम	परिवार संख्या	क्र	जाति का नाम	परिवार संख्या
1			8		
2			9		
3			10		
4			11		
5			12		
6			13		
7.			14		

1.2 गांव के स्थानीय संगठनों का विवरण :

संगठन	संख्या	महिला सदस्य	पुरुष सदस्य
स्व सहायता समूह			
वन समिति			
ग्राम विकास समिति			
महिला मंडल			
भजन मंडली			
युवक/युवती मंडली			
पालक शिक्षक संगठन			
निगरानी समिति			

1.3 आजीविका की स्थितिः

क्रमांक	किसान का प्रकार	संख्या	प्रतिशत
1	सीमांत किसान (0.25 से 1 एकड़ तक)		
2	लघु किसान (1 से 3 एकड़ तक)		
3	मध्यम किसान(3 से 5 एकड़ तक)		
4	बड़ा किसान(5 से अधिक)		
5	भूमिहीन		
	योग		

क्र	रोजगार के क्षेत्र से जुड़े परिवार	मुख्य व्यवसाय के आधार पर		अन्य व्यवसाय के आधार पर	
		व्यक्तियों की संख्या	परिवार की संख्या	व्यक्तियों की संख्या	परिवार की संख्या
1	प्राथमिक क्षेत्र				
2	द्वितीयक क्षेत्र				
3	तृतीयक क्षेत्र				
योग					

क्र	परिवार का कौशल स्तर	कुल परिवार	क्र	परिवार का कौशल स्तर	कुल परिवार
1	रस्सी बनाना		10	वर्मी कम्पोस्टिंग	
2	कपडे सिलना		11	बायोगैस तैयार करना	
3	ईटे बनाना		12	फुल पैदा करना	
4	कपडे बुनना		13	जैविक खेती	
5	टोकनी बनान		14	पम्प सैट की मरम्मत	
6	बर्तन बनाना		15	साइकिल मरम्मत	
7	मेसन (राज मिस्त्री)		16	जूते बनाना/मरम्मत करना	
8	सुतारी (लकडी का काम)		17	जडी बूटी तैयार करना	
9	लोहारी		18	अन्य स्पष्ट करें	

क्रमांक	भूमि वितरण	हेक्टेयर
1	कुल क्षेत्रफल	
2	सिंचित भूमि	
3	असिंचित भूमि	
4	पड़त भमि	
5	बसाहट	
6	चरागाह	
7	वन क्षेत्र	

सिंचाई के साधन

क्र	संसाधन का नाम	सिंचित क्षेत्रफल (हे.)	लाभान्वित कृषक परिवार संख्या					टिप्पणी
			अ.जा.	अ.ज.जा	पि.वर्ग	सामान्य	योग	
1	कुआं / बावडी							
2	ट्यूबवेल							
3	तलाब							
4	स्टाप डेम							
5	नदी							
6	नाला							
7	अन्य							

गांव में निर्मित जल संरक्षण / संवर्धन संरचनाए :–

क.	संरचनाएं	संख्या	वर्तमान स्थिति			जल की उपलब्धता			यदि जीर्णोद्धार / उन्नयन आवश्यक है तो विवरण
			अच्छी	औसत	खराब	3माह	6माह	बारामासी	
1	सिंचाई तलाब								
2	तलाई / डबरी								
3	स्टापडेम								
4	निस्तारी तालाब								
5	पक्के चेक डेम								
6	शास.कुऑ / बावडी								
7	नीजी कुऑ								
8	अन्य								

1.4 फसल एवं उत्पादन

क्र	फसल का नाम	बोया गया क्षेत्र एकड़ में	कुल उत्पादन क्विंटल	कितना उत्पादन विक्रय योग
1				
2				
3				
4				
5				
6				

1.5 वनोपज की स्थिति

क्र	वनोपज का नाम	संग्रहण का समय	संग्रहण की मात्रा	संग्रहण में से विक्रय योग	संग्रहण से जुड़े परिवारों संख्या
1					
2					
3					
4					
5					
6					

1.6 पशुधन उपलब्धता

क्र	पशुधन	पशुधन की संख्या	उपयोगिता
1	भैंस		
2	भैंसा		
3	गाय		
4	बैल		
5	बकरी		
6	भेड़		
7	सूअर		
8	मुर्गी		
9	अन्य (स्पष्ट करें)		

1.8 भौतिक संसाधनों की स्थिति

क्र.	संसाधन	क्या ग्राम में संसाधन उपलब्ध है (हॉ/ नहीं)	यदि नहीं तो उपलब्धता की दूरी	यदि हा तो उपलब्ध संसाधनों की संख्या	ग्राम में संसाधन का उपयोग	वर्तमान स्थति		टिप्पणी
						संतोषजनक / पर्याप्त	मरम्मत एवं सुधार की जरूरत	
अ	**शिक्षा संबंधी**							
1	प्राथमिक शाला भवन							
2	माध्यमिक शाला भवन							
3	हाई स्कूल भवन							
4	हा.से.शा. भवन							
5	आई.टी.आई. भवन							
6	ई.जी.एस. भवन							
7	शालाओं में किचिन शेड़							
8	शिक्षकों के लिए आवास							
9	छात्रा आवास भवन							
10	खेल मैदान							
11	अन्य							
ब	**स्वास्थ्य संबंधी**							
1	प्रा.स्वास्थ्य केन्द्र							
2	उप. स्वास्थ्य केन्द्र							

क्र.	संसाधन	क्या ग्राम में संसाधन उपलब्ध है (हॉ/ नहीं)	यदि नहीं तो उपलब्धता की दूरी	यदि हा तो उपलब्ध संसाधनों की संख्या	ग्राम में संसाधन का उपयोग	वर्तमान स्थिति		टिप्पणी
						संतोषजनक / पर्याप्त	मरम्मत एवं सुधार की जरूरत	
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र							
4	आयुर्वेदिक औषद्यालय							
5	यूनानी अस्पताल							
6	होम्योपैथिक अस्पताल							
7	अन्य अस्पताल							
स	**पशु चिकित्सालय**							
1	प्शु चिकित्सा भवन							
2	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र							
3	ट्रेवीस							
4	चापकटर							
5	अन्य							
द	**पोषण संबंधित**							
1	आंगनबाड़ी भवन							
2	अनाज भण्डार भवन (ग्रेन बैंक)							
3	उचित मूल्य की दुकान							
इ	**मूलभूत आवश्यकता**							
1	पंचायत भवन							
2	सामूदायिक भवन							
3	खेल मैदान							
4	शमशानघाट							
5	हाट बाजार का स्थान							
6	बस स्टेण्ड							
7	अन्य							

फ	**पेयजल संसाधन**	संसाधनों की संख्या	वर्तमान स्थति		स्थिति संख्या		टिप्पणी
			पीने योग्य	पीने योग्य नहीं	अच्छा	खराब	
1	हेण्ड पंप						
2	कुआं शासकीय						
2	कुआं नजी						
3	ट्यूब वैल						
4	नल जल योजना						
5	तालाब						
6	नदी						
7	अन्य						

2. संसाधन मानचित्र

2.1 संसाधन मानचित्र का विश्लेषण (जल, जंगल, जमीन, जानवर, कृषि, चारा)

- आजीविका के परिप्रेक्ष्य में उक्त संसाधनों का अलग–अलग विश्लेषण करना है
- उपलब्धता, उपयोगिता, प्रबंधन, वर्तमान स्थिति, विकास की संभावनाए, संसाधनों की संवहनीय उपयोगिता

2..2 सामाजिक मानचित्र का विश्लेषण (अधोसंरचना, सुविधा संबंधी आदि)

- जातिवार एवं आर्थिक स्तर वार गांव की बसाहट का विश्लेषण
- बसाहट एवं संसाधन में दूरी एवं पहुंच का विश्लेषण

2.3 सेवा उपलब्धता मानचित्र

3. परिवारों की सम्पन्नता स्थति

आर्थिक चित्रण की प्रक्रिया के माध्यम से गांव वालों के साथ गांव मे ही रहने वाले परिवारों की आर्थिक स्थिति को समझने व जानने की कोशिश की गई । गांव वालों द्वारा कुल परिवारों को 4 श्रेणी (अमीर, मध्यम, गरीब एवं अति गरीब) में विभाजित किया गया और परिवारों को 4 श्रेणी में विभाजित करने के लिए गांव वालों के मापदण्ड तय किये गये जो निम्नलिखित है।

गांववालों के अनुसार सम्पन्नता वर्गीकरण की परिभाषा

	अमीर	मध्यम	गरीब	अति गरीब
परिभाषा				
परिवार संख्या				

स्रोत : सम्पन्नता वर्गीकरण

भाग–2: नियोजन

1. समस्या की पहचान एवं विश्लेषण

प्रत्येक वार्ड की समस्याओं का विश्लेषण अलग–अलग करे

मुद्दा	समस्या *प्राथमिकिकरण के आधार पर*	प्रभावित वर्ग/परिवरों की संख्या	विकल्प
प्राकृतिक संसाधन			
सामाजिक संसाधन			
मानव संसाधन			
वित्तीय संसाधन			
भौतिक संसाधन			

क्र.	गतिविधि	अनुमानित लागत	इकाई	कियान्वयन वर्ष	राशि रूपये में						
					आजीविका परियोजना	बी.आर. जी.एफ.	एन. आर.ई. जी.पी	एस. जी. एस. वाई.	पंचायत की अनाबद्ध राशि	जनभागी –दारी	अन्य विभाग /योजना का नाम
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
हितग्राहीमूलक एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी गतिविधि											
सामुदायिक कार्य											
समूह आधारित गतिविधिया											
क्षमता वर्धन एवं संस्थागत विकास के कार्य											
योग											

परिशिष्ट –4:

परिवार की इंवेटरी

परिवार सर्वे के आधार पर वर्तमान आजीविका की इंवेंटरी

क्र.	परिवार के सदस्य/ मुख्यिा का नाम एव पिता/पति का नाम	उम्र	परिवार के सदस्यों की संख्या	जाति	बीपीएल हा/नहीं	सम्पन्नता वर्गीकरण कमांक	जॉब कार्ड क्रमांक	मुख्य व्यवसाय	अन्य व्यवसाय	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

अनुक्रमणिका–1:

गांव प्रवेश एवं वातावरण निर्माण की प्रक्रियाएं कैसे चलाएं

1. वातावरण निर्माण

यह मुख्यतः समुदाय के साथ एक संबंध स्थापित करने एवं सम्पूर्ण प्रक्रिया को समुदाय के स्तर पर स्थापित करने एवं समुदाय को इसके लिए तैयार करने हेतु है। पूरी प्रक्रिया की सफलता इस चरण पर निर्भर करती है। अतः इसे सावधानीपूर्वक करना अत्यंत आवश्यक है। यह आवश्यक है कि गांववालों को कार्यक्रम की अवधारणा एवं उपयोगिता से परिचय कराने हेतु प्रचार–प्रसार एवं बैठकों के माध्यम से वातावरण निर्माण किया जाये। इससे गांववालों में उनकी आजीविका के संसाधनों को विकसित करने की जागरूकता पैदा होगी। साथ ही गांववालों का कार्यक्रम के प्रति विश्वास अर्जित किया जा सकेगा। वातावरण निर्माण में सार्थक व सीधा संवाद, पोस्टर प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटक, ऐक्सपोजर, कार्यशाला किया जाना अत्यंत आवश्यक है। मुख्यतः इस चरण के दौरान सहजकर्ता द्वारा गांव के बारे में प्राथमिक जानकारी को एकत्रित करना, लोगों में कार्यक्रम के क्रियान्वयन को लेकर स्वीकार्यता पैदा करना हैं ।

शुरूआत कैसे करें

गांव में प्रवेश संकुल सहयोग दल अपनी टीम के सभी सदस्यों के साथ करें। इससे टीम की एक सामूहिक समझ गांव के बारे में बनती है जो ग्रामीण आजीविका परियोजना के लिये अति महत्वपूर्ण है। गांव में टीम के साथ काम करने से गांव वालों को भी टीम भावना के बारे में एक संदेश मिलता है और वे सभी सदस्यों से परिचित भी हो जाते है जो क्रियान्वयन के दौरान काफी उपयोगी सिद्ध होता है। कई बार यह पाया गया है कि सहयोग दल के मात्र एक या दो सदस्यों द्वारा ही गांव प्रवेश किया जाता है। इसके गंभीर दुश्परिणाम प्राप्त हुए हैं।

संबंध बनाने के लिए पहले गांव का दौरा करें, गांव में लोगों से बातें करें, उनके त्यौहारों में शामिल हों, उनके साथ रहें, खान–पान करें और उनके कामों में हाथ बटाएं। शुरू में अगर कुछ महिलाएं आपके साथ हों तो अच्छा रहेगा क्योंकि ये महिलाएं गांव की महिलाओं के साथ आसानी से घुलमिल जाएंगी जिससे जानकारी प्राप्त करने में आपको आसानी होगी। बुजुर्ग लोग अपने गुजरे जमाने की बातें सुनाने को हमेशा तैयार रहते हैं; उनसे बात करें। बीती हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं या बदलाव की जानकारी आपको इन लोगों से मिल सकती है। इसी प्रकार पंचायत के सदस्यों, स्कूल के शिक्षकों और विद्यार्थियों से खुलकर बातें करें और अपने बारे में उन्हें बताएं। अगर हो सके तो कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करें ताकि आपके और गांव वालों के बीच की दूरी कम हो और आपके बीच जो भी झिझक है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाए। चूँकि यह एक लोक–आधारित प्रक्रिया है, अतः लोगों का विश्वास जीतना अति आवश्यक है।

गांव में लोगों के साथ सम्पर्क स्थापित करने हेतु परियोजना की जानकारी निम्न तरीके से दी जा सकती है :–

1.1 घर–घर सम्पर्क

सहजकर्ता द्वारा सभी घरों में जाकर कार्यक्रम से सम्बंधित पोस्टर/पाम्पलेट का वितरण किया जाए तथा लोगों के साथ कार्यक्रम के उद्देश्य एवं उनकी भागीदारी पर चर्चा करें। सभी परिवारों के साथ सीधे सम्पर्क से सहजकर्ता को अपने सम्बंध स्थापित करने में सहजता रहेगी।

1.2 दीवार लेखन

गांव की मुख्य दीवारों पर कार्यक्रम के उद्देश्य, गांवसभा में भागीदारी की आवश्यकता तथा गांव की योजना बनाने से सम्बंधित मुख्य बातें लिखवाने से समय समय लोगों को जानकारी प्राप्त होती रहेगी। इन दिवार लेखनों में चित्रों के प्रयोग से असाक्षर व्यक्ति को भी उद्देश्यों की समझ हो सकती है।

1.3 फलिया/टोला बैठक

घर–घर सम्पर्क के पश्चात लोगों के साथ फलिया या टोला स्तर पर बैठक की जायेगी। इस बैठक में गांववासियों को ग्रामसभा एवं पंचायतीराज से सम्बंधित पोस्टर/कैलेण्डर इत्यादि को दिखा कर समझाया जाए। फलिया या टोला बैठकों में लोगों की गांवसभा की बैठकों में जाने के लिए प्रेरित किया जाए। फलिया या टोला स्तर की बैठकों में 20–25 महिला–पुरूषों की संख्या होने से परियोजना में अधिक जुड़ाव होता है।

1.4 गांवसभा की बैठक

साल में होने वाली 4 अनिवार्य ग्रामसभा (जनवरी, अप्रेल, जुलाई और अगस्त) के बारे गांववासियों को बताया जाये और इन ग्रामसभा में महिला पुरूष की भागीदारी, निर्णय की प्रक्रिया, योजना निर्माण इत्यादि के महत्व को समझाया जाए। ग्रामसभा की बैठक में परियोजना के उद्देश्यों को गांववासियों को समझाया जाए।

1.5 महिला समूह/युवा समूह के साथ बैठक

कार्यक्रम में महिला एवं युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उनके साथ उनके समूहों में समय समय पर बैठक की जाए तथा उनको ग्रामसभा में जाने के लिए प्रेरित किया साथ ही समूह को आय वृद्धि की गतिविधियों के बारे में बताया जाए।

1.6 माइक्रोप्लानिंग पर फिल्म

पंचायतें अपने विकास की योजना कैसे बनाएँ इस पर समझ बनाने के लिए समुदाय के सभी लोगों को सहभागिता से योजना निर्माण पर फिल्म दिखाई जाए। फिल्म के माध्यम से लोग योजना निर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं को अच्छे से समझ सकेंगे साथ ही उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया जा सकेगा कि वे पंचायत में भी सूक्ष्मस्तरीय नियोजन का कार्य करें।

1.7 प्रचार प्रसार – आडियो कैसेट/सीडी, नुक्कड़ नाटक इत्यादि

पंचायती राज व्यवस्था एवं ग्रामसभा में भागीदारी पर केन्द्रित आडियो कैसेट को क्षेत्रीय भाषा में लोगों को दिया जाए। यथासंभव रेडियों पर इसका प्रसारण सभी पंचायतों में किया जाए। आडियो कैसेट/सीडी में पंचायतीराज को नाटक के माध्यम से रखे जाने से यह

लोगों के मनोरंजन के साथ उनको पंचायतीराज एवं ग्रामसभा की जानकारी भी देगा। इसी तरह नुक्कड़ नाटक, कटपुतली इत्यादि से भी प्रचार प्रसार किया जा सकता है।

2. गांव में जाकर क्या करें और क्या ना करें

क्या करें

1 अहंकार त्यागें तथा व्यवहार में विनम्रता लाएं
2 उद्देश्य की स्पष्टता
3 जिम्मेदार व्यक्तियों से संपर्क
4 सभी वर्गों की भागीदारी
5 भाषा सहज, सरल, संतुलित तथा स्थानीय रखें
6 परिस्थिति का ज्यादा से ज्यादा अवलोकन
7 गांवीणों को बोलने का ज्यादा अवसर दें
8 न बोलने वालों को उत्साहित करें
9 ज्यादा सुनें
10 परिचय दें व लें
11 समान स्तर पर बैठें
12 समूह को उत्साहित करें
13 स्थानीय उदाहरण का प्रयोग
14 वेश–भूषा गांव के अनुकूल हो
15 लागों के आत्म–सम्मान का ख्याल रखें
16 शंका का समाधान/सत्यापन करें।
17 कार्य में रोचकता बढ़ायें
18 रास्ते में मिले लोगों को साथ लें
19 रीति रिवाजो, परम्परों का पालन करें।
20 बुजुर्गो एवं महिलाओं को सम्मान दे
21 अफसरी का चोला उतार फेंके

क्या न करें

1 अनावश्यक वार्तालाप न करें
2 लक्ष्य से न भटकें
3 उत्तेजित होकर प्रश्न न करें
4 प्रभावशाली व्यक्ति का उपयोग न करें
5 लोगों को बोलने से न रोकें
6 चर्चा का स्थान स्वयं निर्धारित न करें
7 टीम के सदस्य एक दूसरे की बात न काटें,
8 उत्तर के लिए दबाव न डालें
9 वातावरण बोझिल न बनायें
10 उनके स्तर से हट कर बात न करें
11 उनकी कमजोरी उजागर न करें
12 यथा संभव वाहन गांव में न ले जाएं
13 पूर्वाग्रह ग्रसित न हों
14 दोशारोपण या विरोध न करें
15 भेदभाव न करें
16 अधिकार युक्त शैली का प्रयोग न करें
17 जल्दबाजी न करें

18 झूठे आश्वासन /वादे न दें
19 आग्रह को न ठुकराएं
20 सलाह न दें
21 लापरवाही न बरतें
22 मिथ्या प्रदर्शन से बचे

3. गांव का भ्रमण (ट्रांजेक्ट वाक)

इस विधि का उपयोग कर गांव की बसाहट, गांव के चारों ओर के कृषि क्षेत्र, पहाड़, नदी–नालों, चारागाह, सामूहिक क्षेत्रों और अन्य संसाधनों की जानकारी प्राप्त की जाती है। साथ ही इस विधि का मुख्य उद्देश्य है कि क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के जो विभिन्न प्रकार हैं उनको स्वयं जाकर देखना, उनके विषय में जानकारी लेना, तथा समस्याओं एवं उपलब्धताओं को स्वयं समझना।

क्षेत्र भ्रमण के लिए हम संसाधन मानचित्र या मॉडल की मदद भी ले सकते हैं या सीधे क्षेत्र में भी जा सकते हैं। इसके लिए गांव के क्षेत्र या फैलाव के हिसाब से एक या अधिक समूह बना लिए जाते हैं। समूहों में हमारी संख्या कम और ग्रामीणों की अधिक होती हैं। फिर समूह अपना रास्ता तय करते हैं कि कहां से चलकर कहां–कहां जाना है और कहां से वापिस आना है। इस तरह अगर एक ही समूह है और गांव छोटा है तो चक्रीय रास्ता अपनाया जा सकता है। अगर गॉव बड़ा है तो अंग्रेजी के **<u>'एस' (S)</u>** या **<u>आठ '8'</u>** आकार में रास्ता तय किया जा सकता है अथवा विभिन्न नालों के किनारे–किनारे या सड़कों के किनारे तय किया जा सकता है। मुख्य उद्देश्य है क्षेत्र में पहाड़, नदी, नाले, वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, फसलें, वृक्ष, मिट्टी जल स्रोत, जमीन का स्वामित्व – इन सभी की जानकारी प्राप्त करना। इस प्रक्रिया में हर खेत, पेड़ या जल स्रोत तक जाने की आवश्यकता नहीं है परन्तु अगर आपस में किसी स्थान को लेकर किसी भी तरह की मत–विभिन्नता है तो वहॉ अवश्य जाना चाहिए।

उदाहरण के लिए, एक टीम ने गांव के उत्तर से पूर्व तक पैदल भ्रमण किया, जब उससे पुछा गया कि उसने रास्ते में क्या–क्या देखा। उत्तर में टीम ने 10 वस्तुओं की सूची बनायी। वही प्रश्न जब दूसरी टीम से पुछा गया तो उसने 50 वस्तुओं की सूची बनायी। जब आप गांव का भ्रमण करते है तो आप पूछते है वह क्या है ? उत्तर मिलता है साहब, नाला। साहब कहते हैं ठीक है नाले तो बहुत देखे हैं उसे क्या देखना। लेकिन पी.आर.ए. कहता है नहीं, हमने चाहे हजार नाले देखें हों, पर हर नाले में कुछ भिन्नता होती है। अतः पी.आर.ए. के पीछे निहित मूल धारणा यह होती है कि हम स्वयं कुछ अनुमान न लगायें बल्कि तथ्य को समझने का प्रयास करें। ट्रॉजेक्ट वाक के दौरान प्रत्येक वस्तु के लिए कम से कम तीन प्रश्न अवश्य करे।

कई बार हम अपने दैनिक जीवन में तथ्य को जाने बिना कई कल्पनाएं कर लेते हैं और उनके आधार पर निष्कर्ष निकाल लेते हैं या मत बना लेते हैं जो कि असली तथ्य से कोसों दूर होता है। इस संदर्भ में कोई उदाहरण लेकर चिन्तन करें तो मालूम होगा कि कई बार तथ्य तो मत, कल्पना और निष्कर्ष में दब जाते हैं।

इसके बाद, जो कुछ भी हमने देखा है उसे गांव वालों के साथ मिल कर एक कागज पर अंकित कर लिया जाता है। इसमें निम्न जानकारियॉ उपलब्ध किये जा सकते हैं।

- नदी, नाले, पहाड़, चरागाह, सामूहिक जमीन।
- मिट्टी के प्रकार, गुण, दोष।
- फसलों के प्रकार, गुण, दोष तकनीकी।

- वृक्षों के प्रकार, गुण, दोष, उपयोग इत्यादि।
- घास के प्रकार, गुण, दोष, उपयोग इत्यादि।
- वन्य जीव, प्रकार, लाभ–हानि।
- समस्याएं एवं उपलब्धता।

4. ट्रांजेक्ट कैसे करें

1. ऐसे स्थानीय जानकार लोगों की तलाश करें जो आपके साथ घूमने तथा मद्द करने के इच्छुक हों।
2. अपनी टीम में कार्यों का बँटवारा कर लें, खासकर प्रश्नकर्ता तथा अभिलेखो।
3. यदि आपके पास नक्शा है तो भ्रमण से पहले उसकी मदद लें तथा साथ में चलने वाले लोगों से भ्रमण के उद्देश्य के बारे में चर्चा अवश्य करें।
4. भ्रमण करते समय ऐसे रास्तों का चयन करें जो गाँव की विभिन्नता वाले क्षेत्रों से हो कर गुजरे।
5. सभी क्षेत्रों का सूक्ष्म निरीक्षण करें, लोगों से प्रश्न पूछें तथा गम्भीरता से बातों को सुनें।
6. समस्या और समाधान पर विशेष ध्यान दें तथा विचार–विमर्श करें।
7. क्षेत्रों की एकरूपता तथा भिन्नता के कारकों को पहचानें तथा क्षेत्र विशेष के स्थानीय नामों को अवश्य जानें। भ्रमण के बाद टीम में से कोई एक सदस्य ट्रांजेक्ट चित्र बनाये तथा सभी लोग इसे पूरा करने में अपना योगदान दें।
8. अंत में ट्रांजेक्ट चित्र को गांववालों को दिखाकर सुधार करें तथा उनकी राय एवं स्वीकृति ले लें।

क्या करें

1. कितना भी समय और श्रम लगे, सम्पूर्ण क्षेत्र को अवश्य देखें।
2. सामूहिक भ्रमण (लोगों के साथ) के समय उस स्थान विशेष से सम्बन्धित चीजों के बारे में लोगों से बातें करें और साधनों को चित्रित करते जाएं।
3. लोगों को अपने साथ चलने के लिए प्रोत्साहित करें।
4. सभी स्थानों पर रुकें, देखें व लोगों की बात सुनें, निरीक्षण करें और साथ–साथ नोट्स भी लेते जाएं। लोगों से क्या, कब, कहां, क्यों, कौन, कैसे शब्दों को लगाकर प्रश्न करें। अन्य मौसमों की चीजों के बारे में भी बातें करें।
5. विभिन्न क्षेत्रों के बीच समानता और असमानता की तुलना करें और क्रियाकलाप व कारणों को जानें।

5. रात्रि विश्राम

रात्रि विश्राम गांव की स्थिति को समझने के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। गांव में दो तीन रात विश्राम किया जाये तो काम बहुत ही आसान हो जाता है। अनुभव के आधार पर अगर **''गांव को यदि सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक देखा जाए तो उसकी जो अनुभूति होगी वह एक दिन में कुछ घंटों के अभ्यास से नहीं मिल सकती।''** गांव में लोगों के साथ रहने, खाने–पीने, सोने आदि के लिए पर्याप्त समय मिलता है। इससे साधारण रूप से हर क्षण जानकारी प्राप्त होती रहती है। हमारी मान्यता है कि गाँव के लोग जिस तरह रहते हैं अगर बाहरी व्यक्ति भी उसी तरह उनके साथ रहे तो इससे उसके आचार–व्यवहार और मानसिकता में भी बदलाव आता है। हमारा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि जिस व्यक्ति या टीम ने सर्वे के दौरान गाँव में रात्रि विश्राम किया, उसका काम सर्वोत्तम रहा है।

अनुक्रमणिका–2:

प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में लिए जा सकने वाले कार्य

प्राथमिक क्षेत्र

- कृषि के लिये आवश्यक मुख्य आदान जल एवं भूमि का समुचित संरक्षण
- नये उत्पादों के उत्पादन के पूर्व उत्पाद/फसल प्रदर्शन गतिविधियां
- कृषकों को आवश्यक प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर विजिट
- विस्तार सेवाएं/उन्नत कृषि तकनीकियों की जानकारी
- ऐसे रोजगार के अवसर जो प्राकृतिक संसाधन सीधें जुडे हुए है जैसे– कृषि, पशुपालन, मछलीपालन, वनोपज संग्रहण इत्यादि

द्वितीयक क्षेत्र

- प्राकृतिक संसाधनों का प्रसंस्करण एवं मूल्य वृद्धि से जुड़े कार्य जैसे – वनोपज के लिए प्रसंस्करण इकाईयां, हस्तशिल्प, इत्यादि।
- लघु एव कुटीर उद्योग जैसे – अचार, पापड़, अगरबत्ती इत्यादि

तृतीयक क्षेत्र

- सेवा से जुड़े व्यवसाय को तृतीयक क्षेत्र में रखा जाता है जैसे – होटल, नाई की दुकान, किराना दुकान, मोटर साईकल इत्यादि।

अनुक्रमणिका–3:

जानकारियां इकट्ठी करने की प्रक्रियाए कैसे चलाएं

1. बेसलाइन सर्वे क्या है ?

किसी भी समय आधारित योजना/कार्यक्रम में बेस लाईन सर्वे अत्यन्त ही महत्वपूर्ण कार्य है। बेसलाईन सर्वे योजना/कार्यक्रम के प्रारंभ में किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि योजना/कार्यक्रम जिन उद्देश्यों को लेकर क्रियान्वित की जा रही है उनके आधारभूत सूचकों की क्या स्थिति है। ये आधारभूत सूचक ऐसी जानकारी उपलब्ध कराने में सहायक होते है जिससे यह मालूम करना आसान हो पाता है कि योजना/कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात अपने उद्देश्यों में कितनी सफल रही है।

बेसलाइन सर्वे/पीआरए में सहभागिता का काफी महत्व है ताकि विकासात्मक योजनाएँ उपर से थोपी न जाये बल्कि वे उन्ही लोगों की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप हों जिनके लिये वे बनी है। विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों के उद्देश्यों को तय करने से लेकर खोज, सर्वेक्षण, योजना निर्माण, क्रियान्वयन, मूल्यांकन जैसे प्रत्येक स्तर पर हितग्राहियों का सक्रिय योगदान सुनिश्चित करना ही सहभागिता का व्यवहारिक पहलू है। ऐसे प्रयासों द्वारा समुदाय में स्थानीय स्तर पर योजना निर्माण से लेकर वृहद स्तर पर नीतियों व अन्य व्यापक गतिविधियों को प्रभावित करने की क्षमता विकसित होती है। विकास में सहभागी प्रक्रिया अपनाने से विकास की गतिविधियॉ समुदाय की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं के अनुरूप हो जाती है। इससे दूसरा लाभ यह भी मिलता है कि विकासकर्मियों एवं स्थानीय लोगों के ज्ञान में संतुलन भी स्थापित हो जाता है।

2. बेसलाइन में आंकड़ो का महत्व

किसी भी बेसलाईन को तैयार करने के लिए आंकड़ों का संकलन किया जाता है। सभी प्रकार से संकलित आंकडो को दो श्रेणी में बाटा गया है। जो आंकड़े पहले से उपलब्ध रिकार्ड या पुस्तक या प्रकाशित किया जा चुका है उसे द्वितीय आंकड़े कहा जाता है तथा जिन आंकड़ों को सर्वे तथा चर्चा के माध्यम से पहली बार एकत्रित किया जाता है वे प्राथमिक आंकड़े कहलाते है। यहॉ ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप सर्वे से जो प्राथमिक आंकडे एकत्रित करेगे वह आंकड़े प्रकाशित होने के बाद द्वितीय आंकडे कहलायेगे। जिसको आधार मानते हुए आगे कई उपयोजना एवं योजनाओं को रूप दिया जा सकेगा।

सरकार तथा संस्थाएं समय–समय पर आंकड़े एकत्रित कर उनका प्रकाशन करती है इन आंकड़ो को द्वितीय आंकड़े कहा जाता है। उदहारण के लिए जनगणना तथा गरीबी रेखा का सर्वे दो बड़े ही महत्वपूर्ण द्वितीय आंकड़े है जिसके आधार पर अधिकांश विकास से जुड़ी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसी तरह सर्वे ऑफ इंडीया ने प्रत्येक क्षेत्र के लिए टोफोशीट तैयारी की है। जिससे आप यह जान सकते है कि गांव में कहां नाला है, कहां पहाड़, पानी का डाल कैसा है, जंगल कहा है, बसाहट कहा है आदि। इसके अलावा तहसील/पटवारी के पास उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों से कृषि तथा जानवर से संबंधित पर्याप्त जानकारी रहती है।

आजीविका नियोजन से पूर्व सभी द्वितीय आंकड़े एकत्रित किये जाने से गांव / क्षेत्र के बारे में कई महत्वपूर्ा तथ्य एवं जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जिसके इस्तेमाल से बेसलाइन तैयार करने तथा प्राथमिक आंकड़ों के विशलेषण में सहजता रहेगी।

सर्वे के माध्यम से सीधे एवं पहली बार एकत्रित की गई जानकारी से प्राप्त आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। योजना में क्रियान्वयन की रणनीति बनाने के लिए गांव तथा परिवार की वर्तमान स्थिति को जानना महत्वपूर्ण है। द्वितीय आंकड़ों से उपलब्ध जानकारी एक निश्चित समय तक की होती है। जो उस समय की स्थिति की जानकारी देती है। अतः द्वितीय आंकड़ों के प्रयोग के साथ प्राथमिक आंकड़ों के प्रयोग से गांव/परिवार की वर्तमान स्थिति स्पष्ट हो सकती है और आगे की रणनीति बनाई जा सकती है।

3. **मान्यताएं/अवधारणाएं –**

ऐसे परिवार जो गांव से बाहर गये हैं या पलायन कर गये हैं उनकी एक सूची अलग से तैयार करके रखनी चाहिए जिससे कि उनके उपलब्ध होने पर उनसे सपंर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सके।

परन्तु ऐसे लोग जो अधिक के लिये क्षेत्र से पलायन कर गये हैं उनका समावेश कैसे किया जाये – इस संबंध में सहयोग दल को अपनी स्पष्ट रणनीति तैयार करनी होगी क्योंकि इस सूची को अद्यतन (अपडेट) कर निश्चित अवधि पश्चात् अंतिम रूप देना (थ्तममम) आवश्यक होगा। यहां यह तथ्य **ध्यान में रखना होगा कि जब तक गांव की परिवार गणना सूची की कार्यवाही पूरी न हो जाये तब तक गांव के सम्पन्नता वर्गीकरण का कार्य नहीं किया जा सकता है।**

4. **संसाधन/सामाजिक मानचित्रण**

गॉव में जाते ही एकदम से मानचित्र बनाने की बात नहीं करना चाहिए। पहले लोगों के साथ सामान्य बातचीत से मेल जोल बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। लोगों के साथ अपनत्व बढ़ाना चाहिए। हमें ''उन'' पर और उन्हें ''हम'' पर विश्वास करना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में मनोवृत्ति एवं व्यवहार के विषय में जो कहा गया है उसके प्रयोग से निकटता स्थापित करनी चाहिए। पहले गॉव के लोग मानचित्र बनाने में झिझकते हैं, ''अरे साहब हम मानचित्र कैसे बना सकते हैं ? हम तो अनपढ़ है, फलां लड़का पढ़ा लिखा है वह बना सकता है या गॉव का मुखिया/पटवारी बना सकेगा या फिर मास्टर जी बना सकते है .... '' हम नहीं बना पायेंगे आदि। हम कोशिश करें कि हम जहां बैठे हैं या खड़े हैं एक लकड़ी या पत्थर का टुकड़ा हाथ में लें तथा जमीन को साफ करके कोई कुछ चिन्ह बना सकते हैं फिर इससे जुड़ा दूसरा घर बना सकते हैं और फिर इसके आगे पत्थर या लकड़ी को गॉव वालों के हाथ में थमा दें ताकि अब वे बताएँ इसके आगे किसका घर है। या फिर हम जहां है वहीं एक रास्ता बना दें और फिर प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिये लकड़ी या पत्थर किस गांवीण के हाथ में दें। जब वे यह कार्य हाथ में ले लेते हैं तो फिर एक साथ कई लोग बीच–बीच में हस्तक्षेप करने लगते हैं कि वह ऐसे नहीं है, यहां नहीं वहां है इत्यादि और गहन चर्चा एवं विश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।

मानचित्र कई बार बनता और बिगड़ता है। लोग बदलते रहते हैं और प्रक्रिया चल पड़ती है और हम धीरे–धीरे पीछे हटते जाते हैं और गॉव वाले आगे आते हैं। इस प्रकार पूरी प्रक्रिया पर उनका नियंत्रण हो जाता है। इस तरह गॉव के अन्दर स्थित सभी वस्तुओं को वे दर्शाते हैं। जमीन पर बने घरों में विभिन्न प्रकार के बीजों या पत्थरों, लकड़ियों, पत्तियों से विभिन्न जानकारी दर्शायी जाती है। कहीं–कहीं यह प्रक्रिया सीधे कागज पर भी शुरू हो जाती है किन्तु वह तभी संभव है जब गांव वाले हमारी बात को समझ जायें या उनकी झिझक मिट जाये । अक्सर गांव के कुछ प्रौढ़ गांव के पढ़े–लिखे लड़कों को मार्गदर्शन देते हैं और ये लड़के मानचित्र बनाते जाते हैं।

मानचित्र बनाने में स्थानीय सामग्री जैसे– मिट्टी, पत्थर, लकड़ी या रेत का प्रयोग किया जाता है विभिन्न रंगोली की रंगौली या अन्य पाउडर का भी प्रयोग किया जाता है। इससे लोगों की रूचि, उनका उत्साह और विभिन्न वस्तुओं को विभिन्न रंगों में दर्शाने का अवसर मिलता है।

5. **चित्र जमीन/कागज पर – अन्तर**

जमीन पर –

- लोक भागीदारी आसान होती है। सहज होती है।
- लोगों को अपनापन लगता है।
- बच्चे महिला एवं अशिक्षित, पर्याप्त भागीदारी दिखाते हैं।
- झिझक कम होती है।
- स्थानीय सामग्री का उपयोग होता है।
- आकर्षक एवं रचनात्मक होती है।
- भागीदारी अधिक होती है।
- जानकारी को बदलना अधिक आसान होता है।

कागज पर –

- रिकार्ड स्थायी होता है।
- इधर से उधर ले जाया जा सकता है।
- कम स्थान में भी काम हो जाता है।
- गर्मी, वर्षा एवं हवा आदि से सुरक्षित रहता है।
- युवकों को अधिक आकर्षित करता है।
- विश्लेषण में सुविधा होती है।

6. मानचित्र कैसे बनायें

- किस प्रकार का नक्शा बनाना है पहले तय कर लें: सामाजिक, साधन, उद्यम, भूमि, जल, स्वास्थ्य, शिक्षा लाभार्थी आदि।
- गॉव वालों को आमंत्रित करें तथा अपने आचार–व्यवहार से उन्हें प्रभावित करें
- अपने उद्देश्य के बारे में समझाएँ।
- उपयुक्त स्थान का चयन करें तथा उपयोग में आने वाली चीजों को भी ध्यान में रखें।
- नक्शा बनाने से पहले अगर गाँव का सामूहिक भ्रमण कर लें तो बेहतर होगा।
- नक्शा बनाने में प्रारम्भिक मदद करें तथा जमीन पर बड़े आकार में नक्शा बनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें।
- नक्शा बनना प्रारम्भ हो जाए तो अपने हाथ के लकड़ी के टुकड़ो को (जिससे जमीन पर लकीर खींची जा रही हो) नक्शा बनाने वाले को सौंप दें।
- स्वयं नक्शे से बाहर रहें तथा गॉव के कुछ और लोगों को नक्शे को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें।
- नक्शे में विभिन्न चीजों को प्रदर्शित करने हेतु स्थानी चीजों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करें।
- किसी बहुत बड़े गांव का सामाजिक नक्शा बनाना कठिन होता है। इसलिये सर्वप्रथम गांव को कई भागों में बांटकर उनका नक्शा बनाऍ फिर उन सबको मिलाकर एक एकीकृत नक्शा तैयार करें।
- नक्शे का विश्लेषण अवश्य करायें, नक्शा क्या कहना चाहता है, इसको समझने के लिए नक्शे से साक्षात्कार करना सबसे महत्वपूर्ण है, अन्यथा यह निरर्थक हो जाएगा।

- जमीन पर बनाये गये नक्शे को अपने लिए कागज पर गाँव वालों की देख–रेख में बना लें तथा उनसे संतुष्टि करा लें।

7. मानचित्र तैयार हो जाने के बाद क्या करें

- नक्शे के उद्देश्य के प्रति स्पष्टता से विचार करें, जिससे कि संदिग्धता का भाव लोगों में समाप्त हो जाए। प्रारंभ में नक्शे में ढ़ेर सारे आयाम न जोड़ें। केवल प्रासंगिक आयामों से ही आरंभ कर धीरे–धीरे अन्य आयाम जोड़ें।
- उपलब्ध द्वितीयक आंकड़े जैसे गाँव का राजस्व नक्शा, टोपोशीट आदि अगर उपलब्ध है तो उसे भी देख लें।
- मौजूद सूचनादाताओं की संख्या और सही प्रतिनिधित्व तथा मिश्रण के बारे में आश्वस्त हो जायें।
- तत्पश्चात कागज पर नकल के लिए बड़े कागज की शीट का प्रयोग करें।
- सामाजिक नक्शे में घरों को बनाने के साथ ही परिवार के मुखिया के नाम का भी पता करें।
- लोगों को नक्शे को क्रमिक रूप से परखने का अवसर दें जिससे कि वे अपने नये ज्ञान के आधार पर इसमें फेरबदल या अनुकूलन कर सकें।
- मद्दगार के रूप में अपनी भूमिका के लिए हमेशा तत्पर रहें।
- वर्तमान नक्शे के आधार पर भविष्य वर्णन भी करें।
- नक्शा बन जाने पर उसमें स्थानीय प्रतिभागियों के नाम अवश्य डालें। इससे इस कार्य में उनके स्वामित्व का बोध होता है एवं आवश्यकतानुसार बाद में भी उनकी भागीदारी बनी रहती है।

8. क्या न करें

- एक ही नक्शे पर बहुत ज्यादा सूचनाएं न रखें।
- प्रतिफल के रूप में नक्शा बनाने के बाद काम को समाप्त हुआ न समझें।
- ऐसा न सोचे कि अगर एक बार कुछ नक्शे पर बन गया है तो इसे बदला नहीं जा सकता है।
- पूरी कार्यवाही में अपनी प्रबल भूमिका अदा न करें।
- कागज, कलम से नक्शा न बनवायें क्योंकि इससे गांवीणों को सोच–विचार प्रदर्शित करने में कठिनाई होती है।

अनुक्रमणिका–4:

सम्पन्नता श्रेणीकरण की प्रक्रिया कैसे करे

गांव वालों के साथ अलग–अलग समूहों में चर्चा कर उनके आधार पर सम्पन्नता श्रेणीकरण की परिभाषा का निर्माण किया जाएगा। उदहारण के लिए यदि किस गांव में सम्पन्नता श्रेणी को परिभाषित करते हुए कहा जाता है कि यदि जिस परिवार के पास 3 हैक्टेयर या उससे अधिक सिंचित भूमि, ट्रेक्टर, थ्रेशर, पक्का मकान, नौकर–चाकर हो तो वह परिवार अमीर, जिसके पास 1 से 3 हैक्टेयर सिंचित भूमि, ट्रेक्टर, अर्ध–पक्का मकान हो वह परिवार मध्यम तथा जिसके पास 1 हैक्टेयर से कम भूमि हो, सिंचाई का कोई साधन न हो, कच्चा मकान हो वह गरीब तथा जो परिवार/व्यक्ति निशक्त हो (वृद्ध, विकलांग, परीतकता महिला इत्यादि) वह अति गरीब परिवार। इसके आधार पर निम्न प्रक्रिया को संचालित किया जाएगा।

1. सम्पन्नता श्रेणीकरण की प्रक्रिया

1. गांव की परिवार गणना सूची के आधार पर अलग–अलग परिवारों के कार्ड बनाए जाएं।
2. प्रत्येक कार्ड में परिवार के मुखिया का नाम, पिता का नाम एवं जाति आदि का विवरण हो।
3. सम्पन्नता वर्गीकरण यानी वैल्थ रैंकिंग (डब्ल्यूआर) में कोडिंग गांववासियों के सामने हो।
4. सम्पन्नता वर्गीकरण हेतु सिर्फ चार ही श्रेणियां – 4 अमीर, (सम्पन्न) 3– मध्यम, 2– गरीब एवं 1– अतिगरीब बनाई जाएं।

2. कार्ड गेम से आर्थिक विश्लेषण कैसे करे

गांव में आर्थिक विश्लेषण करने के लिए हम यह अभ्यास करते हैं जिसे विस्तृत रूप से इस प्रकार किया जा सकता है।

कार्ड का प्रारूप

क्र. .... नामः .... पिता/पति का नाम : .... जाति :	क्र. .... नामः .... पिता/पति का नाम : .... जाति : ....

- एक स्थानीय व्यक्ति की सहायता से गांव के सभी घरों के मुखियाओं की सूची तैयार करें।
- 2″ X 3″ आकार के कोरे कार्ड तैयार करें।
- एक घर के मुखिया का नाम एक कार्ड पर लिखें जिससे सभी घरों के मुखियाओं की जानकारी के कार्ड तैयार हो जावें।
- एक स्थानीय/ प्रमुख गांवीण जानकार व्यक्ति को चुनें जो बहुत गरीब न हो।
- एक ऐसा स्थान चुनें जहां बिना स्थानीय व्यक्ति के देखे और सलाह के साक्षात्कार लिया जा सकता है। चर्चा ऐसे स्थान पर करें जहाँ लोगों का आना–जाना कम हो ।

- एक बार में जानकार व्यक्ति को कार्ड दें और यह अनुरोध करें कि वह घर के स्वामी को पहचाने और उसके अनुसार यह बतायें कि वह परिवार गरीब या अमीर या दोनों के बीच की स्थिति का है। साधारणः विभाजन करने की 4 या 5 स्थितियां आती हैं। जानकार व्यक्ति को यह स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि वह दो, तीन, चार, पांच श्रेणियों में विभाजन कर सके।
- प्रत्येक कार्ड को उसके संबंधित ढ़ेर में रखें (जानकारी देने वाले कार्ड को नीचे की ओर रखना चाहिए)
- जब सभी कार्डों का एक बार अवलोकन कर लिया गया हो तब जानकारी देने वाले व्यक्ति को कार्ड पर पुनः अवलोकन करके उसे समूह के अनुसार अलग करने के लिए अनुरोध करें कि किसी परिवार विशेष का कार्ड कहीं किसी दूसरे समूह में तो मिल गया है।
- चर्चा के समय जानकारी देने वाले व्यक्ति के हाथ में एक – एक कार्ड देकर उसे यह वर्णन करने को कहा जाये कि उसने परिवार विशेष का वर्गीकरण धनी, गरीब या बीच की स्थिति में किन आधारों पर किया है।
- संकेत– प्रत्येक कार्ड पर सरल क्रमांक अंकित करना उपयोगी होता है। साथ ही प्रत्येक कार्ड पर संक्षेप में यह टीप लिखना उपयोगी होता है कि प्रत्येक का श्रेणी विशेष में क्यों वर्गीकरण किया गया है और उस परिवार को दिये गये सरल क्रमांक अनुसार विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- साक्षात्कार समाप्त होने पर दी गई श्रेणी/ वर्गीकरण के आधार पर सूची बनाई जाती है, जिससे गरीब परिवारों का सूचीकरण के साथ ही वर्गीकरण भी हो जाता है।
- यह प्रक्रिया 4 से 5 जानकारी देने वाले व्यक्तियों से व्यक्तिगत रूप से की जाती है।
- क्रमांकन देना

(अ) प्रक्रिया 2 से द्वारा वर्गीकरण कर बनाए समूह के आधार पर सूची बनाई जाती है।

(ब) यदि 5 वर्गीकृत समूह हैं तो जानकारी देने वाले व्यक्ति क्रमांक के कार्ड में सबसे धनी परिवार कार्ड पर 1 और सबसे गरीब परिवार के कार्ड पर 5 लिखा जाता है । जबकि 2,3 और 4 को अधिक धनी नहीं, मध्यम और अधिक गरीब नहीं, वर्गीकरण से दशयिा जाता है। यदि 6 वर्गीकरण होते हैं तब धनी वर्ग को 1 और सबसे गरीब को 6 से दशयिा जाता है।

(स) प्रत्येक कार्ड की गणना करें। अर्थात

$$\frac{\text{वर्गीकरण क्रमांक} \times 100}{\text{वर्गीकरण की कुल संख्या}}$$

उदाहरणः जानकारी देने वाले व्यक्ति द्वारा यदि वर्गीकरण पांच श्रंणियों के आधार पर किया गया हो तो सबसे धनी व्यक्ति के अंकों की गणना इस प्रकार की जायेगी –

$$\frac{1 \times 100}{5} \quad \frac{100}{5} \quad \underline{x} \quad 20$$

कुछे परिवार ऐसे होंगे जिनके बारे में जानकारी देने वाले व्यक्तियों के की राय काफी अलग होगी। इसके लिये और तहकीकात करने की आवश्यकता होगी जिससे इस अंतरा के कारण पता लगा सकें।

सम्पन्नता वर्गीकरण का प्रारूप

क्र.	परिवार के मुख्यिा का नाम	पिता/पति का नाम	जाति	बीपीएल क्रमांक	आर्थिक वर्गीकरण की श्रेणी				रिमार्क
					अति गरीब	गरीब	मध्यम	अमीर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अनुक्रमणिका–5:

समस्याओं का प्राथमिकीकरण (मेट्रिक्स)

सभी वार्ड स्तरों पर समस्याओं की पहचान करने के लिए टोला बैठकों का उपयोग किया जाएगा। इन बैठकों में प्रत्येक वार्ड के गांववासी अपनी–अपनी समस्याएं बताएगे। जब इन समस्याओं की सूची तैयार की जायेगी तो सबसे बड़ी पेरशानी यह होगी की इन समस्यओं में से सबसे पहले किस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। सहजकर्ता को यह समस्या सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया में दो स्तरों पर आती है। पहली जब वह वार्ड स्तर तथा दूसरी जब गांव स्तर पर सभी वार्डों की समस्याओं को एक साथ रख कर प्राथमिकीकरण करना होता है।

समस्या प्राथमिकीकरण के लिए पी.आर.ए. में कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह हम आपको मैट्रिक्स अभ्यास के द्वारा समस्याओं के प्राथमिकीकरण को समझा रहे है।

1.1 मैट्रिक्स अभ्यास की प्रक्रिया

यह विधि भी जमीन या कागज दोनों पर ही विभिन्न परिस्थितियों में की जा सकती है, जहां लोग लिख–पढ़ नहीं सकते वहां विभिन्न संकेतों का उपयोग किया जाता है। जहां गांव में लोग लिख–पढ़ सकते हैं इसे सीधे कागज पर किया जा सकता है। मेट्रिक्स विधि का प्रयोग कर कई समस्याओं का प्राथमिकीकरण किया जा सकता है।

उदहारण – गांव में उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं के बाद 6 समस्याएं निकल कर आती है। अब यह तय करना होगा की इन 6 समस्याओं में से सबसे पहले किस समस्या को हल किया जाए, उसके बाद क्रमाशः किसको प्राथमिकता दी जाए। सर्वप्रथम सभी समस्याओं की सूची बनाई जाए।

गांव की प्रमुख समस्याए की सूची जैसे–

1. पीने का पानी दूर से लाना
2. कृषि के लिए सिंचाई की कमी
3. भूमि कटाव से तालाब में गाद जमा होना
4. पशुओं के चारे की कमी
5. चारगाह भूमि पर अतिक्रमणे
6. महिलाओं के लिए शौचालय का अभाव

	1	2	3	4	5	6
1	X					
2	X	X				
3	X	X	X			
4	X	X	X	X		
5	X	X	X	X	X	
6	X	X	X	X	X	X

समस्या जितनी हो उससे एक अधिक कॉलम और लाईन का एक टेबल बनाया जाए। जैसा की 6 समस्याओं के लिए बनाया गया है।

- पहले कॉलम और पहली लाईन में समस्याओं के क्रमांक लिखे जाए जैसा 1 से 6 उपरोक्त मैट्रिक्स में लिख गया है।
- मैट्रिक्स में कट/क्रास (X) का चिन्ह दो प्रमुख कारण से लगाया जाता है। पहला एक जैसी समस्या की तुलना आपस में नहीं की जा सकती है और दूसरा यदि एक समस्या की तुलना दूसरी समस्या से की जा चुकि है तो उसे दूसरी बार नहीं किया

जाता है। जैसे– लाईन–2 में समस्या क्रमांक1 की तुलना समस्या क्रमांक 1 से नहीं की जा सकती है। लाईन 3 में दूसरा कट/क्रास का चिन्ह इसलिए है क्योकि समस्या क्रमांक 2 की तुलना समस्या क्रमांक 1 से उपर ही की जा चुकि है।

- अब एक समस्या की तुलना अन्य सभी समस्याओं एक–एक करके की जाती है। तुलना करते समय गांव वालों से पुछा जाए की दोनो समस्याओं में से सबसे पहले किस समस्या का हल किया जाना चाहिए और क्यों?
- गांव वालों आपस में चर्चा करते है और तय करते है कि किस समस्या का हल पहले किया जाना चाहिए। गांव वालों जिस समस्या को हल पहले हल करने के लिए कहे उसका समस्या क्रमांक मैट्रिक्स में अंकित करना चाहिए।

1.2 मेट्रिक्स कैसे भरे–

- पीने के पानी की व्यवस्था पहले होनी चाहिए या कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था – जवाब आया पीने के पानी की अर्थात क्रमांक 1
- पीने के पानी की व्यवस्था पहले होनी चाहिए या भूमि कटाव को रका जाना चाहिए – जवाब आया पीने के पानी की अर्थात क्रमांक 1
- इसी तरह प्रत्येक समस्या का आपस में विशलेषण कर प्राथमिकता को लिखें।

	1	2	3	4	5	6
1	x	1	1	1	1	1
2	x	x	2	2	2	5
3	x	x	x	3	5	3
4	x	x	x	x	5	6
5	x	x	x	x	x	5
6	x	x	x	x	x	x

1.3 मेट्रिक्स से गणना कैसे करे–

- गिनकर देखें कि कौन सी समस्या को कितनी बार प्राथमिकता दी गई है। इसे टेबल के अंत में प्रत्येक समस्या के लिए अंकित करे। जिस समस्या को जितनी बार लिखा गया है उसकी प्राथमिकता उतनी ही ज्यादा होगी। उपरोक्त मेट्रिक्स के अनुसार समस्याओं की प्राथमिकता निम्न अनुसार होगी।

1.4 प्राथमिकीकरण का क्रम

समस्या क्रमांक 1 = 5 बार
समस्या क्रमांक 5 = 4 बार
समस्या क्रमांक 2 = 3 बार
समस्या क्रमांक 3 = 2 बार
समस्या क्रमांक 6 = 1 बार
समस्या क्रमांक 4 = 0 बार

- इस पूरी प्रक्रिया में लोगों के साथ चर्चा करें कि क्या प्राथमिकता के मुद्दे उन्हें स्पष्ट हैं एवं उनके अनुसार ही समस्या का प्राथमिकीकरण हो रहा है?
- इस पूरी प्रक्रिया को गांव की आवश्यकता के परिदृश्य में ही दिशा दें।